बृहस्पतिवार,
२५ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

वृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९५४

सभा २ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सुगंधित तेलों का आयात

*१२८९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुछ दिनों से लौंग, कपूर और लैवेण्डर जैसे सुगंधित तेलों का आयात बढ़ता जा रहा है; तथा

(ख) देश में इन तेलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां श्रीमान् ।

(ख) सुगंधित तेलों के उत्पादन के लिए अपेक्षित पौदों की कृषि को प्रोत्साहन देना राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अधीन आता है । यह मालूम हुआ है कि इन में से कुछ तेलों की मांग इतनी कम है कि

उनके लिए वाणिज्यिक पैमाने पर कृषि आवश्यक नहीं प्रतीत होती है ।

श्री झूलन सिन्हा : इस देश में इन तेलों की जितनी मात्रा आयात की जाती है, क्या वह सारी की सारी आन्तरिक उपभोग के लिए होती है, या उसका कुछ पुनर्निर्यात भी होता है?

श्री करमरकर : जो कुछ हम आयात करते हैं वह मुख्य रूप से आन्तरिक उपभोग के लिए होता है । इस सम्बन्ध में कि क्या कोई पुनर्निर्यात होता है, मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इन तेलों पर प्रशुल्क लगाने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है?

श्री करमरकर : सभी आयात पर राजस्व शुल्क लगता है । मुझे इस बात का पता नहीं है कि इस आयात पर कोई संरक्षण शुल्क है या नहीं ।

श्री जी० पी० सिन्हा : १९५३–५४ में इन तेलों के आयात का कुल मुल्य कितना है ?

श्री करमरकर : वर्ष १९५३ के अप्रैल से दिसम्बर तक के काल में कुल मूल्य ६५,१७,००० रुपए था ।

विश्वविद्यालयों में शोध कार्य

*१२९०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन विश्वविद्यालयों और संस्थाओं ने शोध कार्यक्रम समिति के कार्यक्रम के अनुसार सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासन संबंधी समस्याओं का राष्ट्रीय विकास करने के लिए आवश्यक अनुसन्धान तथा शोध कार्य करने के संबंध में योजनायें समिति के सामने रखी हैं;

(ख) इन योजनाओं की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इनमें से कौन कौन सी योजनयें स्वीकार कर ली गयी हैं; तथा

(घ) उपरोक्त योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए अलग अलग कितने धन की आवश्यकता होगी ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एस० ९३-५४]**

श्री एस० एन० दास : विवरण की मद १४ से पता चलता है कि भारत में फारमों के प्रबन्ध की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिये खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय को ५,००,००० रुपये दिए गये हैं । यह मंत्रालय इस शोध कार्य को किन अभिकरणों के द्वारा करेगा ?

श्री हाथी : यह चीज खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के ऊपर छोड़ दी गई है ।

श्री एस० एन० दास : क्या इन संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले इन शोध कार्यों के परिणामों को प्रस्तुत करने के लिये कोई समय सीमा निश्चित की गई है ?

श्री हाथी : जी हां। भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों को उस समय का अनुमान दे दिया गया है, जिसके अन्दर उन्हें सर्वेक्षण कार्य पूरा कर देना होगा।

श्री एस० एन० दास : क्या और आवेदन पत्र प्राप्त करने की कोई गुन्जाइश है, और यदि है, तो किन विषयों के संबंध में आवेदन पत्र स्वीकार किए जायेंगे ?

श्री हाथी : विषय ये हैं : भूमि सुधार, सहकारिता और प्रबन्ध ; बचत और नौकरी ; तथा प्रादेशिक विकास । अभी भी अग्रेतर शोध कार्य की गुन्जाइश है ।

पंडित के० सी० शर्मा : क्या विश्वविद्यालयों के सामने अनुसन्धान एवं शोध कार्य के लिए कोई निश्चित प्रश्न रखे गये हैं ?

श्री हाथी : विवरण से संलग्न सूची में उन विषयों का उल्लेख है, जिन पर शोध कार्य किया जाना है ।

श्री टी० के० चौधरी : आगामी वर्ष में किन दिशाओं में शोध कार्य किया जाएगा, जिसके लिए २०,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई है ?

श्री हाथी : योजना काल के लिए कुल ५०,००,००० रुपए की व्यवस्था की गई है । इसमें से इस वर्ष २०,००,००० रुपये उन विभिन्न संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को दिए जाने के लिये रखे गये हैं जो शोध कार्य करेंगे । भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को भिन्न भिन्न राशियां दी गई हैं । यह चीज

इस बात पर निर्भर है कि उस संस्था द्वारा किया जाने वाला शोध कार्य अथवा सर्वेक्षण किस प्रकार का है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या एक ही विषय में एक से अधिक विश्वविद्यालयों से शोध कार्य करने को कहा गया है ?

श्री हाथी : जी नहीं, आम तौर से ऐसी बात नहीं है । यदि कोई योजना किसी एक संस्था को दे दी गई होती है, तो दूसरी को स्वीकार नहीं किया जाता है ?

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस कार्यक्रम द्वारा सोचे गए शोध कार्य का क्षेत्र क्या है ; क्या यह केवल आर्थिक एवं प्रशासनिक मामलों तक ही सीमित है अथवा इसके अन्तर्गत सामूहिक शिक्षा, अस्पृश्यता और सामाजिक विषय भी आ जाते हैं ?

श्री हाथी : फिलहाल तीन विषय में आ गए हैं । भूमि सुधार, सहकारिता और प्रबन्ध; बचत और नौकरी; तथा प्रादेशिक विकास ।

नकली रेशम

*१२९१. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९५२ के अन्तिम भाग में आयातित नकली रेशम के धागे का प्रर्याप्त फालतू स्टाक था;

(ख) यदि हां, तो भारत के नकली रेशम उद्योग को आयातित धागे की स्पर्धा से बचाने के लिए सरकार ने १९५३ में क्या कार्यवाही की थी;

(ग) १९५३ के अन्त में जितने नकली रेशम के कारखाने थे उनके नाम क्या हैं और वे कहां कहां पर हैं और (अलग अलग कारखानों में) उस वर्ष कितना धागा तैयार हुआ; तथा

(घ) क्या भारत में नकली रेशम का धागा बनाने के लिए देशी लुग्दी तैयार करने के कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) इस संबन्ध में सरकार की कोई ठीक जानकारी नहीं है । यह कहा जा सकता है कि उस समय की आयात नीति मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति देना थी।

(ख) १९ अगस्त, १९५२ को नकली रेशम के धागे के आयात को सीमित आयात अनुज्ञापन नियम के अधीन कर दिया गया था, और यथा सम्भव वास्तविक उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं के आधार पर अनुज्ञप्तियां दी गई थीं । रेशम की मिलों के संगठन से कहा गया था कि वह यथा संभव अधिक से अधिक देशी धागा खरीद ले । १२० और १५० सूत्रैकों (डिनायर्स के तीसरी और चौथी किस्म के धागे के आयात पर जनवरी-जून १९५३ में रोक लगा दी गई थी और १२० तथा १५० सूत्रैको के चमकदार किस्म के धागे के आयात को क्रमशः जुलाई–दिसम्बर, १९५३ में दी गई अनुज्ञप्तियों के प्रत्यक्ष मूल्य का २० प्रतिशत और ५ प्रतिशत सीमित कर दिया गया था ।

(ग)

नकली रेशम के कारखानोंके नाम और उनकी स्थिति	उत्पादन
१. सर्वश्री त्रावनकोर रेयान्स लिमिटेड, रेयानपुरम, ट्रावनकोर कोचीन राज्य	३२ लाख पौण्ड

२. सर्वश्री नेशनल रेयान्स कारपोरेशन लिमिटेड मोहोने कल्याण (मध्य रेलवे) बम्बई। ६६ लाख पौण्ड

(घ) जी नहीं, श्रीमान् किसी बड़े पैमाने पर नहीं। परन्तु मुझे मालूम हुआ है कि कोई अग्रगामी योजनाएं सोची जा रही हैं।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या यह सच नहीं है कि मध्य भारत में केवल नकली रेशम का कपडा कमाने के लिए एक नकली रेशम का कारखाना बनाने की नई परियोजना आरम्भ की गई थी;

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यह नहीं कह सकता कि क्या वह केवल नकली रेशम के कपड़ा बनाने के लिए ही है। सम्भव है उस कारखाने के मालिकों का पहले से ही एक और कारखाना हो जिस में नकली रेशम का कपड़ा बनता हो और हो सकता है कि वे अपने इस कारखाने के उत्पादन को अपने बुनाई के कारखाने में भेजना चाहते हों।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मध्य भारत के कारखाने का उत्पादन सामर्थ्य के सबंध में सरकार को कोई जानकारी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि यह सामर्थ्य लगभग १३० लाख पौण्ड है।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या आयतित धागे से किसी भी प्रकार देशी उत्पाद के मूल्य पर प्रभाव पड़ा है?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां, उसका प्रभाव पड़ता है। जब तक कि आयात बहुत सीमित न हो, तब तक देशी उत्पाद का मूल्य आयातित धागे के मूल्य के अनुसार निश्चित होता है।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यहां पर इन धागों के निर्माण के लिए कोई लुग्दी आयात की जाती है, और, यदि हां, तो गत वर्ष उसकी मात्रा और मूल्य कितना था ?

श्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सारी लुग्दी आयात की जाती है; परन्तु मैं आंकड़े देने में असमर्थ हूं। यदि माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछें तो मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

खादी का प्रमाणीकरण

*१२९२. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने सरकार को सुझाव दिया है कि उस बोर्ड को खादी के प्रमाणीकरण का अधिकार दिया जाए ;

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार किया है ; तथा

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अखिल भारतीय खादी और ग्रामी उद्योग बोर्ड ने सभी राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया है कि वे बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक प्रारूप विधेयक के आधार पर विधान बनाएं। प्रारूप विधेयक में केवल दी गई अनुज्ञप्ति पर ही 'खद्दर' और खादी की विक्री की व्यवस्था है।

(ख) तथा (ग): राज्य सरकारों के विचारों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या बोर्ड ने विक्रय संघ की कार्यवाही का विनियमन करने के लिये सरकार से अधिकार याचना की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जो संगठन उनका इस समय है, वह विक्रय का विनियमन करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, क्योंकि हम उन को इस उद्देश्य के लिये केवल धन देते हैं और वे संगठन का प्रबन्ध करते हैं तथा इस की कार्यवाही का विनियमन करते हैं।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या बोर्ड ने खादी विधेयक में कुछ विशेष संशोधनों का सुझाव दिया है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अधिक धीरे और अधिक स्पष्टता से क्यों नहीं बोलते हैं, इतनी शीघ्रता करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री के० पी० सिन्हा : क्या बोर्ड ने खादी विधेयक में कुछ विशेष संशोधनों का सुझाव दिया है, और क्या उन पर भारत सरकार ने विचार किया है,

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार द्वारा सुझाव के स्वीकार किये जाने की बात नहीं है । यह तो प्रारूप विधेयक के जो विभिन्न राज्य में परिचालित किया गया है, विभिन्न राज्यों द्वारा स्वीकृत किये जाने की बात है । हम उन के मतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

श्री एस० एन० दास : जो प्रारूप विधेयक तीन या चार वर्ष पहले राज्य सरकारों में परिचालित किया गया था, उस के सम्बन्ध में क्या मैं केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के विषय में जान सकता हूं, और क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ वर्ष पहले जो विधेयक परिचालित किया गया था, उसके अतिरिक्त, खादी बोर्ड की स्थापना के पश्चात उस ने एक और संशोधित विधेयक परिचालित किया है । यही वह विधेयक है, जो विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच वाद विवाद का विषय है ।

श्री जांगड़े : खादी विधेयक १९५० के पारित होने के पश्चात से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकारों द्वारा कितने झूठे खादी व्यापारियों का पता लगाया गया है और उन पर मुकदमा चलाया गया है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे सूचना की आवश्यकता है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या कोई राज्य सरकार उस प्रारूप उपाय का विरोध करती है, जिसका खादी बोर्ड ने सुझाव रखा है और यदि हां, तो वह कौनसा राज्य है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने नहीं सुना कि किसी राज्य सरकार ने इसका विरोध किया है । अपितु उन म से कुछ सरकारों का ऐसा विचार है कि विधेयक की शर्तों में कुछ भेद हो सकता है, परन्तु जहां तक मुझे पता है किसी राज्य सरकार ने इस का विरोध नहीं किया है ।

मनीपुर में बाढ़

*१२९३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की क्या करेंगे :

(क) क्या पंच वर्षीय योजना के अधीन योजनाओं की कार्यान्विति के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर

ने मनीपुर में बाढ़ को रोकने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी योजना क्या है और इस पर अनुमानतः कितना खर्च आयेगा ; तथा

(ग) क्या सरकार ने योजना को स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर का पद फरवरी १९५४ में मंजूर किया गया था, किन्तु उस की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं ।

श्री वल्लाथरास : क्या यह सच है कि पिछले वर्ष अधिकारियों की एक समिति को आसाम में वहां की स्थानीय अवस्था, विशेषतया बाढ़ों द्वारा होने वाली क्षति का अध्ययन करने और भविष्य में बाढ़ों को रोकने के लिये उपायों का सुझाव देने के लिये गया था ?

श्री हाथी : इस प्रश्न का सम्बन्ब आसाम से है या मनीपुर से ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मनीपुर की स्थिति का अध्यन करने के निमित्त कोई समिति नियुक्त की गई थी ?

श्री हाथी: केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग का एक अधिकारी मनीपुर भेजा गया था ।

श्री वल्लाथरास : क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, और उस में क्या महत्वपूर्ण सिपारिशें की गई हैं ?

श्री हाथी : उक्त अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। जो उपाय उस ने बतलाये हैं, उन में से एक यह है कि अस्थायी सहायता के निमित्त बांध बनाये जायें, और दूसरा उपाय स्थायी रूप का है ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार उस बिशेषज्ञ के प्रस्ताव को स्वीकार कर रही है ?

श्री हाथी : विशेषज्ञ के अस्थायी बांधों सम्बन्धी प्रतिवेदन में दस योजनायें सम्मिलित हैं, जो सरकार द्वारा स्बीकार कर ली गई हैं, और उन में से एक योजना के लिये इन निर्माण कार्यों को चलाने के निमित्त १·४८ लाख रुपया मंजूर किया गया है ।

श्री रिशांग किशिंग : वास्तव में प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री हाथी : योजनाऐं पिछले महीने ही मंजूर की गई हैं, और कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जायेगा ।

श्री रिशांग किशिंग : माननीय मंत्री कहते हैं कि विशेषज्ञ का एक प्रस्ताव कार्यान्वित किया जायेगा, किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि मुख्य प्रस्ताव अर्थात द्वितीय प्रस्ताव कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

श्री हाथी : दूसरा प्रस्ताव उस सुपरिंनटेंडिंग इंजीनियर के जिसे नियुक्त किया जा रहा है द्वारा किये जाने वाले अनुसन्धान पर अबलम्बित होगा ।

मद्रास सरकार की बिजली और सिंचाई सम्बन्धी योजनायें

***१२९४. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास सरकार ने बिजली सम्बन्धी दो तथा सिंचाई सम्बन्धी पांच योजनाओं को पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार ने इन सुझावों के सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) पेरियार जल-विद्युत योजना और सथानूर और कृष्णगिरि सिंचाई योजनायें अभी हाल में मद्रास राज्य की विकास योजना में सम्मिलित की गई हैं और अमरावती तथा वेगाई सिंचाई योजनायें उस राज्य के कमी वाले क्षेत्रों की स्थायी उन्नति के कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकार की गई हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं इस उद्देश्य के लिये सरकार द्वारा मंजूर किये गये प्राक्कलनों को जान सकता हूं ?

श्री हाथी : अमरावती के लिये २७२ लाख रुपये और वेगाई के लिये २४१ लाख रुपये तथा इन कार्यों के लिये कुल ५·२ करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं माननीय मंत्री का यह आशय ठीक रूप से समझ सका हूं, कि पहले वर्णित की गई दो योजनायें भी मंजूर कर ली गई हैं ?

श्री हाथी : जी हां, पेरियार जल-विद्युत योजना और सथानूर तथा कृष्णगिरि सिंचाई योजनायें ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इन के प्राक्कलन क्या हैं ?

श्री हाथी : कृष्णगिरि के लिये १८४ लाख रुपये, सथानूर के लिये २६३ लाख रुपये और पेरियार जल-विद्युत योजना के लिये १,०४६ लाख रुपये ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या जल-विद्युत योजना मद्रास सरकार द्वारा सिपारिश की गई विद्युत परियोजनाओं में एक थी ?

श्री हाथी : वह मद्रास सरकार द्वारा सिपारिश की गई दो योजनाओं में से एक थी, और पेरियार जल-विद्युत योजना पहले ही स्वीकार की जा चुकी है, दूसरी के लिये अधिक अग्रेतर अनुसन्धान कार्य की आवश्यकता है ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं कि जिन योजनाओं का सुझाव रखा है उन में से कौन सी योजनायें स्वीकार नहीं की गई हैं ?

श्री हाथी : केवल दो ही योजनायें हैं, एक कुण्डा विद्युत योजना थी और दूसरी कुन्नीहारुफुज्हू सिंचाई योजना थी।

विदेशी सार्थों के साथ करार

* १३९५. **श्री गिडवानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी सार्थों के साथ भारत के औद्योगिक तथा वाणिज्य समवायों द्वारा किये गये करारों के सम्बन्ध में एक जांच प्रारम्भ की है ;

(ख) इस जांच का रूप क्या है ; तथा

(ग) क्या सार्थों ने उन से पूछी गई जानकारी दे दी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां ।

(ख) ३० जनवरी, १९५४ की एक लोक सूचना के द्वारा देश के समस्त औद्योगिक तथा वाणिज्यिक समवायों से उन के द्वारा विदेशी सार्थों के साथ किये गये करारों के सम्बन्ध में सभी जानकारी जिस में विभिन्न प्रकार की देनगियां जैसे स्वामिस्व, टैक्निकल फीस, लाभ का भाग, इत्यादि सम्मिलित हैं । देने का निवेदन किया गया है,

(ग) मांगी गई जानकारी प्राप्त हो रही है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि जानकारी १ मार्च से पहले तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिये थी, और यदि ऐसी बात है, तो कितने समवायों ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी तक हम ने सारी जानकारी का वास्तव में सारिणीकरण नहीं किया है। मैं माननीय सदस्य को यह भी बतलाना चाहता हूं कि जब तक हमें यह पता न लगे कि कितने समवायों ने इस प्रकार के टैक्निकल करार किये हैं तब तक यह बतलाना कि कितने समवायों ने यह जानकारी नहीं दी है, कठिन होगा । इन सब विवरणों का सारिणीकरण किये जाने के पश्चात अधिक अनुन्सथान करने पर ही यह बताया जा तकता है।

श्री नानादास : सरकार सब समवायों से कब तक जानकारी प्राप्त करने की आशा रखती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने बताया है कि यह बहुत संकुचित मामला है । माननीय सदस्य के दिल में जो बात है, अर्थात कर्मचारियों के विषय में, यह उस प्रकार की जानकारी नहीं है । यह जानकारी उन करारों सम्बन्धी है, जिन में विदेशी साझियों को धन देने, अर्थात स्वामिस्व तथा टैक्निकल फीस आदि के रूप में धन देने का मामला है । संभवतः न्यूनाधिक सारी जानकारी हमारे पास है, किन्तु इस की जांच करनी पड़ेगी । यदि किसी समवाय ने यह जानकारी नहीं दी है, तो हमें रिज़र्व बैंक को, जो प्रेषण कार्य करता है, यह सारी जानकारी भेज कर यह पता लगाना होगा कि किस समवाय ने जानकारी नहीं दी है । इसलिये दोहरी पड़ताल की आवश्यकता होती है, जिसमें समय लगता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या प्रबन्ध अभिकरण भी इस जांच की परिधि में आते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं जानता कि वास्तव में वे इस के अन्दर आयेंगे या नहीं । परन्तु यदि प्रबन्ध-अभिकरण व्यवस्था में विदेश में किसी और को कुछ देने की बात अन्तर्ग्रस्त है, तो वह अवश्य ही इस जांच की परिधि में आते हैं ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार को विदित है कि कुछ सार्थ जिन्हों ने विदेशी सार्थों से करार किये हुए हैं, रासायनिक द्रव्यों जैसी वस्तुयें प्राप्त कर रहे हैं और उन को इस देश में बोतलों में वन्द करके जनता से कह रहे हैं कि यह इस देश की बनी हुई हैं और तीन गुनी कीमत वसूल कर रहे हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न उत्पन्न होता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में मैं आप का विनिर्देश चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : निस्संदेह यह बहुत ही दिलचस्प बात है परन्तु यह प्रश्न उत्पन्न नही होता है ।

श्री मेघनाद साहा : यदि मैं उनको सूचना दूं तो क्या माननीय मंत्री कोई जांच करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न असंगत है दूसरा उस से भी अधिक असंगत है ।

श्री बंसल: क्या सरकार को समय समय पर भारतीय सार्थों से उनके विदेशी भागीदारों की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती रहती है, और यदि हां, तो क्या वह कार्यवाही सभी मामलों में अथवा अधिकांश मामलों में संतोशजनक है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैंने इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करने के लिए कोई परिपत्र जारी नहीं किया है।

श्री टी० के० चौधरी: मैं जान सकता हूं श्रीमान, कि क्या सरकार द्वारा इस सूचना के दिये जाने के लिये कोई समय-सीमा नियत की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे विचार से इस मामले में यह मार्च मास के मध्य तक है।

श्री टी० एन० सिंह: माननीय मंत्री ने १ जनवरी, १९५४ से पूर्व किये गये करारों के सम्बन्ध में बताया। क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई नियम बनाया गया है कि किये गये करारों अथवा भविष्य में किये जाने वाले करारों की प्रतिलिपियां सरकार को भेजी जायेंगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है और इस पर समय समय पर विचार किया जायेगा परन्तु मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि उन नये औद्योगिक सार्थों से जिन को अनुज्ञापन के लिये हम से आवेदन करना होता है, हम यह सभी विवरण प्राप्त कर लेते है। जहां कहीं भी कोई पूंजी विनियोजन होता है अथवा लाभों को प्रेषित किया जाता है हमें यह विवरण प्राप्त होते हैं। मेरी कठिनाई गत दो वर्षों से जो कुछ हो रहा है उस के सम्बन्ध में नहीं है अपितु मेरी कठिनाई उक्त अवधि से पूर्व क्या होता रहा था उसके सम्बन्ध में है। इस सूचना को नवीनतम बनाने के लिये मैं उपयुक्त समय आने पर जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है उसे ध्यान में रखूंगा।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या भारत सरकार द्वारा कोई नियम अथवा विनियम बनाये गये हैं जिन के अन्तर्गत ही भारत में स्थित समवाय विदेशी सार्थों के साथ करार कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? क्या सार्थ करार को एक प्रति सरकार को भेजने के लिये बाध्य नहीं हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति बस्तुतः यह है, जहां कहीं भी विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी प्रेषण अन्तर्ग्रस्त हैं, भारत सरकार को कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिन को वह रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया के द्वारा काम में लाती है। इन अधिकारों के काम में लाये जाने को रोकने के लिए ही सम्बन्धित सार्थ, जब उनको नये करार करने होते हैं, हमारे पास आते हैं। परन्तु स्थिति बहुत ही विचित्र है। औद्योगिक समवायों के सम्बन्ध में, उन को अनुमति दिये जाने के लिये हम से प्रार्थना करनी होती है; बैंक होने की अवस्था में, उन को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है, परन्तु किसी भी जगह निगमित हुए किसी व्यापारिक सार्थ के मामले में, वह बिना किसी प्रकार की रुकावट के अपना कार्य प्रारम्भ कर सकता है। यह हमारे कानून में एक त्रुटि है और हम बहुत शीघ्र ही इसे दूर करने की आशा करते हैं।

समाज शिक्षा

*१२९६. **श्री बर्मन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितने प्रशिक्षणार्थियों ने समाज शिक्षा संगठन कर्त्ता प्रशिक्षण के पांच केन्द्रों में अपने पाठ्य क्रमों को पूरा कर लिया है ; तथा

(ख) उक्त प्रशिक्षण के मुख्य विषय ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) . माननीय सदस्य का ध्यान २२-३-५४ के श्री बी० के० दास के तारांकित प्रश्न संख्या ११८० के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है।

श्री बर्मन : क्या मैं प्रशिक्षणार्थियों के रूप में चुने जाने के लिये अपेक्षित योग्यताओं को जान सकता हूं ;

श्री हाथी : साधारण तया वह ग्रेजुएट होते हैं।

श्री बर्मन : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं पर ही एकमात्र विचार किया जाता है, अथवा चुनाव करते समय अन्य योग्यताओं जैसे ग्राम्य जीवन के प्रति लगाव अथवा ग्राम निवास अदि पर भी अतिरिक्त योग्यताओं के रूप में विचार किया जाता है ?

श्री हाथी : शिक्षा सम्बन्धी योग्यतायें ही एकमात्र योग्यतायें नहीं है जिन पर कि विचार किया जाता है ; अन्य योग्यताओं पर भी जो मेरे माननीय मित्र द्वारा बताई गई हैं, चुनाव करने से पहले विचार किया जाता है ?

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अब तक आये अधिकांश कर्मचारी उस स्थान विशेष पर निवास करने के स्थान पर आस पास के शहरों से आ रहे हैं क्योंकि इन स्थानों पर आवास सम्बन्धी व्यवस्थायें समुचित नहीं ?

श्री हाथी : राष्ट्रीय विस्तार सेवा में देहाती कार्यकर्त्ताओं की भर्ती की जा रही है। यह प्रशिक्षण केन्द्र प्रत्येक खंड में समाज शिक्षा संगठन के केन्द्र हैं। सम्भव है कि कुछ शहरों के हों परन्तु जिस बात पर विशेष रूप से बल दिया जाता है वह यह है कि उन की ग्राम्य जीवन के प्रति रुचि हो।

श्रीमती ए० काले : मैं ज्ञात कर सकती हूं कि क्या कोई स्त्रियां भी प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं !

श्री हाथी : मेरे विचार से कुछ हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी योजना है जिस के अन्तर्गत देश के सभी भागों में खुल रहे समाज संगठन विद्यालयों को एक सूत्र के अन्तर्गत लाया जा सके ?

श्री हाथी : यह इस के अन्तर्गत नहीं आयेगी ; यह बात सामुदायिक परियोजनाओं के अन्तर्गत आती है, यह तो समाज शिक्षा संगठन कर्त्ता प्रशिक्षण है ?

श्री नानादास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि इस प्रशिक्षण के लिये अभ्यर्थियों के चुनाव के मामले क्या अनुसूचित आदिमजातियों तथा अनुसूचित जातियों को विशेष रियायतें दी जाती हैं।

श्री हाथी : इन व्यक्तियों को अधिमान दिया जायेगा।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या इन केन्द्रों के नाम तथा संख्या और इन केन्द्रों में प्रशिक्षित किये गये आन्ध्र देश के अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : पांच केन्द्र हैं ।

श्री हाथी : जैसा कि मैंने निवेदन किया समाज शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षण के पांच केन्द्र हैं । इन में से हैदराबाद, नीलोखेड़ी, गांधीग्राम, इलाहाबाद तथा शांन्तिनिकेतन में एक एक केन्द्र है ।

हीराकुण्ड में प्रशिक्षण

*१२९७. **श्री संगण्णा : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या हीराकुड परियोजना कार्य में विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए मुख्य इंजीनियर, हीराकुड ने कोई योजना प्रस्तुत की है ; तथा

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हां में है तो उसके बारे में क्या निर्णय हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) संभवत: माननीय सदस्य का अभिप्राय छोटी छोटी नहरें खोदने के काम में ५० विद्यार्थियों की नि:शुल्क सेवाओं को उपयोग करने वाली योजना से है । यदि हां तो इसका उत्तर हां में है ।

(ख) यहीं मामला विचाराधीन है।

श्री संगण्णा: क्या मह योजना भारत-सरकार तथा अमरीका के बीच हुए कार्य संचालन समझौते के अधीन है ?

श्री हाथी: नहीं । यह योजना तो स्थानीय निर्माण योजना के समान है जिसे विद्यार्थियों ने स्वेच्छा से चालू किया है । यह योजना केवल स्वेच्छा से किये गये श्रम से सम्बन्धित है ।

श्री संगण्णा : यह प्राशिक्षा कैसी तथा कितने समय तक चलेगी ?

श्री हाथी : यह तीन या चार सप्ताह के लिए है । पचास विद्यार्थियों के एक समूह ने स्वेच्छा से खुदाई का कार्य करने के लिए अपनी सेवाए अर्पित कर दी हैं ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या विभिन्न नदी घाटी परियोजनाओं में इंजीनियरिंग स्नातकों को प्राशिक्षित करने की योजनाएं चालू हो गई हैं ; यदि हां तो, कितने विद्यार्थी प्राशिक्षा पा रहे हैं तथा उन्हें किन किन स्थानों पर प्रशिक्षा दी जा रही है ?

श्री हाथी : कुछ पुरानी योजनाएं हैं जिनके अधीन इंजीनियरिंग स्नातक प्रशिक्षा पा रहे हैं, किन्तु मंत्रालय के विचाराधीन एक दूसरी योजना भी है जिसके अनुसार ४५ और अन्य व्यक्तियों को प्रशिक्षा दी जायेगी । पुरानी योजना के अधीन वस्तुत: कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है इस समय में मैं यह नहीं बता सकता ।

श्री एल० एन० मिश्र: मैं तो प्राशिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या जानना चाहता हूं ।

श्री हाथी : कुछ विद्यार्थी प्राशिक्षा पा रहे हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : तो क्या हम यह समझें कि उड़ीसा इंजीनियरिंग कालेज तथा अन्य इंजीनियरिंग कालेजों के स्नातकों में से काम सीखने वाला कोई इंजीनियर हीराकुड में काम नहीं कर रहा है ? यदि नहीं तो क्या इस सम्बन्ध में लोक लेखा समिति की भी कोई सिफारिश नहीं थी ?

श्री हाथी : एक सिफ़ारिश थी, और हीराकुड पारियोजना में कुछ नये स्नातकों को वस्तुत: प्रशिक्षित किया जा रहा था ।

परन्तु बाद में—क्योंकि उन लोगों को कोई वजीफा इत्यादि नहीं मिलता था—जैसे ही उनको कोई नौकरी मिली वे वहां चले गये।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना फैक्टरी

*१२९९. **श्री वी० पी० नायर** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना लिमिटेड, जलाहली, के भवन निर्माण तथा मशीन लगाने का कार्य निश्चित समय क्रम के अनुसार चल रहा ह; तथा

(ख) यदि नहीं तो उसके कारण ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). खराद मशीन की बनावट में नवीनतम विकास तथा सुधारों को निहित करने की दृष्टि से मूल समयक्रम में संशोधन करना पड़ा था, जिसके कारण कारखाने की रचना में काफ़ी परिवर्तन करना आवश्यक हो गया था। वर्तमान प्रगति सन्तोषजमक है और आशा की जाती है कि संशोधित समयक्रम के अनुसार कार्य होगा।

श्री वी० पी० नायर : यह कारखाना उत्पादन कार्य कब से शुरू करेगा?

श्री आर० जी० दुबे : इस वर्ष के जुलाई मास से खराद मशीन के पुर्जे यहां बनने शुरू हो जायेंगे।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि एक स्विस इंजिनियर जो यहां काम करनें के लिए आया था यहां के कर्मचारियों से मतभेद होने के कारण वापिस चला गया ?

श्री आर० जी० दुबे : निश्चित रुप से मुझे पता नहीं कि वह वापिस चला गया किन्तु मतभेद अवश्य था।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : कितने विदेशी विशेषज्ञ, यहां नौकरी कर रहे हैं और भवन निर्माण तथा मशीन लगाने के कारण में देरी होने के फलस्वरूप वे बेकार हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : प्रारम्भ में १०५ व्यक्तियों को रखने का विचार था किन्तु बाद में यह तै हुआ कि इनकी संख्या ८५ से अधिक नहीं होनी चाहिए। विस्तुतः २५ विदेशी विशेषज्ञ आजकल कार्य कर रहे हैं और वहां आजकल कार्य करने वालों की संख्या ७० है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि २० भारतीय प्रशिक्षार्थी वायुयान द्वारा स्विटज़रलैंड भेजे गये थे और वापिस आने पर उन्हें उपयुक्त नौकरी नहीं दी जा सकी।

श्री आर० जी० दुबे : जैनरल टेकनिकल मैनेजर योरुप गये थे और शिक्षार्थियों में से ८ व्यक्ति चुने गये थे इस समय में इतना ही कह सकता हूं।

श्री जी० एस० सिंह : तय्यार होने पर क्या यह कारखाना पूरी शक्ति से कार्य करेगा क्योंकि अम्बरनाथ का ऐसा ही कारखाना केवल चौथाई शक्ति से ही कार्य कर रहा है ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा में बता चुका हूं पहले जो खराद आया था वह और डिज़ाइन का था, बाद में पता लगा कि यह भारतीय परिस्थितियों के लिये उपयुक्त नहीं है। इसी लिये आर्डर भेजने में बिलम्ब हुआ। भवन की सारी रचना को बदलना पड़ा। १९५७ के मध्य तक यह कारखाना उत्पादन आरंभ कर देगा। इस प्रकार एक वर्ष का विलम्ब हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : वे इस की तथा अम्बरनाथ के कारखाने की तुलना चाहते थे जो इसी वस्तु का उत्पादन करता है।

श्री आर० जी० दुबे : मैं ऐसा नहीं सोचता हूं। इसके तथा अम्बरनाथ के डिज़ाइन में बहुत अन्तर है।

श्री टी० एन० सिंह : जिस आकार की खराद इस कारखाने में बनाई जायगी क्या इसी आकार की खराद गैर-सरकारी उद्योग द्वारा भी बनाई जाती है?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे इस का पता नहीं है। जहां तक मुझे पता है यह नवीनतम मशीनी औज़ार है जो अभी स्विट्ज़रलैण्ड में तय्यार किया जा रहा है ;

श्री वी० पी० नायर : सभा सचिव ने बताया है कि जो निर्माण कार्यक्रम पहले बनाया गया था उसे इसलिये बदलना पड़ा कि मशीन के ओज़ारों की तय्यारी के क्षेत्र में कुछ नये परिवर्तन हो गये थे। कार्यक्रम के इस परिवर्तन के कारण क्या इसके लिये प्रस्तावित व्यय में भी संशोधन करना पड़ा यदि हां तो कितना?

श्री आर० जी० दुबे : अभी मैं नहीं बता सकता हूं कि क्या व्यय में कोई वृद्धि होगी। पहले प्राक्कलन ३० करोड़ रुपये का था। बाद में उसे घटाकर ८ करोड़ रुपया कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : तीस करोड़ से घटाकर आठ करोड़?

श्री आर० जी० दुबे : हां, श्रीमान्। बाद में इस पर पुनः विचार किया गया है। मैं कह नहीं सकता हूं कि क्या इस के फलस्वरूप किसी प्रकार की वृद्धि हुई है।

वाणिज्य प्रदर्शन कक्ष

*१३००. **श्री एल० जोगेश्वरसिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या इंगलैण्ड में भारतीय उच्च आयोग और अमरीका तथा जापान में भारतीय राजदूतावासों के साथ कोई वाणिज्यिक प्रदर्शन कक्ष खोले गये हैं ;

(ख) भारतीय उद्योग तथा दस्तकारी के वहां प्रदर्शित किये जाने वाले उत्पादन ; तथा

(ग) उन राज्यों के नाम जहां के उत्पादम प्रदर्शित किये गये हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां।

(ख) तथा (ग) . सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ४, अनुबन्ध संख्या ७६]**

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : अब तक इस सम्बन्ध में कितना रुपया खर्च किया गया है?

श्री करमरकर : इस प्रश्न के लिये मुझे सूचना की आवश्यकता है।

श्री एल० जोगेश्वर सिंह : विवरण में अनेक ऐसे राज्यों के नाम मुझे मिले हैं जिनके उत्पाद विदेशों में भारतीय प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित किये गये हैं परन्तु मनीपुर राज्य का नाम मैंने नहीं देखा। क्या सरकार का मनीपुर राज्य के हथ-करघा उत्पादों की कलामय वस्तुओं को विदेशों के इन भारतीय कक्षों में प्रदर्शित किये जाने के लिये भेजने का विचार है?

श्री करमरकर : हम इस पर विचार करेंगे कि क्या मनीपुर राज्य की वस्तुओं को विदेशों में प्रदर्शित कराना व्यावहारिक है।

डा० सुरेशचन्द्र : क्या औरंगाबाद—हिमरू तथा मशरू—के विश्वविख्यात उत्पाद कभी विदेशों के भारतीय वाणिज्य प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित किये गये हैं ?

श्री करमरकर : खयाल तो मेरा ऐसा ही है ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या भारतीय दस्तकारी के उत्पाद लंदन स्थित भारतीय सहकारी संघ के प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शित किये जाते हैं, यदि, हां, तो इस सहकारी संघ को कितना किराया दिया जाता है ?

श्री करमरकर : भारतीय सहकारी संघ का अब कोई प्रदर्शन कक्ष नहीं है ।

पाकिस्तान को कोयला

***१३०१. श्री भागवत झा आजाद** : क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से साधारण कोटा से अधिक कोयला भेजने के लिये, कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) पूर्वी तथा पश्चिमी पाकिस्तान को कितना मासिक कोटा भेजा जाता है; तथा

(ग) दिसम्बर १९५३ में तथा जनवरी १९५४ में पाकिस्तान को कितना कोयला भेजा गया था?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) नहीं।

(ख) मार्च १९५३ में, दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों में जो व्यापार वार्ता हुई थी, उस में ८१,००० टन का मासिक कोटा निश्चित हुआ था जो इस प्रकार भेजा जाना था :

पूर्वी पाकिस्तान	४८,००० टन
पश्चिमी पाकिस्तान	३३,००० टन

र भी पाकिस्तान सरकार द्वारा कोयला आयुक्त, भारत से वस्तुतः कम मांग की गई है ।

(ग) दिसम्बर १९५३–४५,३९३ टन; जनवरी १९५४–५१,०५१ टन ।

इस में इन दो महिनों में, पूर्वी पाकिस्तान को भेजा गया ४,१८६ टन आसाम का कोयला शामिल नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्योंकि भाग (क) का उत्तर 'नहीं' में है इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार से कोयला साधरण समुद्री मार्ग के अलावा अन्य मार्गो से भी भेजने के लिये कहा था ?

श्री आर० जी० दुबे : जैसा कि में पहले बतला चुका हूं हम पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को दो मार्गो से कोयला भेजते हैं—रेल एवं नदी मार्ग और समुद्र मार्ग । यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने रेल द्वारा मोगलसराय हो कर और अधिक कोयला भेजने के लिये कहा था ।

श्री भागवत झा आजाद : पश्चिमी पाकिस्तान को रेल द्वारा कोयला भेजने से क्या स्थानीय उपभोक्ताओं को कोई कठिनाई उठानी पड़ेगी ?

श्री आर० जी० दुबे : जी हां । स्थिति इस प्रकार है, यदि पाकिस्तान की रेल द्वारा कोयला भेजने की मांग को हम पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो हमें १५०० डब्बों की आवश्यकता होगी जब कि पाकिस्तान ने हमको केवल १००० से १२०० तक डब्बे दिये हैं। इसके अलावा यदि हम मोगलसराय होकर और अधिक कोयला ले जाते हैं तो स्थानीय उपभोक्ता अपने कोटे से वंचित रह जायेंगे ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान को कुल कितने कोयले कि आवश्यकता होती है और उसका कितना भाग भारतीय कोयले से पूरा होता है तथा क्या पाकिस्तान को कोयले की सप्लाई बढ़ाने की सम्भावनाओं पर विचार किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : यह बतलाना बहुत ही कठिन है कि पाकिस्तान को कुल कितने कोयले की आवश्यकता होती है किन्तु १९५२ के आंकड़े इस प्रकार हैं :

रेल और समुद्री मार्गों से ११,४३,८७० टन कोयला भेजा गया था किन्तु बांद में कमी हो गई थी ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जानना चहता ...

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस बात पर विचार नहीं किया है कि उनको कितना चाहिये और वे कितना दे सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान को अधिक कोयले की आवश्यकता है क्या वह बदले में पटसन देने के लिये तैयार है और क्या भारत सरकार पाकिस्तान को अधिक कोयला भेजने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं है किन्तु १९५२ में जो वार्त्ता हुई थी उसमें पटसन के विषय पर भी बातचीत हुई थी लेकिन अब वह विषय सरकार के सामने नहीं है ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि उत्तरी बंगाल और आसाम को कोयला सप्लाई करने के सम्बन्ध में डब्बों की कमी के कारण कठिनाई का अनुभव करना पड़ा था ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में पहले भी एक माननीय सदस्य ने उत्तरी बंगाल को कोयले की सप्लाई के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । आसाम के बारे में मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं । रेलवे द्वारा पाबन्दियां लगा देने के कारण यह कठनाई उत्पन्न हो गई थी । मुझे पता लगा है कि हाल ही में सरकार ने विशेष आदेशों के अन्तर्गत वहां अधिक कोवला भेजना आरम्भ कर दिया है ।

नमक

*१३०४. **श्री रघुरामय्या** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;

(क) क्या सरकार ने १९५३ में आन्ध्र राज्य में बने कुछ नमक को मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त घोषित किया है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार घोषित किये गये नमक की अनुमानित मात्रा क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी दुबे) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ३,६५,००० मन । नमक शुद्धता के निर्धारित प्रमाप तक नहीं पहुचा था ।

श्री रघुरामय्या : सरकार को कम से कम कितने प्रतिशत सोडियन कलोराइड की आवश्यकता होती है ?

श्री आर० जी० दुबे : १९५३ में सोडियम क्लोराइड का प्रमाप ९३·५ प्रतिशत निर्धारित किया गया था । चालू वर्ष के लिये यह ९४ प्रतिशत है ।

श्री रघुरामय्या : क्या इस प्रकार के अभिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं कि सरकार द्वारा उच्च प्रतिशत निर्धारित करने से बहुत से गरीब व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है और क्या सरकार से यह प्रार्थना

नहीं की गई थी कि वह इसे एक विन्दु कम कर दे ?

श्री आर० जी० दुबे : हो सकता है अभिवेदन प्राप्त हुए हों, इस विशेष मामले के बारे में मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं । सरकार प्रत्येक अभिवेदन पर उसके गुणों के आधार पर विचार करती है और कुछ रियायत भी कर देती है ।

श्री नानादास : नमक की किस्म के सम्बन्ध में प्रमाणीकरण करने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है ? प्रमाणीकरण कौन सा प्राधिकार करता है ?

श्री आर० जी० दुबे : मेरे विचार में जगह जगह पर अनुसन्धान प्रयोगशालायें बनी हुई हैं। वही निर्धारित करती हैं।

श्री नानादास : प्रमाणीकरण प्राधिकारी किसी विशेष पक्ष से प्रभावित न हो जायें इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का कभी अन्त न होगा ! अगला प्रश्न ।

शक्तिजनक मद्यसार

*१३०५. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितनी फर्में शक्तिजनक मद्यसार बना रही हैं ; तथा

(ख) उसी काल में इस उद्योग से कुल कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारत में १९ भट्टियां ऐसी हैं जिन में शक्तिजनक मद्यसार बनाने की व्यवस्था है लेकिन इस समय इन में से केवल १५ में शक्तिजनक मद्यसार बनाया जा रहा है ।

(ख) १९५३ में कुल ८२,३३,००० रुपये उत्पादन शुल्क के रूप में प्राप्त हुए ।

श्री के० सी० सोधिया : शक्तिजनक मद्यसार किस वस्तु से बनाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : शीरा ।

श्री के० सी० सोधिया : अधिकतर फैक्टरियां कहां पर स्थित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं सदन पटल पर फैक्टरियों की एक सूची रख दूंगा ।

श्री दाभी : क्या शक्तिजनक मद्यसार महुए के फूलों से भी बनाया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसका प्रयोग किया जा सकता है । लेकिन मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता हूं कि इसका प्रयोग किया भी जाता है या नहीं ।

श्री सी० डी० पांडे : क्या सरकार को मालूम है कि फैक्टरियां अपनी सामर्थ्य भर उत्पादन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि सरकार उस कानून को लागू करने में असफल रही है जो १६ महीने पहले बनाया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं प्रश्न के पहले भाग का उत्तर 'हां' में दूंगा और दूसरे का 'ना' में ।

श्री विश्वनाथ राय : क्या प्रति वर्ष भारत में जितना शीरा उत्पन्न होता है उस सब को फैक्टरियां प्रयोग में ले आती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह भारत में उत्पादित शीरे को प्रयोग में लाने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि

फैक्टरियों या उन के आस पास जो शीरा बनता है उसका प्रयोग किस प्रकार से हो। अक्सर यह होता है कि शीरे की कमी के कारण कुछ फैक्टरियों को बन्द हो जाना पड़ता है।

श्री टी० एन० सिंह : शक्तिजनक मद्यसार फैक्टरियां अपने सामर्थ्य भर उत्पादन क्यों नहीं कर पा रही हैं ? कारण क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न इस बात का है कि शक्तिजनक मद्यसार की कितनी निकासी होती है। जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है शक्तिजनक मद्यसार का प्रयोग अपने आप से नहीं किया जा सकता है। उसे पेट्रोल में मिलाना पड़ता है। शक्तिजनक मद्यसार किस कीमत पर खरीदा जा सकता है और पेट्रोल में मिलाया जा सकता है बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि बन्दरगाह वाले शहरों से पेट्रोल मंगवाने पर कितना भाड़ा देना पड़ता है। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि भाड़ा अधिक है तो शक्तिजनक मद्यसार को मिलाया जा सकता है। यदि भाड़ा कम है तो मद्यसार के मूल्य से ही लोग चौंक जाते हैं। हम ने संग्रह मूल्य पर भी विचार किया है किन्तु अभी तक राज्य सरकारें इस पर सहमत नहीं हुई हैं और भारत सरकार भी यह अनुभव करती है कि कदाचित् संग्रह मूल्य के लागू करने में कुछ कठिनाई उठानी पड़े। वास्तव में, आधारभूत बात मूल्य की है।

श्री राधेलाल व्यास : मध्य भारत की ६ या ७ चीनी फैक्टरियों में जो शीरा निकलता है क्या वहां पर शक्तिजनक मद्यसार फैक्टरियां बना कर उसे प्रयोग में लाने की कोई योजना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्व सूचना दें तो मैं पता लगाने का प्रयत्न करूंगा।

श्री बंसल : क्या सरकार को यह मालूम है कि इस देश में विदेशी पेट्रोलियम हितों द्वारा मिश्रण के सम्बन्ध में पर्याप्त सुविधाएं न देना ही इस बात का मुख्य कारण है कि हमारी भट्टियां अपनी पूरी सामर्थ्य भर काम नहीं कर पा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री झुनझुनवाला : शक्तिजनक मद्यसार का उचित मूल्य क्या है जिस पर उसे खरीदा जा सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह बात क्षेत्र पर निर्भर करती है। शक्तिजनक मद्यसार का उचित मूल्य रेलवे भाड़े पर निर्भर करता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में पैट्रोल के लिये देना पड़ता है। यदि माननीय सदस्य मुझे पूर्वसूचना दें तो कदाचित मैं किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में शक्तिजनक मद्यसार के उचित मूल्य के सम्बन्ध में कुछ बता सकूं।

कागज़

*१३०६. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत कागज़ उत्पादन के विषय में आत्मनिर्भर हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब तक आत्मनिर्भर होने की सम्भावना है ;

(ग) भारत में किन किन स्थानों में चिकना कागज़ तैयार किया जाता है और देश की आवश्यकता का कितना भाग

देश में तैयार हुए कागज़ से पूरा होता है ; और

(घ) किन किन देशों से यह कागज़ मंगाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). इस प्रकार तैयार किये गये प्रश्नों का उत्तर देना कठिन है। फिर भी, योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि अखबारी कागज़ को निकाल कर देश में कागज़ और कागज़ बोर्ड की आवश्यकता १९५१ में १,७५,००० टन से बढ़ कर १९५६ में २,००,००० टन हो जायेगी। वर्तमान उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग १,४०,००० टन है। जो योजनाएं इस समय हाथ में हैं उनके अनुसार यह आशा की जाती है कि १९५६ में उत्पादन बढ़ कर लगभग २,१५,७०० टन हो जायेगा :

(ग) चिकना कागज़ इस समय केवल एक स्थान पर बनाया जाता है अर्थात्, त्रावनकोर-कोचीन राज्य के रेयनपुरम् में। १९५३ में देशी उत्पादन ३५५ टन था जब कि देश में प्रतिवर्ष १०००/१२०० टन की अनुमानित मांग है।

(घ) ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सीमा-शुल्क अभिलेखों में चिकने कागज़ का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया जाता है।

श्री गणपति राम : साधारण तथा चिकने कागज़ के उत्पादन में उद्योग प्रगति कर सके इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कायवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री दाभी : १९५२-५३ और १९५३-५४ में देश में हाथ से बने हुए कागज़ का कितना उत्पादन हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व-सूचना चाहिये।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या यह सच है कि कागज़ के उत्पादन के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कोई उचित सहायता नहीं दी गई है ? यदि दी गई है तो कितनी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मध्य प्रदेश राज्य सरकार की कागज़ फैक्टरी का प्रश्न तो बार बार ही उठ खड़ा होता है किन्तु उसका सम्बन्ध अखबारी कागज़ से है साधारण कागज़ से नहीं।

डा० सुरेश चन्द्र : क्या सरकार औरंगाबाद क्षेत्र के हाथ से कागज़ बनाने के उस उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है जिसका प्रयोग स्वयं महात्मा गांधी ने किया था ? क्या सरकार को मालूम है कि वहां पर हाथ से कागज़ बनाने का उद्योग है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूर्व सुचना चाहिये।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह : क्या सरकार को मालूम है कि टेहरी गढ़वाल में कागज़ बनाने का बहुत सा कच्चा माल उपलब्ध है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार को मालूम है कि टेहरी गढ़वाल में कागज बनाने का बहुत सा कच्चा माल मिलता है किन्तु यह मालूम नहीं कि इस कच्चे माल से कागज़ बनाना लाभदायक है अथवा नहीं।

श्री गणपतिराम : उत्तर प्रदेश में कागज की कितनी मिलें काम कर रही हैं तथा औद्योगिक वित्त निगम ने इस उद्योग को कितना ऋण दिया है ;

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

कुमारी-एनी मस्करीन : क्या त्रावनकोर-कोचीन में इस उद्योग को कोई विदेशी कम्पनी चला रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्या का अभिप्राय रेयनपुरम स्थित उद्योग से है ? उसे भारतीय कम्पनी चलाती है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : कागज़ के कुल उत्पादन में से कितना प्रतिशत उत्पादन विदेशी कम्पनियों के हाथ में है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं आप की बात सुन नहीं सका क्योंकि पीछे कुछ लोग बोल रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया बातें न करें ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : देश में उत्पादित कुल कागज में से कितने प्रतिशत का उत्पादन केवल ब्रिटिश फ़र्मों के हाथ में है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास यहां बीस मिलों के नाम हैं । वे सब भारत में पंजीबद्ध हैं और इसलिये मैं समझता हूं वे भारतीय फ़र्म ही हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि कुल उत्पादन का ६२ प्रतिशत टीटागढ़ पेपर मिल्स के हाथ में है, जो कि मुख्यतः एक ब्रिटिश कम्पनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो अपने अपने दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। मेरे दृष्टिकोण से तो इसमें अन्तर नहीं है। मैं इसे समदृष्टि से देखता हूं ।

पुनर्वास बोर्ड में हरिजन

*१३०७. **श्री पी० एल० बारूपाल :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुनर्वास बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालयों में कितने कर्मचारी हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न हिन्दी में है, इसलिये माननीय मंत्री जी मुझें उत्तर हिन्दी में देने का कष्ट करें ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : डिस्प्लेस्ड हरिजन रिहैबिलीटेशन बोर्ड बन्द कर दिया गया है ।

मैंगनीज़ की खानें

*१३०८. **श्री बोडयार :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत के विभिन्न भागों में कितनी मैंगनीज़ की खानों म काम चालू है ;

(ख) क्या सरकार को पता चला है कि इस महत्वपूर्ण धातु को खान से निकालने के बाद काफी बड़ी मात्रा में बेकार फेंक दिया जाता है; तथा

(ग) सरकार इस विषय में क्या क़दम उठा रही है जिससे मैंगनीज बेकार न फेंकने दिया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) लगभग २५० में ।

(ख) जी हां । ज्ञात हुआ है कि भारतीय खान विभाग को १९५० में यह बात पता चली थी कि मैंगनीज़ की खानों के कुछ मालिक कच्चे मैंगनीज़ को काफी मात्रा में बेकार फेंक देते हैं और मैंगनीज़ को खान से निकालने में भी काफी मात्रा नष्ट कर देते हैं ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७७]**

श्री वोडयार : खानों की राज्यवार संख्या क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य एक अतारांकित प्रश्न की पूर्व-सूचना दें तो यह सूचना उन्हें मिल सकती है ।

श्री करमरकर : जी हां ।

श्री जांगड़े : क्या केन्द्रीय सरकार ने मध्य प्रदेश में मैंगनीज़ साफ़ करने का यंत्र स्थापित किया है ?

श्री करमरकर : मुझे इसके लिये पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री वोडयार : देश में कितना मैंगनीज़ प्रयुक्त होता है और कितना निर्यात किया जाता है ?

श्री करमरकर : मेरे पास इसके अलग अलग आंकड़े अभी नहीं हैं ।

श्री टी० के० चौधरी उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध आन्तरिक उत्पादन और दुरुपयोग से है । आपका प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है? श्री टी० के० चौधरी ।

श्री टी० के० चौधरी : आपने अभी जो कहा उसको ध्यान में रखते हुए मैं अपना प्रश्न पूछना नहीं चाहता ।

श्री बासप्पा : आजकल की युद्ध-प्रणाली में मैंगनीज के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस धातु के पिघलाने और उसको किसी प्रकार से काम में लेने का कोई उद्योग आरम्भ करने क विचार कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इस धातु का उपयोग करने के बारे में सरकार कुछ सोच रही है ?

श्री करमरकर : मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या सरकार को पता है कि आज यह उद्योग भारत के बहुत लाभप्रद उद्योगों में से एक है, लेकिन फिरभी इस उद्योग में मजदूरों की हालत बहत शोचनीय है ?

श्री करमरकर : जहां तक मैं समझता हूं यह लाभप्रद ही है । मजदूरों की हालत के बारे में मुझे सूचना नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न लज़दूरों के बारे में नहीं है । माननीय सदस्य का प्रश्न यहां केसे उत्पन्न होता है?

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि खान अधिनियम इस उद्योग पर लागू नहीं होता ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न धातु के उत्पादन, उपयोग और दुरुपयोग के बारे में है । क्या खान अधिनियम दुरुपयोग से संबंधित है ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : जी हां, इस का धातु के निकाले जाने से संबंध है । धातु का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार का उस पर नियत्रंण नहीं है ।

श्री करमरकर : मेरे विचार में खान अधिनियम मज़दूरों के बारे में है ।

श्री वोडयार : क्या.....

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

गेहूं के आटे का निर्यात

*१३१०. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जब से सरकार ने गेहूं के आटे के निर्यात की अनुमति दी है, तब से अब तक कितना आटा बाहर भेजा गया है,

(ख) यह किन किन देशों को निर्यात किया गया है ; तथा

(ग) निर्यात का कुल मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) २२ फरवरी १९५४ तक ८०५ टन।

(ख) बरमा, इन्डोनेशिया, बहरीन, मस्कत कुवाएत, ग्वाडर, दुबाई, कातर तथा सेशिलीज को।

(ग) ४,०२,५४० रुपये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस अवसर पर एक बात यह कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के घंटे में सरकारी मंत्रालयों के सब ही मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहना चाहिये। अनुपूरक प्रश्नों के समय, कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं, जो कि दूसरे मंत्री को मालूम होते हैं, जैसे अभी पिछले प्रश्न में ही यह बात उठी थी कि क्या श्रम संबंधी कानून खानों पर लागू होते हैं या नहीं। माननीय सदस्य को एक अलग प्रश्न पूछने की क्यों जरूरत होती ? पूरा मंत्रि-मंडल संयुक्त रूप से कार्य करता है। यदि संबंधित मंत्री मौजूद हों तो वह उसका उत्तर दे सकते हैं। जहां तक संभव हो, उन्हें इसे एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में नहीं भेजना चाहिये। यदि माननीय मंत्रियों के पास सूचना हो ती उन्हें या उपमंत्रियों को उसे देनी चाहिये।

श्री एन० एल० जोशी : सरकार निर्यात क्यों करने दे रही है ? क्या हमारे यहां आटें का अतिरेक हैं ?

श्री करमरकर : अतिरेक का कोई प्रश्न नहीं हैं। आटे की मिलें अपने युद्ध पूर्व बाजारों को फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। इसलिये हम उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, परन्तु हमने ५०,००० टन की अधिकतम सीमा निश्चित कर दी है।

श्री के० पी० सिन्हा : केन्द्रीय संग्रह से आटे की मिलों को अब तक कुल कितना गेहूं दिया गया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

श्री के० पी० सिन्हा : क्या कलकत्ते के निर्यात नियंत्रण अधिकारियों को यह अनुदेश दे दिये गय हैं कि वे गेहूं के आटे के निर्यात का परमिट दे दें; यदि हां तो कब ?

श्री करमरकर : निर्यात तब होगा जब वे यह समझेंगे कि वे निर्यात कर सकते हैं। हां, अनुदेश २०-२-५४ को जारी किये गये थे।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या आयात किये गपे गेहूं का आटा निर्यात किया जाता है या देशी गेहूं का आटा ?

श्री करमरकर : आप यह पूछना चाहते हैं कि क्या गेहूं के आयात के लिये अनुमति की आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि देशी गेहूं का निर्यात किया जाता है या आयात किये गये गेहूं का ?

श्री करमरकर : पहले तो हमने देशी गेहूं ही खरीदने के लिये ही कहा था, परन्तु जब हम से यह कहा गया कि यह ज्यादा मंहगा पड़ता है तो हमने उन्हें ५०,००० टन की अधिकतम सीमा तक गेहूं आयात करने की अनुमति दे दी थी।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जान सकता हूं कि जब हम गेहूं का आयात कर रहे हैं तो गेहूं के आटे का निर्यात क्यों होने दे रहे हैं ?

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

मनीपुर में हथकरघा उद्योग

*१३११. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **वणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा जांच समिति ने मनीपुर का दौरा किया था ;

(ख) मनीपुर में हथकरघा उद्योग की कमी और असुविधायें क्या क्या हैं ; तथा

(ग) मनीपुर में हथकरघा उद्योग की सहायता, विकास और सुधार के लिये सरकार किन योजनाओं पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी):

(क) जी हां ।

(ख) मनीपुर में इस उद्योग की कठिनाइंया ये बताई जाती हैः–

(१) सूत का सस्ते दामों पर मिलना ;

(२) तैयार माल का विक्रय; तथा

(३) इम्फाल में एक रंगाई का कारखाना स्थापित किया जाना।

(ग) चालू वर्ष में मनीपुर राज्य को अब तक जो वित्तीय सहायता दी गई है उसका विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७८]** राज्य सरकार अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड को और जो योजनायें प्रस्तुत करेगी उन पर सरकार विचार करने के लिये तैयार है ।

श्री रिशांग किशिंग: क्या माननीय मंत्री बता सकते हैं कि कितने करघे काम में लाये जा रहे हैं और सूत की वार्षिक खपत कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मैं यह नहीं बता सकता ।

श्री रिशांग किशिंग: क्या सरकार को पता है कि पहाड़ के लोग बराबर यह मांग करते रहे हैं कि मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम परगना सदर मुकामों में ही बुनाई के स्कूल खोले जांय ? यदि ऐसा है, तो सरकार इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कौन से स्कूल ?

उपाध्यक्ष महोदय: टेक्सटाइल स्कूल ?

श्री रिशांग किशिंग: बुनाई के स्कूल

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: हमसे सरकार ने ऐसी कोई बात नहीं की है।

श्री रिशांग किशिंग: क्या विवरण में उल्लिखित योजनाओं को चालू वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: ऐसी ही आशा की जाती है ।

गोआ

*१३१२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९५४ के अन्तिम सप्ताह में गोआ के एक पुलिस अफसर ने गोआ स्थित भारतीय वाणिज्य दूत की पत्नी के साथ अनुचित व्यवहार किया ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). बताया जाता है कि १७ फरवरी, १९५४ को वाणिज्य दूत अपनी पत्नी के साथ डा० पी० गेटोन्डे के यहां कार में गये। डा० गेटोन्डे भी उनके साथ थे। ज्योंही वाणिज्य दूत की पत्नी कार से उतरीं, सादे वस्त्रों में एक व्यक्ति ने, जिसे पुर्तगाली पुलिस एजेन्ट बताया जाता है, उनके हाथ से कैमरा छीन लिया और भाग गया। बाद में पुलिस कमिश्नर से शिकायत करने पर कैमरा वाणिज्य दूत को वापस कर दिया गया था। वाणिज्य दुत ने गोआ के गवर्नर जनरल को इस घटना के संबंध में विरोध पत्र भेजा है।

श्री भागवत झा आजाद : भारत सरकार ने इस घटना के बारे में जो विरोध पत्र भेजा था उसका क्या उत्तर मिला ?

श्री अनिल के० चन्दा : उन्होंने इस बात से इन्कार किया है—वे वह नहीं मानते कि वह कोई पुलिस का आदमी था।

श्री भागवत झा आजाद : चूंकि अब यह घटनायें बहुत हो रही हैं और भारत सरकार बराबर विरोध-पत्र भेज रही है परन्तु फिर भी आज सवेरे दो भारतीयों को जबरदस्ती वहां उठा कर ले जाया गया और पीटा गया, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है।

श्री अनिल के० चन्दा : इस विषय पर अनुदानों की मांगो पर चर्चा होने के समय खूब अच्छी तरह से बहस हो चुकी है।

श्री बेली राम दास : इसका नतीजा क्या हुआ ?

शीशा

*१३१३. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कितना शीशा आयात किया गया और वह किन देशों से आयात किया गया ;

(ख) भारत में शीशे के कितने कारखाने काम कर रहे हैं ;

(ग) सरकार ने इस उद्योग के विकास के लिए क्या कार्यवाही सोची है ;

(घ) १९५३-५४ में औद्योगिक वित्त ने शीशा उद्योग के किन समवायों को ऋण दिये और ये ऋण किस आशा के आधार पर दिये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण जिस में १९५२-५३ में देशानुसार आयात किये गये शीशे और शीशे के बर्तनों का मूल्य दिखाया गया है सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७९]**

(ख) इस समय ७६ कारखाने उत्पादन कर रहे हैं।

(ग) पंच वर्षीय योजना में जिस विकास कार्यक्रम का विचार किया गया है उस में शीशे का उद्योग सम्मिलित है। योजना आयोग के कार्य के कार्यान्वित करने के लिए एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है।

(घ) १९५३-५४ में औद्योगिक वित्त निगम ने किसी शीशे के समवाय को ऋण नहीं दिया।

श्री गणपति राम : क्या यह सच है कि देशी उत्पादन की किस्म घटिया है, और यदि ऐसा है तो इसे सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री करमरकर : ऐसा कह देना बहुत बड़ी बात है। कुछ परिस्थितियों में किस्म भले ही घटिया हो परन्तु अधिकतया यह संतोशजनक है।

श्री मेघनाद साहा : क्या सोदेपुर शीशे के कारखाने को औद्योगिक वित्त निगम ने ऋण दिया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जा चुकी है।

श्री करमरकर : यह पुरानी बात है, यह १९५३-५४ से पहले हुई थी।

श्री टी० ऐस० ए० चेटियार : क्या दक्षिण भारत के कारखाने बन्द होने को हैं और क्या उन्होंने सहायता के लिए प्रार्थना की है ?

श्री करमरकर : मुझे ऐसी किसी प्रार्थना का पता नहीं।

श्री गणपति राम : उत्तर प्रदेश में कितने शीशे के कारखाने चल रहे हैं ?

श्री करमरकर : मेरे पास यह जानकारी नहीं है।

दुर्गापुर नहर परियोजना में मजदूरों की हड़ताल

*१३१४. **श्री संगण्णा :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर नहर परियोजना पर दामोदर घाटी निगम के ४००० मजदूरों ने ९ मार्च १९५४ को हड़ताल की थी ; और,

(ख) यदि ऐसा है तो हड़ताल के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) उन्होंने अपनी सेवा की शर्तों में सुधार और अन्य सुविधाय मांगी थीं, उनकी मुख्य मांग यह थी कि १ रुपया आठ आने प्रति दिन की जो मजदूरी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन बंगाल सरकार ने विहित की हुई ह उसे बढ़ा कर ३ रुपये ८ आने प्रति दिन कर दिया जाये।

श्री संगण्णा : क्या हड़ताल की पूर्व सूचना दी गई थी ?

श्री हाथी : जी हां, उन्होंने सूचना दी थी।

श्री एन० बी० चौधरी : क्या अब हड़ताल बन्द हो चुकी है और वह किन शर्तों पर बन्द हुई है ?

श्री हाथी : हड़ताल बन्द हो गई है मजदूरी १ रुपया ८ आने से क्रमानुसार १ रुपया १० आने और १ रुपया १२ आने कर दी गई है।

श्री तुषार चटर्जी : क्या यह सच है कि हड़तालियों को दबाने के लिये सेना बुलाई गई थी ?

श्री हाथी : जी नहीं। हड़तालियों को दबाने के लिये सेना नहीं बुलाई गई।

श्री बी० एस० मूर्ति: क्या हड़ताल के दिनों की मजदूरी दी जायगी ?

श्री हाथी : दामोदर घाटी निगम और मजदूर संघ के बीच इन बातों पर चर्चा हो रही है, परन्तु संघ ने हड़ताल तुरन्त बन्द कर दी है, बढ़ाई गई मजदूरी दी जा रही है।

श्री बी० के० दास : इस हड़ताल से किन विभागों पर प्रभाव पड़ा है ?

श्री हाथी : मुख्यत: मेकेनिकल विभाग पर।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

छोटे पैमाने के उद्योग

*१२९८. **श्री मुनिस्वामी :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९४८ से छोटी कोटि के उद्योग आरम्भ करने के लिए कितना प्रोत्साहन दिया है ;

(ख) १९४८ से उन्हें कितनी वित्त सहायता ही गई है ;

(ग) १९५१-५२ और १९५२-५३ में मद्रास राज्य में ऐसे उद्योगों को कितना प्रोत्साहन दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस० ९४/५४]**

गोआ के साथ व्यापार

*१३०२. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत तथा गोआ के बीच १९५२-५३ में और १९५३-५४ में अब तक कितने मूल्य का व्यापार हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : १९५२-५३ और १९५३-५४ में (दिसम्बर १९५३ तक) गोआ से आयात और गोआ को निर्यात दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४०]**

उपकर निधि में से हैदराबाद को अनुदान

*१३०३. **श्री माधव रेड्डी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथ से काते कपड़े पर उपकर निधि में से कुल कितनी राशि अब तक हैदराबाद के लिए नियत की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : ऋणों और अनुदानों के रूप में दी गई कुल राशि १३,३९,३०० रुपये है।

अंक २ वृहस्पतिवार,
संख्या ३० २५ मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

———:०:———

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
उत्तरपूर्वी सीमा अभिकरण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की टिप्पणी [पृष्ठ भाग २०१९—२०२०]
फ्रेंच भारतीय बस्तियों में स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य [पृष्ठ भाग २०२०—२०२४]
सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन [पृष्ठ भाग २०२४—२०२५]
अनुदानों की मांगें—
मांग संख्या ११—रक्षा मंत्रालय [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
मांग संख्या १२—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
मांग संख्या १३—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी नौ सेना [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
मांग संख्या १४—रक्षा सेवायें—क्रियाकारी वायु सेना [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
मांग संख्या १५—रक्षा सेवायें—अक्रियाकारी व्यय [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
मांग संख्या १६—रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्य [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
मांग संख्या ११४—रक्षा पर पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २०२५—२०९१]
सदन का कार्यक्रम [पृष्ठ भाग २०९१—२०९२]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

53 PSD

(मूल्य ६ आने)

लोक-सभा

बृहस्पतिवार, २५ मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२.५८ म० पू०

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की टिप्पणी

श्री के० पी० त्रिपाठी (दरांग): एक जानकारी चाहता हूं । कल एक गोपनीय प्रलेख के बारे में यह वचन दिया गया था कि उसे पटल पर रख दिया जाएगा । मैं उसे यहां नहीं पा रहा हूं । क्या उसे आज रख दिया जाएगा ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री श्री अनिल के० चन्दा) : आपकी अनुमति से मैं सदन पटल पर उत्तर पूर्वी सीमा अभिकरण के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री की टिप्पणी, जिस के कुछ भाग मैंने कल पढ़ कर सुनाए थे, की एक प्रति पटल पर रख रहा हूं । [**पुस्तकालय में रखी गई, देखिए** संख्या एस—९२/५४]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य का निर्देश इसी प्रलेख की ओर था ?

श्री के० पी० त्रिपाठी : हां, श्रीमान ।

फ्रेंच भारतीय बस्तियों में स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री वल्लाथरस द्वारा नियम २१५ के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है जिसमें प्रधान मंत्री का ध्यान एक सार्वजनिक महत्व के विषय, अर्थात फ्रेंच भारतीय बस्तियों के आस पास के भारतीय क्षेत्रों में फ्रेंच पुलिस की अंधेरगर्दी की ओर दिलाया गया है और उनसे यह निवेदन किया गया है कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षामंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): श्रीमान, अच्छा हुआ कि मुझे सदन को इस विषय में अब तक की स्थिति के बारे में जहां तक वे हमें ज्ञात है, जानकारी देने का अवसर प्राप्त हुआ । सरकार को फ्रेंच बस्तियों तथा सीमाओं की वर्तमान स्थिति का बहुत ध्यान रहता है । सदन को ज्ञात है कि कुछ दिन हुए वहां की सरकार के लगभग सभी मंत्रियों तथा पांडीचेरी के सभी कम्यूनों (नगर परिषदों), अर्थात उनके सदस्यों तथा मेअरों ने सर्व सम्मति से यह संकल्प पारित किए थे कि बिना किसी जनमत संग्रह के इन बस्तियों को तुरन्त ही भारत में विलीन कर दिया जाए । यह संकल्प उन्होंने फ्रेंच गणराज्य के राष्ट्रपति तथा फ्रांस के अन्य कई

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

एक पदाधिकारियों को भेजा है । इसकी एक प्रति मुझे भी भेजी गई । कल कराइकल के सभी कम्यूनों ने—जो सम्भवतः छः हैं—एक ऐसा ही संकल्प पारित किया है । यह सभी संकल्प एक ही प्रकार के हैं । मैं इसे पढ़े देता हूं.....

".....हम कराइकल इत्यादि छः कम्यूनों की नगर परिषदों के सदस्य आदर-पूर्वक आपको अपना यह संकल्प भेज रहे हैं जो हमने सर्वसम्मति से पारित किया है । यहां की जनता की इच्छा इस समय, जनमत संग्रह के बिना ही, पूर्णतया भारत संघ में विलय के पक्ष में है । अतः हम फ्रेंच सरकार से यह प्रार्थना करते हैं कि इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाए ।

हस्ताक्षर....."

माही, यूनान तथा एक छोटे से गांव को छोड़ कर इन फ्रेंच बस्तियों के सभी कम्यूनों ने इस प्रकार का संकल्प पारित कर दिया है । इन बस्तियों की जनसंख्या लगभग ३,२०,००० है, जिस में से पांडीचेरी में २,२०,००० है और कराइकल में ७०,००० है । इसका अधिकांश कराइकल तथा पांडीचेरी में है और उन स्थानों में सभी मेयरों एवं परिषद् सदस्यों ने सर्व सम्मति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया है । इन बस्तियों की ओर से इससे अधिक स्पष्ट, प्रभावपूर्ण एवं विस्तृत मतदान और क्या हो सकता है । जब हमने इसके विषय में सुना तो सोचा कि इन बस्तियों की राज्य सत्ता भारत संघ को वस्तुतः हस्तांतरित कर दी जायगी और इसमें कोई कठिनाई आगे नहीं उपस्थित होगी । एक वर्ष या इससे कुछ अधिक समय पूर्व हमने फ्रांसीसी सरकार को यह सुझाव दिया था कि वस्तुतः हस्तांतरण हो जाना चाहिये, यद्यपि वैधानिक औपचारिकतायें बाद को की जा सकती हैं । उस समय वे इसके लिये सहमत नहीं हुये थे । इन प्रस्तावों को सुनने के पश्चात हमने फ्रांसीसी सरकार का ध्यान अपने सुझाव की ओर पुनः आकर्षित किया और कहा कि अब वस्तुतः हस्तांतरण का समय आ गया है । वास्तव में, छोटी छोटी समावृत बस्तियों के सम्बन्ध में जिनमें तीन-चार गांव सम्मिलित हों और जो भारत के बीच में स्थित हों लोकमत लेने का प्रश्न कि उनको भारत संघ में होना चाहिये अथवा नहीं, भद्दा लगता है, मानों भारत के तीन चार गांव या देश का कोई एक गांव ही इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न को तय कर सकता है कि विलय होना चाहिये या नहीं । वस्तुतः इन बस्तियों को भारत में मिलना था ही और मिलेंगी भी । इस स्पष्ट तर्क के अतिरिक्त इस तथ्य के होते हुए कि उनके सभी प्रतिनिधियों ने ज़ोर देकर विलय के पक्ष में घोषणा कर दी है इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के तर्क की कोई सम्भावना नहीं रह गई है । अतः हमने फ्रांसीसी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है, किन्तु हमें उनका उत्तर नहीं मिला है, यद्यपि समाचार पत्रों में इसका कुछ निर्देश है । ज्यों ही इन बस्तियों द्वारा ये प्रस्ताव पास किये गये वहां के अधिकारियों ने एक एसा रुख ग्रहण किया है जिसे मैं केवल संक्षेप में ही बताना चाहता हूं । इन मेयरों, नगर परिषद के सदस्यों तथा विलय आन्दोलन के नेताओं को डराने के लिये उन्होंने धमकी देने वाले भिन्न-भिन्न उपायों का प्रयोग किया जिससे वे अपना यह विचार बदल लें और यह प्रकट किया जा सके कि फ्रांसीसी बस्तियों के लोग भारत में विलय के पक्ष में नहीं है । स्थानीय फ्रांसीसी प्रशासन ने अपने सभी अफसरों तथा सेवा निवृत्त अधिकारियों से कहा कि वे फ्रांसीसी शासन को चालू रखे जाने के पक्ष में तार पेरिस को भेज दें तथा कुछ अफसर पांडीचेरी के अन्य कम्यूनों को फ्रांस के पक्ष में सेवा

निवृत्त अधिकारियों से अन्य घोषणाएं कराने के लिये भेजे गये वस्तुतः हिंसा का प्रयोग किया गया, और हमें सूचना मिली है कि उनमें से बहुत से लोगों को जो गुंडों की तरह के थे, इन दलों के नेताओं के पास भेजा गया था—इनमें से प्रमुख दल फ्रेंच भारतीय समाजवादी दल था। उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, और हमें बताया गया है कि लज्जाजनक व्यवहार भी उनके साथ किया गया। अन्य लोग मेयरों तथा परामर्शदाताओं के घरों को गये और निन्दनीय नारे लगा कर उनको डराने का प्रयत्न किया। पुलिस ने भी इसमें भाग लिया, उसने इन सभी बस्तियों में जाकर यह बताया कि यदि वे विलय के पक्ष में प्रदर्शन करते हैं अथवा यदि भारत के पक्ष में अपना विचार प्रकट करते हैं तो उनका बड़ा बुरा हाल होगा। पांडिचेरी में पुलिस स्पष्टतः एक जिज्ञासापूर्ण ढंग से व्यवहार करती है। ज्ञात होता है कि पांडीचेरी की पुलिस ने लोगों को डराने के लिये आन्दोलन के कुछ नेताओं तथा मेयरों के पुतलों को सड़कों पर निकाला। फ्रांसीसी बस्तियों में यह सभी कुछ हुआ।

किन्तु कल एक और घटना घटी है जो इससे भी अधिक गम्भीर प्रकार की है। मेयरों में से एक ने स्पष्ट रूप से भारतीय सीमा में शरण ले ली थी। सम्भवतः सदन को ज्ञात नहीं होगा कि वहां सभी प्रकार की बस्तियां हैं, अर्थात भारतीय सीमा में फ्रांसीसी समावृत्त बस्ती है तथा फ्रांसीसी सीमा में भारतीय समावृत्त बस्ती है। अतः मैं समझता हूं कि फ्रांसीसी सीमा में स्थित किसी एक भारतीय समावृत्त बस्ती में उक्त मेयर ने किसी भारतीय नागरिक के यहां शरण ली थी। फ्रांसीसी पुलिस अर्थात फ्रांसीसी बस्ती की पुलिस भारत की सीमा में घुस आई और मेयर को तथा सम्भवतः उन तीन भारतीयों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने प्रकट रूप से उसके साथ मित्रता का व्यवहार किया था और उन सबको वह अपनी सीमा में ले गई।

यह बड़ा ही गम्भीर मामला है। दो या तीन दिवस पूर्व हमने पेरिस में फ्रांसीसी सरकार व उनके भारत स्थित राजदूत तथा पांडीचेरी में स्थानीय रूप से स्थित अधिकारियों से विलय समर्थकों के ऊपर अनेक प्रकार की दमन कार्यवाहियों के बारे में विरोध प्रकट किया है। यह सूचना आज ही मिली है और हमने तत्काल ही इस पर कार्यवाही की है और यहां के फ्रांसीसी राजदूत तथा पांडीचेरी के अधिकारियों के पास इसको पहुंचा दिया है। फ्रांसीसी सरकार को भी यह सूचना दे दी जायगी। हमने केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं वरन् उस मेयर को जो ले जाया गया था, उसको तत्काल ही वापस कर देने तथा उन सिपाहियों को दण्ड देने की मांग की है जिन्होंने भारत की सीमा में यह अत्याचार किया था। हमने मद्रास सरकार के द्वारा भी कार्यवाहियां की हैं अर्थात मद्रास राज्य के सशस्त्र सिपाहियों को फ्रांसीसी बस्तियों के सशस्त्र लोगों, सिपाहियों तथा अन्य किसी भी सशस्त्र व्यक्ति को भारत की सीमा के अन्दर घुसने से रोकने के लिये नियुक्त कर दिया है। सदन के संमुख मुझे यही कहना था।

स्थिति स्पष्टतः परिवर्तनशील है और यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटी तो मैं सदन को उसकी सूचना दूंगा।

सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबन्धी समिति—

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा) : मैं सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थित

[श्री आल्तेकर]

करना चाहता हूं । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६४] ।

अनुदानों की मांगें —जारी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कांग्रेस दल तथा विरोधी दल को चर्चा में बराबर-बराबर बोलने का समय दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी दलों के लोगों को बोलने का अवसर दूंगा । अब हम सर्वप्रथम अनुदानों की मांग संख्यायें ११, १२, १३, १४, १५, १६ तथा ११४ पर विचार करेंगे और इसके पश्चात कटौती प्रस्तावों पर । सभी सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

वर्ष १९५५ के लिये अनुदानों की ये मांगें उपाध्यक्ष महोदय ने प्रस्तुत कीं :

मांग संख्या	शीर्ष	राशि
		रुपये
११	रक्षा मंत्रालय	२५,११,०००
१२	रक्षा सेवायें—क्रियाकारी सेना	१,४६,३६,३२,०००
१३	रक्षा सेवायें—क्रियाकारी नौ सेना ..	११,१६,३९,०००
१४	रक्षा सेवायें—क्रियाकारी-वायु सेना ..	३२,९१,२५,०००
१५	रक्षा सेवायें अक्रियाकारी व्यय	१४,४०,८३,०००
१६	रक्षा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय ..	५,१७,०००
११४	रक्षा पर पूंजी व्यय	१८,३७,९२,०००

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये ।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि
१२	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर)	युद्ध सामग्री कारखानों में कर्मचारियों का भारतीयकरण ।	१०० रु०
१२	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	कल्यानवाला समिति प्रति वेदन की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	१०० रु०
१२	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	स्टोरों के क्रय तथा विक्रय में चलने वाला भ्रष्टाचार ।	१०० रु०
१२	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	युद्ध सामग्री डिपो में कर्मचारियों की छटनी तथा उनको तंग किया जाना ।	१०० रु०
१२	श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी	नौ सेना के जहाजों की जीर्ण शीर्ण अवस्था ।	१०० रु०
१२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	कल्यानवाला समिति प्रतिवेदन में श्री सुब्रह्मण्यम् की सिफारिशों को कार्यान्वित करने में असफलता ।	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि
१२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	युद्ध सामग्री कारखानों के लिये पुनर-व्यवस्था समिति तथा युद्ध-सामग्री कारखानों के मजदूरों की छंटनी का प्रश्न।	१०० रु०
१२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	विदेशों में अफसरों के प्रशिक्षण पर व्यय में कमी करने में असफलता	१०० रु०
१४	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	देश में एक कुशल विमान तथा उड्डयन सम्बन्धी उद्योग स्थापित करने की कार्यवाहियों में असफलता।	१०० रु०
१२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	भारतीय अफसरों को प्रशिक्षण देने वाले इम्पीरियल डिफेन्स कालेज पर तथा आंग्ल अमरीकी विशेषज्ञों पर हमारी निर्भरता समाप्त कर देने में असफलता।	१०० रु०
१२	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	"जवानों" का एक अच्छे प्रकार से जीवन व्यतीत करने योग्य मजदूरी की व्यवस्था करने में असफलता।	१०० रु०
११	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	प्रस्तावित पेंशन दरें	१०० रु०
१२	श्री टी० के० चौधरी	एम० ई० एस० में सेवा की ठेका प्रणाली को जारी रखना।	१०० रु०
११	श्री टी० के० चौधरी	अंगरेजी राज्य के सामन्तशाही रक्षा प्रणाली से राष्ट्रीय रक्षा को अलग रखने में असफलता।	१०० रु०
१२	श्री टी० के० चौधरी	भारतीय नौ सेना को टूटे फूटे अंगरेज़ी युद्ध सम्बन्धी जहाज़ों की पूर्ति।	१०० रु०
१५	श्री रामचन्द्र रेड्डी	युद्ध सामग्री कारखानों की सैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता का बृहस्तर उपयोग।	१०० रु०
११	श्री रामचन्द्र रेड्डी	रक्षा का उचित आय व्ययक बनाना तथा व्यय की व्यवस्था करना।	१०० रु०
११	श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर)	सेवाओं का विशेष कर तीनों प्रकार की सभी सेवाओं के टेक्निकल यंत्रों कृत शस्त्रों का, आधुनिकीकरण।	१०० रु०

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि
१२	श्री एम० आर० कृष्ण (करीम नगर-रक्षित—अनुसूचित जातियां	डी० जी० एस० एण्ड डी० के द्वारा काम में आने वाले अतिरिक्त पदार्थों की अधिघोषणा तथा उत्सर्जन सम्बन्धी नीति।	१०० रु०
१२	श्री एम० आर० कृष्ण	अनुसूचित जातियों तथा आदिम-जातियों के बच्चों को किंग जार्ज स्कूल में प्रवेश के लिये शुल्क सम्बन्धी छट देने में असफलता।	१०० रु०

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव अब सदन के सम्मुख हैं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कटौती आधार	कटौती राशि
			रुपये
११	कुमारी एनी मस्करीन	अमेरिका पाकिस्तान सैनिक समझौते को ध्यान में रखते हुए, देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता।	१००
११	डा० एन० बी० खरे	सैनिक निवृत्ति वेतन के अनुदान को विनियमित करने के लिए संनिहित उपबन्ध करने में सरकार की असफलता।	१००
११	डा० एन० बी० खरे	सैनिक कर्तव्य पालन के कारण या उसके परिणामस्वरूप होने वाली पंगुता और मृत्यु के कारण देय निवृत्ति वेतन के लिए प्रशासनात्मक नियमों तथा अनुदेशों को बनाने में सरकार की असफलता।	१००
११	डा० एन० बी० खरे	पारिवारिक निवृत्ति वेतन के आजीवन अनुदान को जारी रखने में सरकार की असफलता।	१००
११	डा० एन० बी० खरे	रक्षा बलों के सदस्यों को देय निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में वैधानिक न्यायिक तथा कार्यपालिका सम्बन्धी कृत्यों को अलग करने में सरकार की असफलता।	१००
११	डा० एन० बी० खरे	सैनिक न्यायालयों द्वारा दिये दंड के मामलों की पुनरीक्षण में सरकार की असफलता।	१००

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव	कठौती आधार	कटौती राशि
११	श्री बूबराघसामी	राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के कार्यों के लिए सेना का यथासम्भव अधिकतम प्रयोग करने में सरकार की असफलता।	रुपये १००
११	श्री यू० सी० पटनायक	युद्ध के आधुनिक शस्त्रास्त्रों के आक्रमण का सामना करने के लिए रक्षा सम्बन्धी सामरिक नीति में परिवर्तन की आवश्यकता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	राष्ट्री रक्षा के लिए रक्षित सेना का अभाव।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	पर्याप्त नागरिक बलों को संगठित करने में असफलता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	शास्त्र कारखानों, डिपुओं और अन्य सैनिक प्रतिष्ठानों को पुनर्संगठित करने की आवश्यकता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	सैनिक इंजीनियरिंग सेवा का कार्यकरण।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षा सम्बन्धी सामान का बाहर से क्रय	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	असैनिक रक्षा एकक बनाने में अन्य मन्त्रालयों के साथ सहयोग करने में असफलता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	रक्षा को सामाजिक तथा आर्थिक-योजनाकरण के साथ सम्बद्ध करने में असफलता।	१००
११	श्री यू० सी० पटनायक	आर्डनेंस तथा अन्य सेवाओं के अनुभवी कर्मचारियों की छटनी।	१००

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव भी अब सदन के सामने हैं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : प्रधान मंत्री के हाल के भाषण से यह धारणा उत्पन्न होती है कि रक्षा के महत्व को कम करने की कोशिश की जा रही है। यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि इस समय विदेशी बस्तियों के सम्बन्ध में बहुत कड़ी कार्यवाही की जानी है। मैं यह सुझाव दूंगा कि इस नीति का अनुसरण करने के साथ साथ हमें अपनी रक्षा की शक्ति बढ़ाने की भी आवश्यकता है। यद्यपि हम युद्ध नहीं चाहते, फिर भी यह अत्यावश्यक है कि हम अपने आप को रक्षा के लिए तैयार करें। हम अपनी अहिंसा की नीति पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि विरोधी पक्ष इस अहिंसा

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

की भावना को आदर की दृष्टि से नहीं देखता। अहिंसा की भावना से हमें अपनी रक्षा करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमें अपने लौकिक राज्य की रक्षा के लिए सब प्रकार के उपाय करने पड़ेंगे और इस मामले में हम दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते।

पिछले तीन या चार वर्षों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों से पता चलता है कि रक्षा के सम्बन्ध में आय-व्ययक ठीक तरह से तैयार नहीं किया गया, गणना असंतोषजनक है आय-व्ययक प्राक्कलनों में जितने व्यय की व्यवस्था की जाती है, खर्च उतना नहीं किया जाता और प्रतिवर्ष बहुत सा रुपया बच जाता है। इससे मालूम होता है कि हमारी वास्तविक आवश्यकताओं का उचित अनुमान नहीं लगाया जाता है और खर्च भी कम किया जाता है। इन लेखा परीक्षा रिपोर्टों में, रक्षा आय व्ययक में और भी बहुत सी त्रुटियां बतलाई गई हैं। यह आश्चर्य की बात है कि इस विषय में पर्याप्त सावधानी से काम नहीं लिया जा रहा। एक वर्ष के आय व्ययक में उसी सामग्री के लिए दो बार १,०५,००,००० रुपये की व्यवस्था की गई थी और १९५०–५१ के अन्तिम प्राक्कलन में १,०७,००,००० की राशि छोड़ दी गई है। मैं इन बातों की ओर इस लिए ध्यान दिला रहा हूं कि यदि पिछले वर्षों में रक्षा आय-व्ययक सावधानी से तैयार किया जाता तो माननीय वित्त मंत्री को अधिक कर लगाने की आवश्यकता न पड़ती। इस वर्ष भी जब वास्तविक व्यय ज्ञात होगा, तो बहुत सी बचत दिखाई देगी। इस बचत के कारण अधिक करारोपण की आवश्यकता नहीं रहेगी इस लिए यह अत्यावश्यक है कि रक्षा मंत्री के साथ वित्त मंत्री भी रक्षा आय व्ययक तैयार करने में उचित सावधानी से काम लें और व्यय भी उचित रूप से किया जाये।

आर्डनेंस डिपुओं में विदेशी विशेषज्ञ अभी तक काम कर रहे हैं। मैं सदन को बतलाना चाहता हूं कि जब तक इन विशेषज्ञों के इंग्लैण्ड और अमेरिका की फर्मों के साथ सम्बन्ध हैं, इन्हें रखना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। इस लिए जितनी जल्दी इन्हें हटा दिया जाये, उतना ही अच्छा होगा।

१९५१–५२ की सामग्री क्रय समिति ने कहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो भारत में उपलब्ध हैं, बाहर से मंगवाई गई हैं और हमारी सरकार ने इन्हें यहां से खरीदने या उन्हें यहीं तैयार करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया। यह अत्यावश्यक है कि रक्षा के प्रयोजनों के लिए जो भी वस्तुएं भारत में तैयार हो सकती हैं, उन्हें अन्य देशों पर निर्भर हुए बिना यहीं तैयार किया जाये। यहां के निर्माताओं को सैनिक सामग्री बनाने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए, वास्तव में यह देश में बेकारी दूर करने का भी एक तरीका है। एक और बात यह है कि रक्षा सम्बन्धी कुछ वस्तुओं का समाहार अन्य विभागों के द्वारा किया जाता है। मैं चाहता हूं कि रक्षा सम्बन्धी सब सामान रक्षा मंत्रालय द्वारा ही मंगवाया जाये। इससे न केवल विलम्ब नहीं होगा बल्कि स्थापना व्यय में भी बहुत बचत होगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन से ज्ञात होता है कि पहले की तरह एक वैज्ञानिक सलाहकार की व्यवस्था की गई है और इसके लिए पिछले वर्ष की तुलना में ३ लाख रुपये अधिक दिये गये हैं। निस्संदेह सरकार के लिए यह कहना कठिन है कि इस सलाहकार का क्या कार्य है। किन्तु मैं सुझाव दूंगा कि इस मामले की जांच करने के लिये संसद् के सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाये यदि यह सिद्ध हो, कि सलाहकार का विभाग कोई

उपयोगी कार्य कर रहा है, तो इस के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए।

१९५३-५४ के आय-व्ययक में आर्डनेंस कारखानों के लिए १९.१० करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु १९५४-५५ के आय-व्ययक में यह घटा कर १८.०५ करोड़ रुपये कर दी गई है। मैं नहीं समझ सका कि इसका कारण क्या है। यदि हम इन कारखानों में सुधार करना चाहते हैं, तो हमें अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए थी और इसे शीघ्र से शीघ्र खर्च करना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रक्षा की नीति का पुनरीक्षण करें, क्योंकि परिस्थतियां बहुत तेज़ी से बदल रही हैं।

श्री यू० सी० पटनायक (घुमसूर) : मैं इस बात को फिर दुहराना चाहता हूं कि हमें अपने केन्द्रीय राजस्व के ५० प्रतिशत या यदि आवश्यकता हुई तो इससे भी अधिक भाग को रक्षा के लिए व्यय करने में बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। हमें अपने सशस्त्र बल पर और उसके कार्यों पर गर्व है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं कि आक्रमण के समय यह बल ही हमारी और हमारी स्वतन्त्रता की रक्षा करेगा। किन्तु वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या हम व्यय उचित प्रकार से कर रहे हैं, क्या रक्षा के सम्बन्ध में हमारी नीति, योजना और कार्यक्रम ऐसा है जिससे कि शत्रु के आक्रमण की अवस्था में हमें सफलता प्राप्त हो सके। यह एक राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है और राजनैतिक दलों के परस्पर विरोध का इससे कोई सम्बन्ध नहीं। देश की सफलतापूर्वक रक्षा के लिए सरकार को लोगों के राजनैतिक सम्बन्धों को ध्यान में रखे बिना सब की सहायता और सहयोग का स्वागत करना चाहिए। हमें रक्षा संगठन के इस प्रश्न को भी सर्वथा गोपनीय नहीं मानना चाहिये। शस्त्रास्त्रों के मामले में गोपनीयता के नाम पर विभिन्न देशों में काफ़ी भ्रष्टाचार होता है। हमारे लेखा परीक्षकों ने भी अपने प्रतिवेदनों में ऐसी बातों का उल्लेख किया है। यह बड़ी दुःख की बात है कि सचिवालय में हमारे रक्षा प्राधिकारी शस्त्रास्त्रों के सौदों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं रखते। केवल भ्रष्टाचार की शायद उपेक्षा भी की जा सकती है किन्तु जब अनुपयुक्त शस्त्रास्त्र तथा अन्य सामग्री विदेशों से खरीदी जाती है तब तो हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है और फिर यह बात अतीव गम्भीर बन जाती है।

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : क्या माननीय मित्र ऐसी कुछ प्रत्यक्ष घटनाओं का निर्देश करेंगे जो उनके मन में हैं ?

श्री यू० सी० पटनायक : गत तीन या चार वर्षों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में माननीय मंत्री को ऐसी अनेक घटनाएं मिलेंगी। कुछ भी हो, हमें यह जानने का अधिकार है कि क्या हमारी सेनाओं के लिए सर्वोत्तम सामग्री प्राप्त की गई है ?

अभी अभी माननीय रक्षा मंत्री ने वैदेशिक कार्य मंत्री की हसियत से यह कहा था कि इस समय असैनिक रक्षा का विचार करना अनावश्यक है। उन्होंने और यह भी कहा था कि गैस-टोपी आदि लेकर इधर उधर भागने से आज की स्थिति में कोई रक्षा नहीं होती। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि असैनिक रक्षा का सम्बन्ध केवल हवाई हमले से बचाव से नहीं है। असैनिक रक्षा का मतलब यह है कि जनसाधारण को रक्षा के कामों के लिए संगठित तथा प्रचालित किया जाय। इन कामों में होम गार्डों, सिविल गार्डों, प्रथमोपचार, रेलवे परिरक्षण, अग्नि-दमन, आदि कई एक बातें सम्मिलित हैं। इनकी वजह से किसी संकट में जनता की हिम्मत बनी रहती है। अतः रक्षा विभाग को

[श्री यू० सी० पटनायक]

चाहिये कि शस्त्रास्त्र तथा अन्य सुविधायें देकर इन कामों को बढ़ावा दे । इंगलिस्तान में भी इस काम पर हर साल करोड़ों रुपए बराबर खर्च किये जा रहे हैं । हमें भी हमारी जनता के सैनिक प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध करना चाहिये ।

माननीय प्रधान मंत्री ने और एक बात कही थी जिसका मैं भी समर्थन करता हूं । उन्होंने कहा था कि हमें युद्ध टालने की कोशिश सदैव करनी चाहिये । मैं तो आगे चल कर यह भी कहूंगा कि रक्षा का सर्वोत्तम मार्ग युद्ध नहीं छेड़ना है । इसी में सारी मानवता का हित है । लेकिन हमें वह गलती नहीं करनी चाहिये जो चेम्बरलेन ने जर्मनी के मुकाबले में की थी । हमारे संभाव्य शत्रुओं को अनुभव होना चाहिये कि यदि तथा जब आवश्यक हो तब बदला लेने की हममें ताकत है ।

इसके दो तरीके हो सकते हैं । बिना कुछ तैयारी किये धमकियां देते रहने का एक तरीका है । दूसरा तरीका यह है कि हम अपनी सारी जनता को इस प्रकार प्रशिक्षित कर दें कि किसी आक्रमण के मुकाबले में समूचा देश संगठित रूप में सशस्त्र हो सके । इस बात को इंकार नहीं किया जा सकता कि हमारे देश पर आक्रमण किया जाने का खतरा है । हमें अब विदित है कि हमारे पड़ौसी ने एक पहले दर्जे के शक्तिशाली राष्ट्र से शस्त्रास्त्र लिये हैं । अतः हमें भी अपनी रक्षा की नीति तथा योजना में परिवर्तन करना चाहिये । मैं अणु बमों का संग्रह करने की बात नहीं कह रहा हूं । सुसज्जित तथा संगठित जनता ही हमारा अणु-बम है ।

हमारे पास रक्षित सेनाओं की कमी है । प्रादेशिक सेना में पर्याप्त संख्या में लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं । शस्त्रास्त्र तथा अन्य सामग्री के बारे में भी मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि हमारे पास सर्वोत्तम वस्तुएं नहीं हैं । यह स्पष्ट है कि मैं इस बात की ब्यौरे वार चर्चा नहीं करना चाहता । यदि इस विषय की चर्चा के लिए सभा का गुप्त सत्र रखा जाय तो मैं ब्यौरे वार चर्चा करूंगा ।

हमारे शस्त्रास्त्रों के कारखानों की प्रगति संतोषजनक नहीं है । वहां बड़े बड़े जिम्मेवारी के पदों पर विदेशी अधिकारी जमे हुए हैं । जिस अंग्रेज अधिकारी ने कुछ गोपनीय कागज़ात गुम कर दिये थे वह अधिकारी अंबरनाथ के कारखाने में जिम्मेवार पद पर जमा हुआ है और वहां असंतोष का वातावरण निर्माण कर रहा है ।

एम० ई० एस० में भी दो अत्युच्च स्थान अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सम्भाले हुए हैं । सैनिक निर्माण के कई काम ठेकेदारों की मार्फत न करा कर एम० ई० एस० द्वारा विभागीय रूप में किये जाने चाहियें । इससे समय की तथा पैसे की बचत होती है । हमारी सेनाओं में विदेशी सलाहकार नहीं रखे जाने चाहियें । आक्रमण की अवस्था में उनकी राष्ट्रनिष्ठा का कौन हवाला दे सकता है ?

मैं रक्षा मंत्रालय का ध्यान और एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । हम सामाजिक तथा आर्थिक मदों पर जो व्यय करते हैं वह इस प्रकार किया जाना चाहिये कि मौका पड़ने पर वे चीजें रक्षा सेवाओं के काम में भी आनी चाहियें । दृष्टांत के तौर पर वाणिज्यिक नौवहन के लिये अनुदान देते समय यह प्रबन्ध किया जाना चाहिये कि वाणिज्यिक पोतों के निर्माण में नौसेना के विशेषज्ञों से सलाह ली जाएगी । इस प्रकार आवश्यकता के समय वाणिज्यिक पोतों को नौसेना के काम में भी लाया जा सकेगा । प्रकाश स्तम्भों तथा पत्तनों आदि के निर्माण में भी इस बात का ख्याल रखा जा सकता है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं अपने विचार डिफेंस सर्विसेज़ एस्टीमेट्स के बारे में रखना चाहता हूं । मैं आपसे अर्ज़ करूं कि डिमांड नम्बर १२ में पेज सिक्स पर "पे एण्ड अलाउन्सेज़ आफ़ दी रेगुलर आर्मी" की मद में सन् ५३–५४ के लिये दस करोड़, अड़तीस लाख रुपया बताया है और सन् ५४–५५ के लिये दस करोड़ पचास लाख है । उसके साथ साथ आप देखेंगे कि "पे एण्ड अलाउन्सेज़ आफ़ अदर रैंक्स" के मातहत सन् १९५३–५४ में तैंतीस करोड़, तैतीस लाख रुपया रक्खा था और सन् ५४–५५ में बत्तीस करोड़, उनतालीस लाख, उनहत्तर हज़ार रुपया रक्खा था । अब हमें यह देखना है कि यह 'अदर रैंक्स' कौन हैं, जो काम करने वाले हैं वह आपके फ़ौज के सिपाही हैं और यदि हम सिपाहियों की तनख्वाह में और उनकी तादाद में कमी करते हैं, तो ज़्यादा अफ़सरों को बढ़ा कर हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो सकता । इसलिए मैं अर्ज़ करूंगा कि यह डिफ़ेंस डिपार्टमेंट के जो आपके सिपाही हैं, उनके लिये मैं यदि यह कहूं कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी का स्थान होता है, उसी तरह से ये हमारे सिपाही लोग हैं तो अनुचित न होगा । इसको जितना हम मजबूत बना सकते हैं, बनायें, इसमें किसी क़िस्म की कोई चीज़ न आने पाये, उनके दिलों में कोई ऐसी भावना पैदा न होनी चाहिये कि हमारी तरफ़ अच्छी तरह से नहीं देखा जाता है । इसलिये मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि इस मद में जो रक़म रक्खी गयी है उस पर मंत्री महोदय ग़ौर करने की कृपा करेंगे । इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान टैरीटोरियल आर्मी की तरफ़ दिलाना चाहता हूं । उसके लिये गत वर्ष यानी सन् १९५३–५४ में पैंतालीस लाख, पांच हज़ार रक्खा गया है और इस वक्त सन् १९५४–५५ के लिये उन्चास लाख, पैंतालीस हज़ार ह । मैं यह मानता हूं कि इसमें दो लाख चालीस हज़ार रुपये की बढ़ती है, लेकिन यदि आप ब्रीफ स्टेटमेंट जो सफ़ा सात में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जायगा । उसमें यह दिया हुआ है "भर्ती और आर्थिक कठिनाइयों के अनेक कारणों से प्रादेशिक सेना की वृद्धि किसी हद तक ऐसी रही है, और यह आवश्यक दीखता है कि कई बातों में नीति को बदलना होगा ।"

मैं आपसे अर्ज़ करूं कि यह जो आपके अफ़सर भर्ती करने जाते हैं, और मुझे भी थोड़ा सा एक डिपार्टमेंट में काम करने का मौक़ा क़रीब क़रीब पांच साल तक रहा और इस नाते मैं जानता हूं कि टेरीटोरियल आर्मी की भर्ती खास कर मध्य प्रान्त में किस तरह से होती थी और जबलपुर और नागपुर में किस तरह से की जाती थी । मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि वहां पर जो लोकल लोग हैं, आपके म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट हैं, मेम्बर्स हैं अथवा लोकल कार्यकर्त्ता हैं उनको मिला कर और उनके ज़रिये से टैरीटोरियल आर्मी क्या कर रही है, हमारा फ़ौजी काम किस तरह से बढ़ रहा है, और हमारी फ़ौज़ क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ सभाएं करके बतलायें और एक जोश और उत्साह लोगों के दिलों में पैदा करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें भर्ती हों । इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि जो प्रान्तीय रक्षक दल आपके हैं जैसे बम्बई में होमगार्ड्स थे, मध्य प्रदेश में जो होमगार्ड्स हैं वह बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं और सभापति जी मैं आपके ज़रिये मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह अपने एक्सपर्ट्स् को भेज कर वहां पर यह देखें कि देहातों और हर एक तहसीलों में चालीस चालीस लोगों का तीन माह का कैम्प आरगनाइज़ करके वहां पर उनको तीन-तीन महीने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हर साल रिफ्रेशर कोर्स होता है जिसका सारा खर्च आपकी स्टेट्स गवर्नमेंट्स बर्दाश्त कर रही है ।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बतला दूं कि उसमें जो शिक्षक लोग हैं वह वे लोग हैं जो स्वर्गीय सुभाष बाबू की बनायी हुई इण्डियन नेशनल आर्मी में शामिल थे और ऐसे देशभक्त आदमियों के द्वारा यह जो हमारी फोर्सेज़ हैं इनको तैयार कर रहे हैं ताकि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ पड़े, कोई हमारे ऊपर विपत्ति आ जाये तो मुझे विश्वास है कि हम इनकी सहायता और सहयोग से उसका सफलतापूर्वक मुक़ाबला कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाली है और अगर कोई आती भी है तो हममें उसका मुक़ाबला करने की क्षमता मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ यह ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को देखें और इस तरह के रक्षक दल देश भर में तैयार करें। आप प्रान्तीय सरकारें जो रक्षक दल अपने अपने प्रांतों में चला रही हैं उनको देखें, बंगाल, बिहार, आसाम और मध्यप्रान्त में चल रहे रक्षक दलों को देखें, इन सारी चीज़ों को देखें और इन सब को देखने के बाद यदि आपके एक्सपर्टस् इसको मानने को तैयार हैं कि हां इस तरह के रक्षक दल आवश्यक हैं और मौक़ा आने पर वह एक दूसरी जगह काम कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पर ग़ौर कीजिये और तहक़ीक़ात करके इस काम को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिये आपको प्रान्तीय सरकारों के साथ में मिल कर इस दिशा में काम करना चाहिये और द्रव्य से मदद पहुंचाना चाहिये।

इसी सम्बन्ध में मैं आपसे अर्ज़ करूं कि डिमांड नम्बर १२ में 'ऐलेक्ट्रिकल एण्ड मिकैनिकल इंजीनियरिंग यूनिट एण्ड फ़ारमेशन्स' में अफ़सरों के लिये १९५३–५४ में तीन लाख साठ हज़ार रुपया आपने रक्खा और ५४–५५ के बजट में चार लाख, था पैंतालीस हज़ार रुपया आपने रक्खा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह देखना है कि आख़िर ये जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, जो उत्पादक हैं अर्थात् पैदा करने वाले लोग हैं उनको यदि हम न बढ़ायें और केवल अफ़सरों में बढ़ोत्तरी करें, तो यह चीज़ कहां तक मौजूं होगी, यह मैं नहीं समझ सकता। उचित तो यह है कि हम उत्पादक लोगों को जिनको कि जाकर उन जगहों पर काम करना है, उनकी संख्या को हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिये और वह चीज़ हमारे लिये ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी न कि अफ़सरों की संख्या को, क्योंकि जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि हम यहां पर बड़े बड़े टैक्स और बड़े बड़े जहाज़ और दूसरी चीज़ें तो यहां पर मंगवा लें, लेकिन अगर उनके टूटने फूटने की हालत में उनके ठीक करने का माकूल इंतज़ाम न हो, तो हमारा काम कैसे चल सकता है, ठीक उसी प्रकार यदि हम उत्पादकों को जो हमारी रीड की हड्डी हैं बढ़ावा नहीं देते हैं, या उनकी तरफ़ ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा काम ठीक से चलने वाला नहीं है। इसी तरह से मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि यह जो लोग हैं, जो उत्पादक हैं, उनकी संख्या को हमें ज़्यादा बढ़ाना चाहिये और देखना चाहिये कि इसकी जगह पर हम ज़्यादा अफसर न रक्खें।

इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान डिफेंस सर्विस के ट्रांसपोर्टेशन, (पृष्ठ ३६) की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस मद में करीब करीब ७५ हजार बढ़ा है। जब कि सन् १९५३–५४ में यह १८ लाख था तो १९५४–५५ में यह १८ लाख ७५ हजार है। अब हमको यह देखना है कि इसमें हम कैसे बचत कर सकते हैं। इस मद में जो इंजीनियरिंग क्रोर के लोग हैं और जो दीगर काम करने वाले सिपाही हैं, साथ में जो सी० पी० डब्ल्यू० डी० के लोग हैं उनको मिलाया जाय

तो बचत की सम्भावना हो सकती है । हम को अलग अलग चीफ इंजीनियर्स जो रखने पड़ते हैं, उन इंजीनियर्स को अगर हम कम कर दें तो मैं समझता हूं कि इसमें काफ़ी खर्च बच जायेगा ।

जो दूसरी डिफेंस इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी हमें बढ़ाना चाहिये । अगर हम को आवश्यकता हो तो जरूर बढ़ाना चाहिये और अगर न हो तो मैं आप से कहूंगा कि आप इन दोनों डिपार्टमेन्ट्स में से कम कर के देखें । इस डिपार्टमेन्ट में ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिये । जैसा मैं ने आप से अर्ज किया, इसके लिये जो हमारी सी० पी० डब्ल्यू० डी० है, उस के जो काम करने वाले हैं, और जो बाकी इंजीनियरिंग वर्कर्स डिफेन्स के काम करने वाले हैं, फौज की इंजीनियरिंग के वर्कर्स हैं, इन सब को मिला कर यदि हम अफसर रखते हैं तो काम चल जाता है । इसी तरह से जो दूसरे डिफेन्स व सी० पी० डब्ल्यू० डी० के अफसर हैं उन को भी हम मिला देंगे तो इस से खर्चे में कमी हो जायगी ।

अब मैं आपका ध्यान पर्चेज आफ मैटीरियल्स ,सफ़ा ४६ की तरफ दिलाना चाहता हूं । इस मद में १९५३–५४ में ८ करोड़ ३० लाख रुपया रक्खा गया था, सन् १९५४–५५ में इस साल ७ करोड़ १५ लाख रुपया रक्खा गया है; यानी १ करोड़ १५ लाख रुपये का सामान इस साल कम खरीदा जायेगा । जहां पर कि कार्य होता है वहां पर हमें सामान की ज़रूरत होती है। यदि हम सामान खरीदने में कम पैसा खर्च करेंगे तो वहां पर जो काम करने वाले हैं उनको काम कैसे मिलेगा ? अगर इस तरह से अफ़सर ज्यादा बढ़ाते जायेंगे और जो काम करने वाले हैं उनकी संख्या कम करते जायेंगे तो इस तरह से काम नहीं चल सकता है । पर्चेज आफ मैटीरियल्स के बारे में मैं कहूंगा कि मंत्री महोदय देखें और देखने के बाद चीजों को खरीदने का जो तख्मीना हमने पहले रक्खा था उसी तख्मीने को हम इस बार भी रक्खें ।

अब मैं डिफेन्स एकाउन्ट्स आफ़िसेज के बारे में जो डिमांड नं० १२ सफ़ा ३८ पर है उसके बारे में कहना चाहता हूं । यह जो १७ लाख ४८ हजार सन् १९५३–५४ में रक्खा गया था और १९ लाख ७३ हजार सन् १९५४–५५ यानी अबकी बार रक्खा गया है, यानी इसमें जो २ लाख २५ हजार जो बढ़ा है, इसका क्या मुख्य कारण है और किस तरह से यह बढ़ाया गया और क्या बातें हैं जो नहीं जानी जा सकी हैं । मैं मंत्री महोदय से यह बात कहूंगा कि वह यदि इस पर रोशनी डालेंगे और इसका पूरा ब्यौरा देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे हम लोगों को ज्यादा फायदा होगा ।

यह जो हमारा ब्रीफ स्टेटमेन्ट है उसमें यह है कि :

"वर्ष में ही हमारे पहले के ये सब प्रयत्न फलीभूत हुए जो हमने नौसेना सम्बन्धी शस्त्रास्त्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए किए थे । पूर्वी तट पर बिल्कुल नवीन ढंग का युद्ध सामग्री भण्डार पूरा हो रहा है और पश्चिमी तट पर बनाये जाने वाले एक और डिपो का काम शुरू हो रहा है ।"

यह जो चीज है और जो बड़ा इंसपेक्शन का दफ्तर है :"नाविक शस्त्रास्त्र निरीक्षण निदेशालय को अगस्त १९५३ में दिल्ली छावनी को स्थानान्तरित किया गया ।" ठीक है आप ने जो इंसपेक्शन का दफ्तर है उसको दिल्ली बुला लिया लेकिन जो कोस्ट्स हैं, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट्स, वह तो वहीं रहेंगे । अब यहां जो आदमी आयेगा, अफसर आयेगा, आप के नैवल हैडक्वार्टर्स का जिसको आप यहां रख रहे हैं, वह वहां जा कर काम देखेगा । लेकिन इस तरह से जो काम वह नजदीक रह कर देख सकता है वह दूर से नहीं देख सकेगा ।

[सरदार ए० एस० सहगल]

इसलिये ईस्ट और वेस्ट कोस्ट कहीं पर भी आप रक्खें, इसके लिये मुझे कुछ कहना सुनना नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उसको ऐसी जगह पर रक्खें जहां से वह दोनों जगह जाकर अच्छी तरह से तहकीकात कर सकें, देख सकें कि कार्य किस तरह से चल रहा है।

इसके बाद मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो रिआर्गेनाइजेशन कमेटी बनी है, उसमें कम से कम, अगर आप इस तरह का मौका निकाल सकते हैं, तो जो आप की आर्डनेंस फैक्ट्रीज के लोग हैं, उन्हीं के फेडरेशन में से लें तो हमें ज्यादा फायदा हो सकेगा। इसी तरह से जो आप की कल्याणवाला रिपोर्ट है, उसको मैंने देखा और उस रिपोर्ट को पढ़ा अच्छी तरह से देखने के बाद आप से कहूंगा कि उसे शीघ्र प्रयत्न में लावें।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे यह वाद-विवाद करवाने में कठिनाई आ रही है। प्रत्येक माननीय सदस्य रक्षा आय-व्ययक की सभी बातों पर केवल १५ मिनट में बोलना चाहता है। मैं हर एक दल और पार्टी से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसकी भिन्न मदों को आपस में बांट लें, और बारी बारी से एकाग्रता के साथ उस पर बोलें। इस तरह समय बच जाएगा।

सरदार ए० एस० सहगल : उपाध्यक्ष महोदय, यदि मेरा वक्त हो गया है तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूं और वह यह है कि जबलपुर में जो खमरिया फैक्ट्री के बारे में बहुत सी बातें चलीं उनके बारे में ठंडे दिल से तहकीकात करें, और तहकीकात करने के बाद जो वाजिब रास्ता है उसको अपनायें। वहां पर बहुत से लोगों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, यदि वे समझते हैं कि हां, उन में से बहुत से लोगों पर गैरवाजिब तरीके पर कार्रवाई हो रही है, तो मैं प्रार्थना करूंगा कि इन सारी चीजों को देखने के बाद उचित कार्रवाई की जाय। अगर ऐसा किया जाय तो बहुत अच्छा होगा और इस समय वहां पर जो वातावरण है उसमें रद्दोबदल हो सकती है। आर्डनेन्स फैक्टरियों में जो कमी की जा रही है वह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जो हमारा महकमा कायम है, उस आर्गेनाईजेशन को आगे बढ़ाने के लिये जो हमारे काम करने वाले हैं और जो इसकी रीढ़ की हड्डी हैं उनकी हालत को सुधारें और अपने आर्गेनाइजेशन को मजबूत करें।

श्री भागवत झा आज़ाद (पूर्निया व संथाल परगना) : मैं रक्षा की इस मांग पर...

श्री नम्बियार (मयूरम्) : अंगरेजी में बोलिये, बाबू।

श्री भागवत झा आज़ाद : माननीय सदस्य चिन्तित न हों। उन्हें अनुवाद भी प्राप्त हो सकता है। हां यह ठीक है कि प्रेस हमारा सहयोग नहीं देता, क्योंकि हिन्दी वालों के साथ उनका ऐसा रवैया नहीं है, किन्तु फिर भी वह समझ सकते हैं।

मैं इस रक्षा की मांग पर बहस करते हुए, इस के सब पहलुओं पर तो प्रकाश नहीं डाल सकूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इसके कुछ भागों पर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूं। मेरा इस बात का दावा नहीं है कि मैं रक्षा के तीनों विभागों यानी जल सेना थल सेना और नभ सेना के बारे में जानकारी रखता हूं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि मैं एक विद्यार्थी की तरह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर रक्षा के सम्बन्ध में कोई भी साधारण बुद्धि रखने वाला आदमी विचार कर सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे सैनिक शारीरिक और मानसिक

दृष्टि से पूर्ण हैं और चाहे मध्यपूर्व का रेगिस्तान हो चाहे मलाया के जंगल हों वहां पर उन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया है और इसमें सन्देह नहीं कि जब समय आवेगा तो हिन्दुस्तान की रक्षा करने में भी वे अपनी वीरता का परिचय देंगे । लेकिन आज की लड़ाई में हथियारों का अधिक महत्व है और इन आधुनिक हथियारों ने मनुष्य को पीछे धकेल दिया है । आज रामायण या महाभारत काल की तरह युद्ध नहीं होता जब कि स्वयं सेनापति हाथ में तलवार या भाला लेकर आगे बढ़ता था । आज तो यह होता है कि हमारे कमांडर इंग्लैंड में हैं और मलाया का पतन हो जाता है । इसलिए ऐसे समय में हमको अपनी कमजोरी को जानना चाहिए । हम जानते हैं कि आज हिन्दुस्तान में जो अस्त्र शस्त्र हैं वे आज कल की दृष्टि से पूर्ण नहीं हैं । कल हमें एक टैंक देखने का अवसर हुआ जो कि हमारी दृष्टि से पूर्ण है और बहुत आधुनिक है, लेकिन वह इंग्लैंड के सेंचूरियन, अमरीका के पैटन या रूस के जोज़ेफ स्टालिन टैंकों के सामने कुछ नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि इन टैंकों के मुकाबले में जो टैंक हमारे पास हैं वह किसी भी काम के नहीं हैं । मैं समझता हूं कि हमारे कम्युनिस्ट भाई जोज़ेफ स्टालिन के नाम को सुन कर प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि वह आज वहां से इंसपिरेशन लेते हैं । तो मैं यह कह रहा था कि ऐसे टैंकों के सामने हमारे टैंक आउट डेटेड हैं । इसीलिए जब अवसर आवेगा तो हम इन पर भरोसा नहीं कर सकेंगे । हमारे प्रधान मंत्री ने भाषण दिया कि हम अपनी इंडस्ट्री पर जो रुपया खर्च कर रहे हैं उसको अस्त्र बनाने पर खर्च नहीं कर सकते, हम अपने बजट का ५० प्रतिशत अपनी रक्षा पर खर्च करते हैं और इससे अधिक नहीं खर्च कर सकते । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उन विभागों पर ध्यान न दें जिनसे हमारी रक्षा हो सकती है । कल इस पर बहुत बहस हुई सिविल डिफेंस क्या है, और इसका बड़ा मज़ाक रहा । मैं इसको समझाना चाहता हूं । मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे सबसे बड़े प्रोटेस्ट के बावजूद भी आज अमरीका पाकिस्तान को मिलिटरी एड भेज रहा है तो क्या उससे हमारे और पाकिस्तान के बीच जो शक्ति संतुलन है वह बिगड़ता नहीं है । क्या यह सत्य नहीं ह कि आज अमरीका जिस प्रकार से समूचे संसार में युद्ध की क्रिया को प्रोत्साहन दे रहा है उससे युद्ध का खतरा बढ़ रहा है । अभी अभी पैसिफिक में उसने एक आइलेंड पर एक बम का एक्सपेरीमेंट किया है : इस एक्सपैरीमेंट के फलस्वरूप ७० मील की दूरी पर कुछ मछुओं के ऊपर जो राख गिरी उससे उनके बदन में फोड़े हो गये । और मैंने सुना है कि जो मछलियां थीं वह रेडियो एक्टिव हो गयीं और जापान का रेडियो प्रचार कर रहा है कि मछलियां मत खाओ क्योंकि वह रेडियो एक्टिव हो गयी हैं और उनके खाने से मर जाओगे । तो आज अमरीका ऐसे विध्वंसकारी अस्त्रों का विकास कर रहा है । हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम शान्तिपूर्ण उपायों से अपने प्रश्नों को हल करें और वह शान्ति का प्रस्ताव रखते हैं और जब वे कहते हैं कि हम युद्ध पर खर्च नहीं करेंगे उस समय अमरीका के बड़े बड़े सिनेटर कमेटी ऑन-एप्रोप्रियेशन्स की सब कमेटी में जो विचार प्रकट करते हैं उनको मैं उद्धृत करना चाहता हूं । वे इस प्रकार हैं :

"सिनेटर फर्गूसन : इससे पता चलता है कि भारत मास्को के साथ मिला हुआ है ।

मि० रस्क : मकमी का ऐसा विचार हो किन्तु मैं ऐसा नहीं समझता कि भारत हमारे या रूस के साथ है ।

मि० फर्गूसन : क्या इससे यह पता नहीं चलता कि वे मास्को से बंधे हैं ।" . . . . . तो इस प्रकार के उद्धरण से मैं हाउस के सामने यह बात लाना चाहता हूं कि आज अमरीका

[श्री भागवत झा आजाद]

की मैंटेलिटी क्या है । आज उनके बड़े बड़े सिनेटर यह समझते हैं कि अगर हम शान्तिपूर्ण उपायों से शान्ति रखना चाहते है तो हम अमरीका के साथ नहीं हैं पर मास्को के साथ हैं और मास्को वाले कहते है कि "जो हमारे साथ नहीं, ये हमारे विरुद्ध हैं ।"

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : बतलाइए, उन्होंने कब ऐसा कहा ?

श्री भागवत झा आज़ाद : बिल्कुल सीधी सी बात है । इसलिए मैं यह कह रहा था कि ऐसे समय में जबकि युद्ध के बादल हर जगह मंडरा रहे हैं और अमरीका की सैनिक शक्ति प्रचुर मात्रा में पाकिस्तान के अड्डों पर पहुंच रही है, क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि यद्यपि हमारे पास अस्त्र शस्त्र नहीं हैं फिर भी हम अपने देश में सैकिंड लाइन आफ डिफेंस का प्रबन्ध करें । मैं सिविल डिफेंस का मतलब यह नहीं समझता कि हम खाइयां खोदें या वार साइकालाजी क्रियेट करें । लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने देशवासियों को इस तरह संगठित करें कि ऐसा न हो कि अगर दिल्ली में एक बम गिरा तो कोई लखनऊ को भाग रहा है, कोई हैदराबाद को भाग रहा है और कोई कहीं को भाग रहा है । मैं अपने मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश पर आक्रमण हुआ तो क्या वह गारण्टी दे सकते हैं कि एक बम गिरने पर समूचे देश का मोराल नीचे नहीं गिर जायगा क्या त्यागी साहब या दूसरे मिनिस्टर साहब यह कह सकते हैं कि जब तक बम कलकत्ता में गिरेगा तो वहां पर और सारे देश में लोगों का मोराल नहीं गिर जायगा । मैं जानता हूं कि हमारे नागरिक डिमारेलाइज्ड नहीं । लेकिन उनको सिखाना पड़ेगा । इस देश के पास एंटी एअरक्राफ्ट गंसें इतनी नहीं हैं कि जो दुश्मन के हवाई जहाजों को मार कर गिरा सकें, इसलिए हमें अपनी शक्ति पर भरोसा करना पड़ेगा । इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं ? मैं यह नहीं चाहता कि आप भाखरा नागल योजना से या डी० वी० सी० से रुपया लेकर हवाई जहाज़ बनावें । लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आप एक ऐसी फौज तैयार करें जो ऐसे समय जबकि हमारे देश पर आक्रमण हो तो हमारे देश के नागरिकों के दिमागों को ठीक रख सके । पंडित जी ने कहा कि हम उस आक्रमण के बाद तैयारी करेंगे । मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता । लेकिन मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले के यह बात समझ में नहीं आयी । मैं नहीं समझता कि आक्रमण के बाद भी कोई तैयारी हो सकती है। सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ वह है जो कि बीते हुए कल और आज का ही विचार नहीं करता बल्कि आने वाले कल का भी विचार करता है और उस विचार के आधार पर हमारे बचाव का विचार करता है । मैं समझता हूं कि हमारे डिप्टी मिनिस्टर इस बात पर कुछ कम जोर दे रहे हैं । मैं जानता हूं कि वह इस विषय में उतने ही एंक्शस हैं जितना कि मैं या इस हाउस का कोई और मेम्बर हो सकता है । लेकिन मेरा कहना यह है कि वह इस बात पर जोर नहीं दे रहे हैं । आप कहते हैं कि आपके पास माडर्न हथियार नहीं है, आपके पास अधिक शस्त्र नहीं हैं, पर आप कहते हैं कि हम इनरमैन से फाइट करेंगे । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस इनरमैन को जगाने के लिए आप क्या कर रहे हैं । क्या टैरीटोरियल आर्मी का आपका माडेस्ट एस्टीमेट भी पूरा हो सका ? आज आप क्या कर रहे हैं । आपने कहा कि हम आफिसर्स का कांस्क्रप्शन करेंगे । यह सारे देश में नहीं होगा लेकिन पाकिस्तान चिल्लायेगा कि आप कांस्क्रप्शन कर रहे हैं । आप ऐसा प्रबन्ध करें कि रूरल एरियाज़ से ठीक आदमी ले सकें । आप नान टैक्नीकल लोगों को नहीं ले रहे

हैं। आप देहाती एरिया में तीन महीने की ट्रेनिंग देते हैं। यह कम है। जब आप आग्जिलरी फोर्स तैयार कर रहे थे तो हमने कहा था कि सात दिन की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है। यह उस बादल की तरह होगा जो कि आता है मंडराता है और चला जाता है आपके आफिसर्स आयेंगे, एक दो लेफ्ट राइट करायेंगे उसके बाद सब समाप्त हो जायगा अस्तु, मेरा कहना यह है कि अगर हमारे पास काफी मात्रा में फर्स्ट लाइन आफ डिफेंस नहीं है तो हमको सैकिंड लाइन आफ डिफेंस मजबूत बनानी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम अपने आपको तैयार करें। मैं आपको उदाहरण दूंगा चीन का। जब जापान ने चीन पर चढ़ाई की तो उसके पास माडर्न हथियार नहीं थे। लेकिन उसके पास सैकिंड लाइन आफ डिफेंस थी। चीन का हर एक गांव इस बात के लिए तैयार था कि अगर जापान की चढ़ाई होगी तो हम माडर्न वेपन्स पर भरोसा नहीं करेंगे जो कि दूसरे देशों से आते हैं।

आज अगर हिन्दुस्तान पर चढ़ाई हो तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के टैंक या किसी और मित्र राष्ट्र के टैंक या और मशीनगनें आपकी साहयतार्थ आपकी भूमि पर आ सकेंगे। शायद तब सब रास्ते बन्द हो जायेंगे। उस हालत में आप क्या करेंगे? क्या आपने इंडस्को (इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव्ज़) की तरह जैसे चीन ने जापान के विरुद्ध अपने को तैयार किया, उस तरह हिन्दुस्तान को संभालने का प्रयत्न किया? चीन ने जापान को जो हराया तो उस का कारण था उसकी स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्री। आजकल के तैयार होने वाले माडर्न अस्त्र आपके पास नहीं हैं, आपके पास माडर्न टैंक नहीं हैं, आपके पास माडर्न एयरक्राफ्ट नहीं हैं और हम एटम बम और हाइड्रोजन बम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और न करना ही चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब कि हमारे देश पर कोई आक्रमण हो तो हमारे पास सैकिंड लाइन आफ डिफेंस हो, इसी को हम सिविल डिफेंस कहते हैं। हम सिविल डिफेंस के मतलब यही नहीं लगाते कि एयर रेड प्रीकाशन हो तो डिफेंस हो। हम सिविल डिफेंस की वह परिभाषा नहीं करते हैं। हम सिविल डिफेंस की यह परिभाषा समझते हैं कि आपके पास रक्षा के लिये एक सैकिंड लाइन आफ डिफेंस हो। इसीलिये हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारी रक्षा के लिये क्या उपाय किये। बिना अधिक खर्चे के बिना अधिक रुपया लगाए आप कम से कम यह तो कर सकते हैं। बिना वार साइकालाजी क्रिएट किये हुए भी आप कम से कम यह काम तो कर सकते हैं और जगह तो पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरह के काम करते हैं आफ़िसर ट्रेनिंग देने को जाते हैं। लोग आते हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, कहा जाता है कि तुम चाहे जिस ड्रेस में हो, तुम को ट्रेनिंग दी जाती है, वह उन को सब बातें सिखाते हैं। और एक इधर यह हालत है कि हमारे यहां के मैम्बरान को राइफल ट्रेनिंग देने के लिए कहते हैं तो वह नहीं मिलती।

श्री सतीश चन्द्र: मिलेगी।

श्री भागवत झा आजाद: हां, मिलेगी, लेकिन कब क्या उस समय मिलेगी जबकि छुट्टी हो जायगी।

श्री त्यागी: आपका बगैर राइफल के तो यह हाल है?

श्री भागवत झा आजाद: लेकिन मैं जानता हूं कि जब ऊपर से बमवर्षा होगी तो यह राइफल काम नहीं देगी, वही राइफल काम देगी। इसलिये जो हमारी ज़बान की राइफल है, उस पर आप भरोसा न करें।

उपाध्यक्ष महोदय: दो मिनट और हैं।

श्री भागवत झा आजाद: तो मैं यह कह रहा था कि हमारे देश की यह हालत है। मैंने शुरू में ही अपनी अनभिज्ञता

[श्री भागवत झा आज़ाद]

प्रकट की है कि हवाई जहाज में, जल सेना में और स्थल सेना में क्या होता है । लेकिन इतना जानता हूं कि वह उतने माडर्न नहीं हैं जितने होने चाहियें । इसलिये हम उन पर अधिक भरोसा नहीं कर सकते हैं ।

इस कारण ही मैंने कहा कि हमको सैंकिंड लाइन आफ़ डिफेंस रखनी चाहिये । क्या आप समझते हैं कि महज कह देने से काम चल सकता है, क्या आप समझते हैं कि जब बम वर्षा हो तो लोगों को कहने से कि घबराना मत, क्या इससे देश तैयार हो जायेगा ? क्या आप समझते हैं कि हम लोग एम० पी० बाहर जा कर यह कहें कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप खड़े रहिए, बम कैसे गिर सकता है, तो क्या इस से देश तैयार हो जायगा ? हमारा अनुभव है कि कलकत्ते में जब बम गिरे तो सब के सब आदमियों का वहां से भागना शुरू हो गया । ऐसी हालत हो उस समय आप क्या करेंगे ? आज के ज़माने में न रूस अमेरिका पर विजय कर सकता है और न अमेरिका रूस पर विजय कर सकता है । लेकिन आपके पास सैंकिंड लाइन आफ डिफेंस नहीं है और आप पर आक्रमण हो तो आप का पड़ौसी देश आप के यहां फौजें भी उतार सकता है, इस तरह की घटना हो सकती है । मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटना हो, भगवान करे कि ऐसी घटना न हो । लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे पास सिवलि डिफेंस नहीं है ।

आपके यहां आर्म्स ऐक्ट है । उपाध्यक्ष जी, उस आर्म्स ऐक्ट का क्या हाल है कि एम० पी० राइफल क्लब के लिये मैंने सात महीने पहले दिल्ली स्टेट के पास राइफल के लाइसैंस के लिये अर्जी दी थी । रोज़ छः आने पैसे टैलीफोन पर खर्च करता हूं । लेकिन आज तक वह लाइसैंस नहीं आया । जिस देश की यह हालत है वहां सैंकिंड लाइन आफ डिफेंस क्या बन सकती है । जिस देश की यह हालत है कि यहां का नागरिक एक मामूली राइफल हैंडल नहीं कर सकता तो वह एंटी एयरक्राफ्ट गन क्या हैंडल कर सकेगा ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हमारे अन्दर भय नहीं है, हम घबराते नहीं हैं । हम डरते नहीं हैं । हम जानते हैं कि जिस वक्त देश पर आक्रमण होगा तो चाहे कोई काम्युनिस्ट पार्टी का हो चाहे किसी और पार्टी का हो, हिन्दुस्तान का बच्चा बच्चा देश की रक्षा करेगा । लेकिन उसको स्पिरिट दीजिये, उसको शिक्षा दीजिये और तभी आप आने वाले कल के दिन रक्षा कर सकेंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : आज आवश्यक पर हम ऐसे समय चर्चा कर रहे हैं जब कि पाकिस्तान अमरीका सैनिक सहायता समझौते की बातचीत चल रही है । इसलिए हमारे सम्मुख जो सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वह है देश की रक्षा के लिए एक सबल सेना का निर्माण तथा उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिरक्षा उद्योग का विकास ।

गत वर्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आजकल युद्ध का निर्णय थल, जल तथा नभ सेनाओं की सांख्यिकीय शक्ति पर निर्भर नहीं रह गया है वरन् टेकनीकल क्षमता तथा प्रतिरक्षा की समस्त आवश्यक वस्तुएं स्वयं उत्पादित करने पर निर्भर है । हम टेकनीकल क्षमता की महत्ता को स्वीकार करते हैं लेकिन इस बात को मानने के लिये हम तैयार नहीं हैं कि युद्ध के भाग्य का निर्णय इसी पर निर्भर है, विशेषकर जबकि आप एक अल्प विकसित देश के सम्बन्ध में बात कर रहे हों । लोगों के नैतिक तथा मानसिक स्तर को ऊंचा उठाना, जो साधन

हमारे पास मौजूद हैं उनका पूर्ण प्रयोग तथा हमारे पास उपलब्ध टेकनीकल ज्ञान का उप-योग——ये सब चीज़ें भी बहुत आवश्यक हैं।

रक्षा आयव्ययक के सिलसिले में हमें एक नई चीज़ पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। बार-बार हमसे यह कहा गया है कि "ऐतिहासिक कारणों" से सेना की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में हमें इंग्लैण्ड और अमरीका की मैत्री पर निर्भर रहना पड़ता है और यह ध्यान देने योग्य बात है कि एक नाज़ुक समय पर इन्हीं ने हमारे साथ दगा की है। कश्मीर का मामला लीजिए दक्षिण अफ्रीका का मामला लीजिये अथवा पाकिस्तान-अमरीकी सैनिक समझौते का मामला लीजिए। राष्ट्र मण्डल में रहने से हमें क्या लाभ हुआ है। इंग्लैण्ड ने कभी हमारा समर्थन नहीं किया है। लेकिन जब भी हमने कहा है कि राष्ट्र मण्डल में रहने से हमारे लिए कठिनाइयां खड़ी होंगी, प्रधान मंत्री ने इसका उपहास किया है। उत्तरी ऐटलांटिक सन्धि को लीजिए। चाहे यह गोआ का मामला हो अथवा फ्रांसीसी बस्तियों का, इसका प्रयोग हमारे विरुद्ध ही किया जाएगा।

गत वर्ष आयव्ययक पर बोलते हुए हमारी ओर से बतलाया गया था कि हमारे रक्षा सेना में रक्खे गये अंग्रेज़ पदाधिकारियों के जरिये हम पर अंग्रेज़ों का कितना प्रभाव पड़ रहा है। गत वर्ष श्री जवाहरलाल नेहरू ने बतलाया कि प्रसंचालक पद पर एक भी अंग्रेज़ पदाधिकारी नहीं है। जहां तक हमें मालूम है, अब भी कुछ लोग ऊंचे कार्यपाली पदों पर हैं। आप उन्हें प्रसंचालक अधिकारी के नाम से भले ही न पुकारें। हमारी आर्डिनेंस फैक्टरियों में परामर्शदाताओं के रूप में एक बड़ी संख्या में अंग्रेज पदाधिकारी मौजूद हैं। इस सम्बन्ध में 'अमृत बाज़ार पत्रिका' ने जो एक कांग्रेसी समर्थक अखबार है, लिखा है कि उनकी वर्त्तमान संख्या लगभग २०० है; और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विकृत प्रवृत्ति को देखते हुए भारतीय रक्षा सेवाओं में इतनी अधिक संख्या में विदेशियों का रक्खा जाना जनता पसन्द नहीं कर सकती।। इसके अलावा यह भी प्रश्न है कि स्वराज्य प्राप्ति के छः वर्ष पश्चात् भी देश की प्रतिरक्षा सेवाओं में इतने विदेशियों की क्यों आवश्यकता है।

यह अवश्य कहा गया है कि हमें इसलिए उनकी आवश्यकता है कि हम अल्प-विकसित हैं। किन्तु हमें देखना है कि हम कहां तक औद्योगीकरण कर सके हैं। औद्योगिक विकास में क्या प्रगति हुई है? हम देखते हैं कि सन् १९५२–५३ में हमने लगभग १ करोड़ रु० व्यय किया था। सन् १९५३–५४ में हम एक विचित्र चीज़ पाते हैं ——संशोधित प्राक्कलन केवल २५ लाख रुपए का ही है। इस वर्ष सन् १९५४–५५ का आयव्ययक प्राक्कलन १२५ लाख रु० है। मालूम नहीं इसमें कितनी कमी होगी। केवल यही नहीं सन् १९५३–५४ में रक्षा पूंजी व्यय के लिए १५ करोड़ रु० का उपबन्ध आयव्ययक में किया गया था। अब हमसे कहा जा रहा है कि संशोधित प्राक्कलन केवल १०,३६,३०,००० रु० है। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे समय जब कि हम अपने प्रतिरक्षा संस्थापनों के औद्योगीकरण की इतनी बात कर रहे हैं तब पूरी उपबन्धित राशि भी प्रयुक्त क्यों नहीं की जाती?

फिर, जो सामान हम बाहर से खरीदते हैं उसकी ओर देखिये। इस पर हमारा खर्चा बढ़ गया है और जो शस्त्रास्त्र हमने खरीदे वे नवीनतम न होकर पुराने ढंग के हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें विदेशियों को रख कर सहायता लेना बन्द कर देना होगा। हमें अपनी थल, जल तथा नभ सेनाओं को वर्त्तमान टेकनीलोजीकल स्तर पर ही अधिक-

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

तम गतिमान करना होगा। हमें अपने सीमित टेकनीकल साधनों से ही अधिकतम प्रतिरक्षा सामर्थ प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। उन देशों में और हमारे देश में यह अन्तर है कि टेकनीकल रूप से तथा अर्थ व्यवस्था में वे देश बहुत विकसित हैं जबकि जनशक्ति की वहां अपेक्षाकृत कमी है। हमारे यहां जनशक्ति पर्याप्त है, आदमियों की कमी नहीं है, किन्तु हम टेकनीकल विकास में पीछे हैं। चीन की दशा बहुत कुछ हमारी ही जैसी थी। लेकिन फिर भी हमने यह प्रयत्न नहीं किया कि हम इस बात का अध्ययन करें कि चीनी सेना ने क्या प्रणाली अपनायी है। चीनी सेना में व्यूह प्रणाली तथा सैन्य संचालन का विकास अपने स्वयं के अनुभव से किया है। वह मानव शक्ति पर निर्भर रहती है, टेकनीकल रूप से विकसित अर्थ-व्यवस्था पर नहीं जो कि इंग्लैण्ड और अमरीका की सेना के बदल का आधार है।

मैं एक बात की ओर और ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। यद्यपि हम अपनी सेना में अंग्रेजी अधिकारियों की संख्या घटाते जा रहे हैं किन्तु अपने अफसरों को जो दृष्टिकोण हम दे रहे हैं वह उसी पुराने प्रकार का है। हमारे सारे जनरलों, एडमिरलों और एयर मारशलों को इम्पीरियल डिफेंस कॉलिज में प्रशिक्षण मिलता है। वहां वे क्या सीखते हैं? हो सकता है वहां वे कुछ टेकनीकल ज्ञान प्राप्त कर लें। किन्तु उन्हें सोवियत विरोधी आदर्श पढ़ाया जाता है। उन्हें सिखलाया जाता है कि रूस मुख्य आक्रांता है, कि उत्तरी एटलांटिक सन्धि स्वतन्त्रता प्रेमी देशों का शान्ति-प्रयत्न है। इसलिए इन श्वेतांग पदाधिकारियों के स्थान पर भारतीय पदाधिकारियों को नियुक्त कर देना ही काफी नहीं है, वरन् उस मनोवृत्ति को भी दूर करना है।

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे जैसे टेकनीकल रूप से पिछड़े हुए देश में आदमियों की महत्ता अधिक है। सामान की कमं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि अफसरों तथा जवानों के बीच निकट का सम्पर्क स्थापित हो। किन्तु हम देखते हैं कि अफसरों तथा जवानों के वेतनों में बहुत अधिक अन्तर है। एक सेकिंड लेफ्टिनेंट का वेतन ३५० रु० से प्रारम्भ होता है और अपनी नौकरी के चौबीसवें वर्ष में उसे १४०० रु० मिलते हैं। किन्तु निम्नतम श्रेणियों में श्रेणी १ के आदमी को ३५ रु०, श्रेणी २ के आदमी को ३० रु० और श्रेणी ३ के आदमी को २५ रु० से प्रारम्भ मिलता है। इतना बड़ा अन्तर रहते हुए निकटता की भावना नहीं आ सकती।

रहने के क्वार्टरों की दशा भी अच्छी नहीं है। यदि आप पानागढ़ जायें तो जिन बैरकों में वे लोग रहते हैं उनकी दशा देखकर आपको बहुत दुख होगा। पारिवारिक क्वार्टर इतने कम हैं कि इस कारण से अनेक दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। फिर भी हम देखते हैं कि आयव्ययक में उपबन्धित २३ लाख रुपयों में से केवल बारह लाख व्यय किए गये हैं। इसी प्रकार मरम्मत के लिए रक्खी गयी १.५ करोड़ रु० की राशि में से ८५ लाख ही खर्च किए गये हैं। वायु सेना के लोगों के लिए उपबन्धित राशि के सम्बन्ध में भी यही बात है। संशोधित प्राक्कलनों की राशियां बहुत कम हैं। हम जानना चाहते हैं कि इन राशियों में कमी किस कारण से हुई है।

पेंशन के नियमों के सम्बन्ध में भी मैं एक शब्द कहना चाहूंगी। लाल समिति की सिफारिशें दबा दी गयी हैं। सन् १९१७ से चले आए पेंशन के नियमों में कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, परन्तु फिर भी उनमें

न्याय देखने को नहीं मिलता । उदाहरण के लिए श्रेणी 'क' के जमादार को जिसका अधिकतम वेतन १५५ रु० है और ३० रु० भत्ता है, पच्चीस वर्ष की सेवा के पश्चात् पेंशन के रूप में अब तक दिए जाने वाले ४० रु० के स्थान पर ५५ ० मिलते हैं । इसलिए कोई अधिक वृद्धि नहीं हुई है । इन सब मामलों में हमें मानवीय पहलू पर ध्यान देना है, पेंशन नियमों को कृत्रिम रूप से नहीं बनाना है । इस बात का भी ध्यान रखना है कि सेवाकाल में उन्हें मुफ्त रिहायश तथा भोजन मिलता था और रिटायर होने पर उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारियां एक दम आ पड़ती हैं ।

श्री त्यागी : सेना में पदाधिकारी काफी कम आयु में निवृत्ति प्राप्त करते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : परन्तु उसे जितना कठोर काम करना पड़ता है, उस दृष्टि से उसे कुछ नहीं मिलता ।

असैनिक रक्षा-कर्मचारियों के लिए श्री त्यागी ने जो कुछ किया है वह कोई नई या अद्भुत बात नहीं है । कल्यानवाला समिति में जो इस विषय की जांच के लिए नियुक्त की गई थी, श्री कल्यानवाला की मृत्यु के बाद केवल दो ही व्यक्ति रह गए । उनमें श्री सुब्रह्मण्यम् के प्रगतिशील सुझाव सरकार ने नहीं माने और अधिकांशत: रक्षा मंत्रालय के श्री बी० बी० घोष की ही सिफारिशें मानी गईं । ऐसी स्थिति में इस समिति के दिखावे की आवश्यकता ही क्या थी ? यह काम तो एक विभागीय समिति भी कर सकती थी । अत: या तो श्री सुब्रह्मण्यम् के सुझाव भी माने जाने चाहियें, या दोनों सदस्यों के मतभेद की दृष्टि में यह बात अन्तिम निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को सौंपी जानी चाहिए ।

कर्मचारियों की सेवा १ अगस्त, १९४९ से जोड़ने के सम्बन्ध में मंत्रालय के निर्णय से भी लोगों में भारी असंतोष है । लगभग १५००० क्लर्कों को इससे हानि होगी; पदावनतियां होंगी और इससे उनके ऊपर भारी अन्याय होगा । बातचीत चलाने के लिए वे एक माध्यम की मांग कर रहे हैं और आयुध कारखानों के कर्मचारियों की भी यह उचित मांग स्वीकार की जानी चाहिए, जैसे कि रेल कर्मचारियों की वैसी ही मांग स्वीकार की गई है । तथाकथित नई व्यवस्था में निजी उद्योगों की अपेक्षा उनको कितना अधिक मिल गया है, मैं इस बात के विवरण समयाभाव से नहीं ले सकती; परन्तु अप्रवीण कर्मचारियों को ३० रुपए और प्रवीण कर्मचारियों को ३५ रुपए देने में कोई विशेष नई बात नहीं है, क्योंकि इतना तो केन्द्रीय वेतन आयोग वर्षों पहले निश्चित कर चुका था ।

सेवाओं की सुरक्षा के विषय में पूर्वोल्लिखित ठेके वाले श्रमिकों की बात तो मैं न लूंगी, परन्तु फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि अधिकांश श्रमिकों के विषय में सेवा की कोई सुरक्षा नहीं है । वे केवल अस्थायी या आकस्मिक कर्मचारी ही हैं । कुछ स्थानों का सैनिकीकरण हो रहा है, जैसे १०–१५ साल पुराने द्वार-रक्षकों को निकाल कर उनके स्थान पर निम्न कमीशन प्राप्त पदाधिकारी रखे जा रहे हैं । उनके २२५ रुपए के वेतन के स्थान पर उनको निम्न श्रेणी के क्लर्कों का ८५ रुपए का वेतन दिया जा रहा है, या निकाला जा रहा है, जो अनुचित है । इससे बेरोजगारी की समस्या का समाधान न होगा ।

इन आयुध कारखानों की सारी समस्याओं की जांच के लिए प्रधान मंत्री ने गत वर्ष एक समिति की नियुक्ति का वचन दिया था, वह समिति अब दस महीने बाद नियुक्त की गई है, और उस समिति में भी सरदार बलदेवसिंह जिन्होंने अपने मंत्रिकाल में इस प्रश्न को ठुकरा दिया था, और किर्लोस्कर

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

जैसे पूंजीपतियों को रखा गया है और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। इनके वास्तविक पुनर्गठन में सेवाओं की स्थायिता और सुरक्षा के प्रश्न पर भी विचार करना चाहिए।

अपनी पूरी शक्ति का दुरुपयोग करने की दृष्टि में हमें सेना को जनसाधारण का अंग बनाना चाहिए। वह न केवल युद्धकाल में जनता की रक्षा करे, बल्कि शान्तिकाल में भी पुल, सड़कें कुएं आदि बनाकर वह जनता की सेवा करे। तभी जनता सेना को अपना समझेगी। उस दशा में सेना प्रत्येक बड़ी से बड़ी शक्ति का सामना कर सकेगी, जैसे चीन और उत्तर कोरिया की सेनाओं ने कर दिखाया है। अतः एक अविकसित देश में भी जन-शक्ति को संगठित करके उसे अजेय बनाया जा सकता है।

श्रीमती सुषमासेन (भागलपुर दक्षिण) : सबसे पहले मैंने अनिवार्य-सैन्य शिक्षा की मांग की थी और यद्यपि उस समय वित्तीय कारणों से यह असम्भव बताया गया था, परन्तु आज मुझे यह देख कर हर्ष है कि अब प्रादेशिक सेना का विस्तार किया जा रहा है। इसी प्रकार राष्ट्रीय छात्र सेना और सहायक सेना का भी विस्तार होना चाहिए।

श्री पटनायक ने कहा था कि हम सभी युद्धसामग्री का आयात करते हैं, परन्तु विवरण बताता है कि कुछ चीजें देश में भी बनती हैं। फिर भी हमें उनका विस्तार करना चाहिये और इस विषय में क्रमशः आत्मनिर्भर होने के लिये अग्रसर होना चाहिये। इसी प्रकार सेना का तत्काल विस्तार करने और असैनिक रक्षा का सगठन करने की बात में भी मैं श्री पट-नायक से सहमत नहीं हूं। जैसा प्रधान मंत्री ने बताया, अभी ऐसा कोई खतरा नहीं है। फिर भी अपनी सेना को प्रत्येक संकट के लिये दृढ़ और विस्तृत रखने की बात का कोई भी विरोध न करेगा। परन्तु मैंने विगत युद्ध के पूर्व लंदन में असैनिक रक्षा के संगठन को देखा है, उससे इतनी सनसनी फैल जाती थी कि मेरे होटल की कुछ महिलायें तो मूर्छित तक हो जाती थीं। प्रधान मंत्री और उनके कुशल सहयोगी के हाथ में हमारा रक्षा संगठन पर्याप्त रूप से दृढ़ है, और हमें कोई भय नहीं है, फिर भी हमें प्रत्येक संकट का सामना करने के लिये सन्नद्ध रहना चाहिये।

असैनिक रक्षा कर्मचारियों की यह मांग सर्वथा उचित है कि उन के विवादों के निबटारे के लिये कुछ माध्यम होना चाहिये। इस बेरोजगारी के समय विशेष छंटनी भी नहीं होनी चाहिये। स्थायिता के विषय में भार-तीय उच्च कर्मचारियों को अग्र स्थान देने की नीति के कारण रक्षा कारखानों के ५००० कर्मचारियों और १६००० अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी हुई। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ लगभग २,६४,००० असैनिक कर्मचारियों की प्रतिनिध्वात्मक संस्था है। पता नहीं कि कल्याणवाला समिति का क्या बना ? सारी समस्या पर विचार कर के इसका समाधान खोजना चाहिए। १९५० में बाढ़ पीड़ित बिहार में ८००० मन अनाज पहुंचा कर और दुर्भिक्ष को रोक कर सेना ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था, वह सर्वथा स्तुत्य है। इस प्रकार रक्षा कर्मचारियों ने सदैव बड़ा सराहनीय कार्य किया है। अतः रक्षा मंत्री से मेरा निवेदन है कि इन लोगों को उचित वेतन दिया जाय। उनके परिवारों की पेन्शनें बन्द कर दी गई हैं, जो उचित नहीं हैं। मोर्चे पर जाने वाले सैनिकों के परिवारों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। उनके बच्चों की

शिक्षा के लिये मंत्रालय को कुछ प्रबन्ध करना चाहिए ।

रक्षा-उपकरणों का उत्पादन देश में करके हमें आयात कम करने चाहिएं । इन उद्योगों के विकास के लिये देश में कोशिश की जानी चाहिए । इससे बेरोजगारी भी कम होगी । पंजाब में मैंने युवकों कोसड़कें आदि बनाते देखा है । उनको इस प्रकार की सुविधायें दी जानी चाहियें ।

श्री कानावडे पाटिल (अहमदनगरउत्तर): सब से पहले मैं अपने रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं को देश की सुरक्षा को निरंतर दृढ़ करने के लिए बधाई दूंगा । वित्त मंत्रालय ने वित्तीय कठिनाइयां होने पर भी कुल आय का लगभग आधा अर्थात् २,०५,६२,००० रुपये रक्षा व्यय के लिए आवंटित किए हैं ।

सब से पहला प्रश्न जो प्रायः सभी सदस्यों ने उठाया है वह यह है कि क्या हमारी सेना इतनी लंबी सीमा की रक्षा के लिए पर्याप्त है । हाल में पाक अमरीका सैन्य संधि ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है । पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध न करने के घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करने से सदा इनकार करता रहा है , और वह बातचीत से ही समझौते पर पहुंच जायेगा और हमसे यद्ध न करेगा, यह बात मेरी समझ में ठीक नहीं है । पाकिस्तान एक न एक दिन हमसे युद्ध किये बिना न रहेगा काश्मीर तथा अन्य कल्पित शिकायतों के बारे में हमारे सत्य और अहिंसा के सिद्धान्तों से उसे संतोष न होगा, और हमें इस के लिये सन्नद्ध रहना चाहिए ।

पाक-अमरीकी-सैन्य-संधि और पाक-टर्की संधि से प्रकट हो गया है कि अमरीका मुस्लिम राज्यों को संगठित करना चाहता है । पर मिश्र, अफगानिस्तान और ईरान आदि देशों के उसके चंगुल में न आ सकने के कारण उसकी आशायें सफल होती नहीं दीखती और मुस्लिम राज्यों तथा एशिया के कुछ प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों का भी यही विचार है कि इससे पाकिस्तान को कोई लाभ न होगा । फिर भी हमें यह समझ कर चुप नहीं बैठ जाना चाहिए कि कोई खतरा नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय का प्रमख कर्तव्य यही होना चाहिए कि देश को सुदृढ़ बनाए । यह कितने दुःख की बात है कि जब दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र आक्रमण तथा आत्म रक्षा के लिए अणु-अस्त्रों को विकसित कर रहे हैं, हमारे यहां बड़े-बड़े रक्षा उद्योग तक नहीं हैं ।

हमें अणु-अस्त्रों से डरना नहीं चाहिए । अमरीका ने शायद हमारी तटस्थता भंग करने के लिए ही पाकिस्तान से समझौता किया है । परिस्थितियों को देखते हुए हम रक्षा के लिए इससे अधिक और कितनी राशि दे सकते थे, परन्तु फिर भी हमें उसके लिए पर्याप्त राशि का उपबन्ध करना चाहिए परन्तु पंचवर्षीय योजना को भरसक पूरा करके और अपनी आर्थिक स्थिति सुधार कर ही हम अपनी रक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

अतः सरकार से रक्षा व्यय बढ़ाने को कहने से पहले हमें यह देखना होगा कि देश की वित्तीय स्थिति क्या है । हम सदैव विदेशी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते । एक न एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होना होगा । रक्षा सम्बन्धी तैयारियों के साथ ही हमें यथा शीघ्र पंचवर्षीय योजना भी पूरी करनी है ।

ब्रिटिश आयव्ययक की तुलना में, जिसमें १७० करोड़ पौंड या २४०० करोड़ रुपयों का उपबन्ध किया गया है, हमारा आयव्ययक कुछ भी नहीं है । फिर वह छोटा सा देश है और हमारी सीमा रेखा इतनी लम्बी है ।

[श्री कानावडे पाटिल]

अमेरिका ने जितनी राशि रक्षा व्यय के लिए रखी है, उसे पढ़ना भी सरल नहीं है। इस राशि से मुख्यतः अणु-अस्त्र तैयार किये जा रहे हैं। टाइम्स आफ इंडिया ने अपने २४ मार्च १९५४ के अग्रलेख में इसे अणु-प्रमाद कहा है और बताया है कि सभी बुद्धिमान राजनीतिज्ञों को इसका विरोध करना चाहिए। १ मार्च, १९५४ को मार्शल द्वीपों में गिराया गया अणु-बम हिरोशिमा पर छोड़े गये बम से ६०० गुना अधिक प्रभावशाली है और इससे ६०–७० मील तक के लोग प्रभावित हुए हैं। क्या अमरीका और ब्रिटेन साम्यवादियों से लड़ने के ही लिए इतना भयानक बम बना रहे हैं, जिनके विषय में हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि इनसे मानवता का नाश हो जाएगा। उनका इरादा दुनियां पर शासन करने का प्रतीत होता है। हमारे यहां बुद्ध, बुद्ध और महात्मा गांधी आदि सभी ने विश्व-प्रेम, अहिंसा और शान्ति पर जोर दिया है, पर ये राष्ट्र जो ऐसे भयानक बम बना रहे हैं, अपने धर्मप्रचारक हमारे यहां भेज कर धर्म का भी प्रचार करना चाहते हैं। स्वयं बाइबिल में सेंट मैथ्यू के संदेशों में यह कहा गया है कि बकरी की खाल पहन कर आने वाले ऐसे उपदेशकों से हमें सतर्क रहना चाहिए। अतः हमें अपनी सैनिक तैयारी करते रहना चाहिए, जिससे बाहरी आक्रमण होने पर हम मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमें विदेशी एजेंटों के षड्यंत्रों से भी सावधान रहना चाहिए, और मातृभूमि की सुरक्षा के हित में उनकी गतिविधि पर ध्यान रखना चाहिए। अमरीकी सहायता को भी विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह जिस भी देश को दी गई है वे नीति के विषय में अमरीका के अधीन रहते हैं च्यांग काई शेक और सिंगमेन री के उदाहरण हमारे सामने हैं। इंडोचीन में भी यह सहायता मिल रही है, परन्तु फ्रांस अपनी बाजी हारता जा रहा है। अमरीका के पास इस सहायता के अलावा एकमात्र अस्त्र अणु-बम है, जो वह अपनी नीति का विरोध करने वाले किसी भी देश के विरुद्ध प्रयुक्त कर सकता है।

हम अपने प्रधान मंत्री से इस बात में पूर्णतः सहमत हैं कि रक्षा के विषय में हमें यथार्थवादी बनना पड़ेगा और सर्वश्रेष्ठ रक्षा देश में एकता अभय और वैसी मनोवृत्ति बनाए रखने में है। अतः हमें अपनी एकता में और परमात्मा की कृपा में पूरा विश्वास है और हमें पाक-अमरीकी संधि से नहीं डरना चाहिए क्योंकि—

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥

श्री जी० एस० सिंह (भरतपुर-सवाई माधोपुर) : कोरिया में ऐसा महान् कार्य करने के लिए भारतीय संरक्षा कटक के व्यक्ति सदन के और देश के धन्यवाद के पात्र हैं और मंत्रालय को मैं यह सुझाव देता हूं कि उनको इसके लिए एक स्मारक पदक दिया जाए। हमारी वायु-सेना भी अब वयस्क होती जा रही है और १ अप्रैल से वह एक भारतीय सेनापति के अधीन हो जाएगी और मुझे आशा है कि वह इस वीरतापूर्ण परिपाटी को बनाए रखेगी। नए महासेनापति के लिए मैं इस सेना को बधाई देता हूं। पर हमें अंग्रेज परामर्शदाताओं को भी धन्यवाद ही देना चाहिए क्योंकि उन्होंने गत वर्षों में हमारी सेनाओं का स्तर बढ़ाने और बनाए रखने में हमें सहायता दी है। हमें साम्यवादी सदस्यता की भांति उनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए।

पाक-अमरीकी सैन्य संधि की सभी निन्दा करेंगे और मैं भी उनसे सहमत हूं, पर इसने कम से कम हमें सुदृढ़ रूप से एक हो जाने का

एक महान् अवसर प्रदान किया है, और मुझे पूरी आशा है कि इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दल और प्रत्येक नेता देश को सुदृढ़ और एक बनाने के लिए अग्रसर होगा । एक बात और है कि यद्यपि पाकिस्तान सदैव भारत से शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता रहा है, परन्तु भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि चीन या रूस आदि कहीं से भी हिमालय की ओर से आक्रमण होने पर पाकिस्तान उस बाढ़ को रोकने की दृष्टि से भारत का सहायक ही सिद्ध होगा ।

यद्यपि एक रूप नीति न अपनाने के कारण कुछ लोग प्रधान मंत्री की आलोचना करते हैं, परन्तु मैं स्वाभावतः ही उनका घोर-समर्थक हूं । प्रत्येक नए संकट का सामना नये रूप में करना चाहिए और अनिश्चित काल तक सदा एकरूप नीति अपनाते रहना आज के युग में उपयुक्त नहीं है । एक लेखक श्री राबर्टस के शब्दों में केवल भ्रांत, अज्ञानी और अदूरदर्शी व्यक्ति ही सदैव एकरूप नीति में विश्वास करते हैं। अतः निरन्तर एकरूप नीति अपनाते जाना ही उचित नहीं है ।

बाहरी खतरा इतना बड़ा नहीं है कि हम अपनी सैन्य शक्ति से उसका सामना न कर सकें, परन्तु अपेक्षतया बड़ा खतरा देश में ही धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से जासूसी का काम करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों से है । मैं नहीं चाहता कि मैकार्थी की भांति लोगों को तंग किया जाए, परन्तु मंत्रालय से मेरा अनुरोध है कि महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठापनों, संचार आदि की सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों आदि में जांच की जाए और इस प्रकार के लोगों का पता लगाया जाए । इस प्रकार हमें अपनी सुरक्षा को दृढ़ करना चाहिए ।

मुझे अपने सैनिकों और सैन्य-पदाधिकारियों पर पूरा भरोसा है कि वे देश के लिए प्राणों की बाजी लगाने में न हिचकेंगे, परन्तु उनके प्राणों को बहुमूल्य बनाने के लिए उन को अभिनव यंत्रों और अस्त्रों से सुसज्जित कर देना चाहिए । अभी हम अधिकांश का आयात करते हैं, परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया था, हमें बुनियादी रक्षा उद्योग खड़े करने होंगे । रॉल्स रॉयस कम्पनी के साथ भारत में जैट इंजिन बनाने के लिए, जो समझौता हुआ है, उससे मुझे प्रसन्नता है । यद्यपि कुछ लोग इसका भी विरोध करते हैं, परन्तु हमें विदेशों के अनुभव से लाभ उठाना चाहिए । यही बात कार, रेडियो आदि अन्य उद्योगों के विषय में भी की जा सकती है । हमारे आयुध-कारखाने भी यथावश्यक काम कर रहे हैं, पर उनको भी नए यंत्रों की आवश्यकता है । उनमें कपड़ा, जूते आदि ऐसी चीज़ें भी न बननी चाहिएं, जो बाहर देश में सुविधा से बन सकती हैं और देश के उद्योगीकरण में सहायक हो सकती हैं । इससे बेरोजगारी भी कम होगी ।

साम्यवादी महिला सदस्य और श्री नम्बियार ने पदाधिकारियों तथा सैनिकों के वेतन की भी बात उठाई थी, पर वेतन की चर्चा करते समय मुफ्त मिलने वाले राशन, निवास, वस्त्र आदि की बात ये लोग भूल जाते हैं । मेरे मित्रों के अनुसार निम्न पदाधिकारी बहुत अधिक वेतन प्राप्त करते हैं, परन्तु मेरे विचार से बात उलटी है और मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उनकी सेवा-शर्तें वैसी ही बनाई जाएं, जैसी नई वेतन-संहिता के प्रारम्भ से पहले थीं । इनमें से बहुत से लोग विवाहित होते हैं और उनको नियमों के अनुसार विहित स्तर बनाए रखना पड़ता है । इतने रुपयों में उनका और उनके परिवार का खर्च भी नहीं चल पाता । वेतन आदि आकर्षक न होने के कारण ही उपयुक्त प्रकार के लोग उपलब्ध नहीं हो पाते । रक्षा-संगठन में पदाधिकारियों के रक्षित-संवर्ग की संख्या पर्याप्त नहीं है । अलेक्सिस द टोर्कविल नामक फ्रांसीसी

[श्री जी० एस० सिंह]

लेखक के शब्दों में और कुछ रास्ता न मिलने पर ही लोग सेना में प्रविष्ट होते हैं और इस प्रकार इस व्यवसाय के प्रति जनता में समादर न होने से सर्वश्रेष्ठ प्रकार के लोग सेना में नहीं आ पाते । अतः सेना के निम्न पदाधिकारियों के वेतन-प्रमापों के विषय में शीघ्र जांच होनी चाहिए ।

मुझे मंत्रालय को एक सुझाव और देना है कि एक ज्येष्ठ राजनीतिज्ञ पूरे समय के लिए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए । माननीय रक्षा संगठन मंत्री निम्न पदाधिकारियों की शिकायतें सीधे-सीधे सुनते हैं । यह उचित नहीं है, क्योंकि इससे अनुशासन शिथिल होता है और यह खतरनाक तरीका है । दूसरे यदि कोई सन्तरी या सिपाही किसी मंत्री को पहचान न सकने के कारण रोक देता है, तो उसके कर्त्तव्य पालन की सराहना करनी चाहिए, परन्तु हमारे कुछ मंत्री इस के लिए उसके ऊपर कार्यवाही करते हैं, जो अनुचित है ।

सहायक वायु सेना विधेयक के बारे में मुझे यह सुझाव देना है कि जहां-जहां उड्डयन क्लब हैं, ऐसे जत्थे संगठित किए जा सकते हैं । रोजगार हीन चालकों को भी शिक्षकों के रूप में लगाया जा सकता है । सरकार दिल्ली उड्डयन क्लब को बहुत रुपया देती है, यद्यपि वहां एक ही शिक्षार्थी है ।

इस दुनियां में कोई युद्ध नहीं चाहता, परन्तु इस देश में और प्रत्येक देश में ऐसे व्यक्ति हैं, जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए युद्ध से कभी न घबड़ायेंगे ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एंव रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : गत दो वर्षों से मेरा इस देश में प्रतिरक्षा सेनाओं तथा रक्षा मंत्रालय के साथ निकट सम्पर्क रहा है, पहले भी इनके साथ सम्पर्क रखना मैं अपना कर्तव्य समझता था । परन्तु गत दो वर्षों में वह सम्पर्क सतत तथा निकट रहा है । अतः मैं अपने भाषण के आरम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि मैंने अपनी प्रतिरक्षा सेनाओं तथा देश की विभिन्न रक्षा स्थापनाओं के सम्बन्ध में अच्छी राय बना ली है । मैं यह केवल उपचार के रूप में ही नहीं कह रहा अपितु मेरी यह धारणा है कि हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं में ऊपर से लेकर नीचे तक उच्च-कोटि के सैनिक तथा अफसर हैं ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से गत साढ़े छै वर्षों में हमने अपनी प्रतिरक्षा सेनाएं लगभग नये सिरे से बनाई हैं, निस्सन्देह उन्हें पुरानी बुनियाद पर बनाया गया, यह बात सही है । परन्तु सदन को याद होगा कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त बाद सेना के दो टुकड़े किये गए जिनमें से एक टुकड़ा पाकिस्तान चला गया । इसके बाद ही काश्मीर की सैनिक कार्यवाही तथा अन्य कार्यवाहियां हुईं । हमारी सेना, नौसेना तथा वायु सेना को तरह तरह के काम करने पड़े । सदन को कोरिया में भारतीय संरक्षक कटक की कहानी भी मालूम होगी । इसकी ओर यहां बार बार निर्देश किया गया । हमारी वायु सेना चिरकाल से हमारे उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में रंसद पहुंचाती रही है । हमारी सेना समय समय पर खाद्य-उत्पादन के सम्बन्ध में जनता का भी हाथ बटाती रही है । उन्होंने अधिक अनाज पैदा न किया हो, परन्तु कहने का उद्देश्य यह है कि एक सक्षम तथा अनुशासित सेना होने के साथ साथ वह जनता के निकट आती रही है जैसे कि हम चाहते भी हैं, हमें दो बातें ध्यान में रखनी हैं । एक यह है कि सेना में अनुशासन रहे तथा दूसरी यह कि जनता तथा सेना में एकता की भावना आ जाये । तो, यदि मैं अपनी सेनाओं को उनकी क्षमता, निष्ठा तथा अनुशासन के लिए श्रद्धां-

जलि पेश करूंगा तो मुझे भरोसा है कि सदन मुझ से सहमत होगा ।

यद्यपि हम शान्तिकाल में रह रहे हैं, फिर भी हमारे बहुत से जवान निरन्तर रूप से कुछ खतरे का सामना कर रहे हैं । विशेष कर वायु सेना में घटनाएं होती हैं तथा कीमती जानें नष्ट होती हैं । निरन्तर क्षमता, निरन्तर प्रशिक्षण तथा प्रयोग के लिए हमें यह एक तरह से कीमत चुकानी पड़ती है । यह एक अफ़सोसनाक बात है कि एक जवान की को जिसे कि बरसों तक ट्रेनिंग दी जाती है, जान चली जाती है । यह राष्ट्रीय तथा वैयक्तिक दोनों तरह की हानि है, फिर भी हमें इन कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है ।

रक्षा मंत्रालय की बहुत सी आलोचना की गई हैं तथा यह की भी जा सकती हैं क्योंकि इस मंत्रालय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हर कोई काम जो वह करते हैं, भली भांति करते हैं, ग़लतियां तो होती हैं । हम आलोचना का स्वागत करते हैं विशेष कर जबकि इससे किसी चीज़ में सुधार हो । मैं इन मामलों में नहीं जाना चाहता हूं । मैंने कटौती प्रस्ताव देखें, उनकी एक बड़ी भारी संख्या है । मैं उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे कुछ सशयोगी वादविवाद के दौरान में उन पर अवश्य ही प्रकाश डालेंगे । मैं केवल कुछेक मूल बातों की ओर ही निर्देश करूंगा ।

एक बात यह है कि देश में रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का प्रादुर्भाव संतोषजनक है । उनमें से सारे उद्योग काम तो नहीं कर रहे हैं । कुछ तो अभी बन ही रहे हैं । मेरे विचार में इस दिशा में हमारे काम का रिकार्ड संतोषजनक है, क्यों कि अन्ततोगत्वा किसी देश की रक्षा-व्यवस्था उद्योगों के विकास पर विशेष कर रक्षा सम्बन्धी उद्योगों के विकास पर ही निर्भर है । युद्ध में अब अधिकाधिक रूप से यंत्रों को प्रयोग में लाया जा रहा है । टैक्निकल सुधार तो दिन प्रतिदिन होता जा रहा है । इन टैक्निकल सुधारों अथवा प्राप्तियों पर अधिकाधिक रूप से निर्भर रहना आवश्यक बन गया है । इस सम्बन्ध में हम अन्ततोगत्वा विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं । उससे किसी समय नुकसान पहुंचने का भी डर है क्योंकि हो सकता है कि वह सहयोग देना बन्द कर दें । इसलिए रक्षा व्यवस्था के विकास की एक परीक्षा यह भी है कि देश में रक्षा सम्बन्धी उद्योगों का विकास हो । जनसंख्या तो हमारी पर्याप्त है । परन्तु अधिक संख्या में होने से ही काम नहीं चलेगा, भूतकाल में इससे काम नहीं चला है यद्यपि संकट के समय यह बात किसी राष्ट्र को उत्साह प्रदान कर सकती है । आखिर में टैक्नीकल शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों से तथा उपकरण से ही काम चल सकता है ।

जब हम उपकरण तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आधुनिकतम युद्ध- प्रणाली आ जाती है— अर्थात् अणुबम तथा उद्जन बम आदि । इनके अलावा और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिनका ज़िक्र समाचार पत्रों में तो नहीं आता है किन्तु जो किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने पर प्रकट हो सकती है, वह तो रहस्य हैं । कोई भी देश उन्हें प्रकाशित नहीं करेगा, उद्जन बम को तो वह छिपा नहीं सकते हैं क्योंकि वह तो एक बहुत बड़ी चीज़ है । जो शस्त्र प्रकट भी हुये हैं वह बहुत खतरनाक तथा भयानक हैं । कुछेक देशों को छोड़ के कोई भी यह शस्त्र अपने पास नहीं रख सकता है । राज्यों की रक्षात्मक तथा आक्रमणात्मक शक्तियों में अब भारी अन्तर है क्योंकि यह शस्त्र तो बहुत ही कम देशों के पास हैं ।

अणु शस्त्रों को ही लीजिये, दो बड़े देशों को छोड़ कर कुछ ही एक देशों के पास

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

यह होंगे और वह भी बहुत कम मात्रा में।

तो ऐसी दशा में हमारी रक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है ? स्पष्ट है कि हमारे पास अणु-बम नहीं है । अणु-शक्ति के सम्बन्ध में हम प्रयोग तो करते हैं तथा हमारा एक योग्य अणुशक्ति आयोग भी है। युद्ध के दृष्टिकोण से इसका इस समय कोई महत्व नहीं । प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से इसका अच्छा खासा महत्व है । एशिया के देशों में, विशेष रूप से भारत एक ऐसा देश समझा जाता है जिसने कि अणुशक्ति का विकास किया है--इस क्षेत्र के अन्य देशों के मुकाबले में इसकी इस सम्बन्ध में प्रगति अधिक है । युद्ध की दृष्टि से हम इसे छोड़ सकते हैं। तो, रक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में हमें वैज्ञानिक तथा टैक्निकल प्रगति को ध्यान में रखना चाहिये, तथा हम इस सम्बन्ध में, यथासम्भव, आत्म-निर्भर होना चाहते हैं ।

इस मामले में आत्म निर्भरता हमारे खनिज तथा अन्य संसाधनों पर निर्भर है । हमारे पास बड़ी मात्रा में ये पदार्थ हैं, जो कि हम इसमें आत्म-निर्भर नहीं हैं । बहुत सी चीज़ें हमारे पास हैं किन्तु कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं हैं। हो सकता है कि हमारे पास इनकी अधिक मात्रा हो । हमने देश का अभी तक पूर्णतः भूतत्वीय तथा अन्य तरह का परिमाप नहीं किया है हम यह परिमाप कर रहे हैं क्योंकि रक्षा एवं उद्योग की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है ।

रक्षा व्यवस्था का आयोजन करते समय हमें कौन सा ढांचा अपनाना चाहिये ? इस सम्बन्ध में हमें कुछेक मुख्य बातें ध्यान में रखनीं चाहियें। इस प्रश्न के दो हलू हैं। एक रक्षा का तथा दूसरा आक्रमण का । युद्ध काल में इन दो चीज़ों में अन्तर रखना कुछ कठिन है । फिर भी देश को रक्षात्मक युद्ध अथवा आक्रमणात्मक युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता है । जब मैं आक्रमणात्मक युद्ध की बात कर रहा हूं तो मेरा आशय दूरगामी आक्रमणात्मक युद्ध से है क्योंकि यदि इस प्रकार का युद्ध सीमाओं के पास हो तो यह रक्षात्मक युद्ध बन जाता है । इससे अवश्य ही फ़र्क पड़ता है । विश्व के कुछ बड़े बड़े देश दूरगामी आक्रमणात्मक युद्ध के लिए तैयारी करते हैं तथा वास्तव में उनकी गतिविधियों के अन्तर्गत सारा विश्व आ जाता है । स्पष्टतः अपनी आकांक्षा तथा अपने सामर्थ्य को दृष्टि में रखते हुए हमारा यह विचार नहीं कि हम दूर के आक्रमणात्मक युद्ध के लिए अपनी सेनाएं तैयार करें । जहां तक हमारा सम्बन्ध है वे मूलतः रक्षात्मक सेनाएं हैं। दूरगामी आक्रमणात्मक युद्ध में किन बातों की आवश्यकता होती है अथवा हो सकती है ? वह अभियानार्थ सेना है । अंग्रेजी हुकूमत के पुराने जमाने में विदेशों में भेजने के लिये एक अभियानार्थ सेना यहां रहती थी । यह सेना भारत के लाभ के लिये नहीं लेकिन स्वयं अंग्रेज़ों के लाभ के लिये किसी महायुद्ध में अथवा अन्य देशों में भेजी जाती थी । भारतीय सेनाएं पश्चिमी एशिया, दक्षिण-पूर्वी एशिया, सुदूरपूर्व, अफ्रीका और यूरोप में की गई हैं । हमने सबसे पहले यह निर्णय किया कि हमें इस विषय में नहीं सोचना चाहिये ।

६ म० प०

दूसरा उदाहरण लीजिये । क्या विमान सेना के सम्बन्ध में हमें ऐसे विमानों की आवश्यकता है जो सुदूर देशों में जाकर बम गिरायें । रक्षा की दृष्टि से हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। समस्या का व्यावहारिक हल ढूंढने की दृष्टि से वे बेकार रहेंगे । दूरी तक बम फैंकने वाले विमान की अपेक्षा बीस, तीस

या पचास साधारण विमान अधिक उपयोगी हैं जबकि उसकी कीमत भी लगभग इतनी ही है। दूर दूर तक बम फेंकने वाले विमानों के निर्माण के लिये हमारे यहां औद्योगिक पृष्ठभूमि भी नहीं है।

मैं केवल कुछ विचार उपस्थित कर रहा हूं जो कदाचित् माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में नहीं हैं ताकि हम जिन समस्याओं का सामना करते हैं उनके सामने आ सकें।

अतः मैं इस बात को दोहरा दूं कि हमारी सेना का प्रतिरूप आक्रमण करना नहीं प्रत्युत रक्षा करना है। और यह बात सभी पर लागू है, भले ही वह थल सेना हो, विमान सेना हो, या नौ सेना। इसी पर यह निर्भर है कि हमें किस प्रकार के अस्त्रों की आवश्यकता है। अन्य वस्तुओं के साथ इन सबका संतुलन स्थापित करना है। कोई भी व्यक्ति किसी एक नियम को सम्पूर्ण एवं पर्याप्त नियम का रूप नहीं दे सकता।

दूसरा दृष्टिकोण यह है कि हमें अधिकतर उन्हीं वस्तुओं पर निर्भर रहना चाहिये जिन्हें हम अपने आप निर्माण कर सकते हों। हम किसी भी वस्तु को सहसा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसमें कुछ देर लगती है। लेकिन इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि हमें यथासम्भव आवश्यक वस्तुगों को स्वयं ही बनाना चाहिये। दूसरे हम उन वस्तुओं पर आश्रित रहना श्रेयस्कर समझते हैं जिन्हें हम तैयार कर सकते हैं, उन वस्तुओं पर नहीं जिन्हें हम विदेशों से प्राप्त करते हैं, भले ही वे कितने ही उन्नत रूप में क्यों न हो। यह नियम भी अपने आप में पूर्ण नहीं है और जब हमें अच्छी वस्तु मिलती है तो हम उसे बाहर से लेते हैं लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। साधारणतया हम उन वस्तुओं पर अवलम्बित रहते हैं जो हमारे यहां तैयार होती हैं अथवा निकट भविष्य में हो सकती हैं। क्योंकि बाहरी सामान पर निर्भर रहना सुरक्षात्मक नहीं है। यदि आप इन बाहरी वस्तुओं पर बहुत अधिक आधारित रहते हैं तो इन वस्तुओं की अनुपस्थिति में हम बिल्कुल विवश हो जायेंगे। अतः अन्तिम विश्लेषण में, यह कहना अधिक अच्छा है—यद्यपि मैं इसे कहना नहीं चाहता हूं और जो आम तौर पर नहीं है—कि हमें दूसरी कोटि के उन शस्त्रों पर निर्भर रहना बेहतर है जिन्हें हम बना सकते हैं, बनिस्बत उन वस्तुओं के जिनके लिये हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है अथवा जो अवसर पड़ने पर हमें न मिल सकें।

जैसा मैंने कहा कुछ दूसरे व्यापक दृष्टिकोण हैं, जिनका अन्य तथ्यों द्वारा संतुलन करना है।

सात वर्ष बीत चुके, स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारी सेना एक प्रभावशाली सेना थी। हमारे पास एक सक्षम विमान सेना थी और नौसेना का सूत्रपात हो चला था। यद्यपि सूत्रपात साधारण पैमाने पर था पर वह सुन्दर और कौशल्य युक्त था। वह भी छिन्न भिन्न हो गया। मुझे निश्चित तो मालूम नहीं लेकिन उस समय हमारी सेना में ८,००० विदेशी पदाधिकारी थे। यह एक बड़ी संख्या थी। निश्चित है कि युद्ध के परिणामस्वरूप किंवा युद्धोत्तर परिणामों के प्रतीकस्वरूप ऐसा हुआ था। हमारी सेना में ब्रिगेडियर से ऊंचे पद पर कदाचित् ही कोई भारतीय रहा हो। हमें इस सेना का नये ढंग से निर्माण करना पड़ा। देश की विशालता को दृष्टिगत करते हुए यह सेना इतनी बड़ी नहीं है। अकुशल, किन्तु बड़ी सेना के स्थान पर छोटी किन्तु अपेक्षाकृत कुशल सेना रखना अच्छा है। यह स्पष्ट है। लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर दूं क्योंकि कुछ लोगों का विचार है कि काश्मीर के कारण, तथा अन्य घटनाओं के कारण हम इतनी बड़ी सेना रखते हैं और रक्षा व्यय पर इतनी रकम खर्च करते हैं।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

लेकिन जैसा कि सदन को स्मरण होगा हर वस्तु की कीमत बढ़ जाने से रक्षा सम्बन्धी उपकरण का मूल्य भी बढ़ गया है। प्रत्येक प्राविधिक प्रगति खर्चीली हो गई है। इन सब बातों के होते हुए भी कुशल पैदल सेना, विमान और नौसेना की कामना रखते हुए भी यह कहना सही है कि हमारे रक्षा व्यय में इतनी विपुल वृद्धि नहीं हुई है। दूसरे देशों की तुलना में और हमारी सेना के विविध उत्तरदायित्व को देखते हुए, उसका निर्वहन-व्यय अत्यधिक नहीं है। विकास सम्बन्धी कार्यों पर व्यय करने की हमारी इच्छा को देखते हुए सेना का व्यय निस्संदेह ही अधिक है लेकिन यदि हमें समर्थ पैदल सेना, वायु सेना और नौ सेना रखनी है तो इस की कुछ सीमायें हैं जिनसे परे हम नहीं जा सकते ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पिछले वर्षों में हमने उसमें कमी करने पर सदैव ही विचार किया है और वस्तुतः उसमें कुछ कमी हुई भी है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि भविष्य में उसमें कमी करने की कोई गुंजायश नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों का सुझाव है कि हमें गौण रक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहित करना चाहिये। यह भिन्न प्रश्न है और हमें आधुनिक लड़ाई की दृष्टि से नहीं, किन्हीं अन्य कारणों से ऐसा करना है। दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों की दृष्टि से यह आवश्यक है।

अतः छै या सात वर्ष पहले, विभाजन के बाद हमें सेना की विच्छिन्न अवस्था का सामना करना पड़ा। विदेशी पदाधिकारी हमारी सेना को छोड़ कर जा रहे थे और हमारे अपने पदाधिकारियों को अधिक अनुभव सम्पन्न न होते हुए भी काम सम्भालना पड़ा। काश्मीर की समस्या तथा दूसरी कठिन अवस्थाएं विद्यमान थीं। हमने उन सबको पार कर दिया। हमने सैनिक दृष्टिकोण से उन्हें पार कर दिया लेकिन इसके साथ ही हमारी स्थल सेना और विमान सेना प्रशिक्षण उपार्जन कर अनुभवी बन गईं।

सेना में विदेशी पदाधिकारियों की संख्या के विषय में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिये जा चुके हैं। सेना में एक भी विदेशी कार्यपालिका पद पर नहीं है। युद्धास्त्र फैक्टरियों और अकादमी आदि स्थानों पर इने-गिने विदेशी हैं। एक उच्च अधिकारी मंत्रणादाता के पद पर है जो शीघ्र ही निवृत्त होने वाला है। विमान सेना और नौ सेना में कुछ ब्रिटिश उच्च पदाधिकारी हैं, और स्पष्ट तो यह है कि हमें उनके अनुभव सिद्ध निर्देशन की आवश्यकता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि इन उच्च पदाधिकारियों ने अत्यन्त भक्तिपूर्वक और कुशल तरीके से सेना की सेवा की है। सदन को याद होगा कि वर्तमान एयर मार्शल शीघ्र ही निवृत्त हो रहे हैं और उनके स्थान पर कोई भारतीय विमान सेना का प्रमुख अधिकारी होगा।

हमारी नौसेना साधारण है और हमें इसका निर्माण करना है। इसमें केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रश्न ही नहीं है। उसमें सब तरह के अनुभव की आवश्यकता है। कोई भी देश अनायास ही प्रशिक्षित व्यक्तियों को जन्म नहीं दे सकता है। हमारी नौसेना ब्रिटिश नौसेना के संसर्ग में रही है, हमने उनके युद्धाभ्यासों में भाग लिया है। इस अनुभव के अभाव में हम पर्याप्त पिछड़ी अवस्था में होते। हमारी नौसेना ब्रिटिश नौसेना का प्रतिरूप है। हमने उनकी पद्धति को ही विकसित किया है। जब तक हम उसे त्याग कर सर्वथा नवीन रूप पर उसे नहीं ढाल देते हैं तब तक हमारे लिये यही अच्छा है कि जिस रूप को हमने अभी तक बढ़ावा

दिया है उसे उसी पर प्रगति करने दें। यह स्वाभाविक है कि हम उस अंग्रेजी नमूने को भारतीय वातावरण के अनुकूल बनायेंगे। यह तो होना है, और धीरे धीरे हो जाएगा। किन्तु, बहुत से ऐसे मामले हैं जिन के लिए आप को टैक्नीकल कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और यह अनिवार्य है कि अपने देश में उन का अभाव होने के कारण हमें बाहरी लोगों से सहायता लेनी पड़ती है। तब यह प्रश्न पैदा होता है कि कहां से इन टैक्नीकल विशेषज्ञों को बुलाया जाए ? माननीय सदस्यों से यहां प्रायः इस प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं कि स्वदेशी विशेषज्ञों के उपलब्ध होने में हमें कितनी देर लगेगी। इस में कोई सन्देह नहीं कि हमें देश के हर किसी पहलू में, वह टैक्नीकल हो अथवा और कोई, अपने ही देश के विशेषज्ञों की आवश्यकता है, और यह सही भी है कि हमारे अपने भारतीय बहुत तेज़ी से उन विदेशियों का स्थान ले रहे हैं। किन्तु सचाई यह है कि हमें बाह्य दशों के विशेषज्ञों के पथप्रदर्शन से बहुत लाभ हो सकता है; अतः मैं समझता हूं कि यदि हम किसी भी क्षेत्र में——वह घरेलू हो, उद्योग सम्बन्धी हो या नदी घाटी योजना का हो——बाहर के विशेषज्ञों के पथप्रदर्शन को बुरा समझें या उस से डरें, तो हम हर बात में पिछड़ जाएंगे——और इस तरह पीछे रह जाना एक मूर्खता की बात होगी।

विगत चार पांच वर्ष की कठिनाइयों को पार कर के अब हमारी रक्षा सेवाओं का ढर्रा बहुत ही अच्छे स्तर का होने लगा है। इस का श्रेय बहुत से वरिष्ठ भारतीय पदाधिकारियों को मिलता है। किन्तु हमें मानना पड़ेगा कि नौसेना और वायुसेना में बहुत हद तक ब्रिटिश पदाधिकारियों ने हमारी सहायता की है, और हमारी सेना को वर्तमान स्तर तक उठाया है।

मैं ने विकास की ओर निर्देश किया था और कहा था कि जब तक हम पुराने ढर्रे को नहीं उड़ाते, तब तक हम बिल्कुल नया नमूना नहीं बना सकते थे। प्रश्न यह उठता है कि नये नमूनों में से किस को अपनाया जाय ? मैं शायद यह कहने पर मजबूर हूं कि वर्तमान ढंग से युद्ध लड़ने का हमारे हां कोई भी ऐसा नया नमूना नहीं है, अतः हम भारतीय ढंग को नहीं अपना सकते। यह तो एक टैक्नीकल चीज़ है। यह तभी होगा जब हमारे हां वैज्ञानिकों की संख्या और उन के अनुभव बढ़ गये हों। हो सकता है कि धीरे धीरे जब विकास होने लगे तो हमारे सामने कोई भारतीय नमूना हो। तो इस का यह मतलब है कि हमें किसी माने हुए नमूने के अनुसार चलना होगा आप जानते हैं कि इंग्लैण्ड, अमरीका, रूस और कई यूरोपीय देशों की रक्षा सेवाओं के नमूने हमारे सामने हैं। और चूंकि आज तक हम ने अपनी सेनाओं के लिए ब्रिटिश नमूना अपनाया था, अतः यह आवश्यक बात थी कि हमें उसी को आगे के लिए भी चलाना पड़ता। यह कोई ख़राब नमूना नहीं था। जब भी हमें इसे बदलने की आवश्यकता पड़े, हम बदल देंगे। किन्तु इस सारी व्यवस्था को एकदम बदलने से सारा संगठन अस्तव्यस्त हो जाता, और वह मूर्खता की बात होती। हम इस में परिवर्तन कर सकते हैं, और निस्सन्देह हम ऐसा करेंगे भी। जिन लोगों ने हमारी इस बात पर आलोचना की है कि हम ब्रिटिश पदाधिकारियों को ही क्यों बुलाते हैं वे हमें यह नहीं बता सकते कि विशेषज्ञ नहीं होनें चाहिएं, किन्तु मैं समझता हूं कि वे यहां इंगलैण्ड वालों का रहना ठीक नहीं समझते हैं। एक और कठिनाई भी है। तो यदि आप इंगलैण्ड वालों को छोड़ कर किसी अन्य देश के टैक्नीकल पदाधिकारियों को बुलायें, वे यहां के नमूने या इस भारतीय ढर्रे में इसलिए पूरी तरह से नहीं उतर सकते क्योंकि वे और किसी पद्धति में प्रशिक्षित हो चुके हैं; यह सही है कि उन में योग्यता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि औरों के रहने से हमारा बुनियादी नमूना बदल जायेगा; अस्तु, जब भी हमें आवश्यकता पड़े हम इस नमूने

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

में परिवर्तन करेंगे । माननीय सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि जब भी हम ने नौसेना, वायुसेना या स्थलसेना का संगठन किया, हम ने इन ही बातों को ध्यान में रखा।

हम ने रक्षा उद्योग के विकास को बहुत ही महत्व दिया, और विकास करते समय हम ने बहुत सी गलतियां कीं । गलतियां हुआ ही करती हैं; हमें गलतियों से घबराना नहीं चाहिए । कभी कभी हमें कोई मशीन लगानी पड़ती है, जो बाद में हमारे काम नहीं आती, लेकिन इस का यह अर्थ नहीं कि वह बिल्कुल बेकार हो गई। हो सकता है कि आगे जा कर हम उस से काम लें । इसलिए यों कहना चाहिए कि हमारे पास जो भी संयंत्र हैं, उन्हें हम पूरी तरह से काम में नहीं ला सकते । यही कारण है कि इस समय हम उन्हें यथावश्यकता असैनिक अभिप्रायों को सिद्ध करने के लिए काम में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन का उपयोग हो सकता है; चुनाचि अनेक समितियां इसी काम में लगाई भी गई हैं । सामान्य उत्पादन और शान्तिकालीन कार्यों को दृष्टि में रखते हुए, इन संयंत्रों या मशीनों का काम में लाया जाना बहुत ही आवश्यक है । उद्योग सम्बन्धी इन समस्याओं को हम इसी ढंग से सुलझाना चाहते हैं ।

मैं पहले ही इस सदन में बता चुका हूं कि हम कार्यकुशलता को किसी हद तक दृष्टि में रखते हुए, प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय छात्रसैनिक दल को यथासंभव शीघ्रता से बढ़ाना चाहते हैं । भारत के इतिहास में सेना के दृष्टिकोण से आप को एक विशेष बात देखने को मिलेगी; और वह यह कि पुराने दिनों में यहां के शासक प्रायः सेना की संख्या पर अधिक विश्वास करते थे । वे कभी कभी निडर साहस पर विश्वास करते थे । उन्हों ने अनुशासन पर कभी कभी विश्वास किया हो, किन्तु टैक्नीकल प्रगति पर उन का कभी भी विश्वास नहीं रहा। सैनिक दृष्टिकोण से लिखे गए किसी भारतीय इतिहास को उठा कर देख लीजिए तो आप देखेंगे कि हमारे उन दिनों के उपाक्रान्ताओं ने दो बातों के आधार पर विजय प्राप्त की थी : उन की सेना में टैक्नीकल प्रगति थी—यानी उन के शस्त्रास्त्र नवीन ढंग के थे और उन में संगठन और अनुशासन था । किन्तु उन दिनों हमारी सेनाओं में एक खिचड़ी सी होती थी यानी हाथी, घोड़े, खच्चर, गधे, पुरुष-स्त्री सभी रहते थे, ऐसा लगता था कि महल का महल ही कूच कर रहा हो । यदि कहीं भी गड़बड़ हो जाती तो सभी तितर-बितर हो जाते—उस समय हमारे शूरवीरों के छक्के छूट जाते, क्योंकि उन के मुकाबले में अच्छे अच्छे, टैक्नीकल ढंग के शस्त्रास्त्र चलते थे, और चलाने वालों में अनुशासन होता था । बाबर की जीत का यही रहस्य है कि उस के पास अच्छी किस्म की तोपें थीं । उस की सेना इतनी बड़ी नहीं थी किन्तु नवीन ढंग से प्रशिक्षित थी, और अनुशासित थी : उस सेना के सामने दो ही बातें थीं—जीतवाओ या मर जाओ । इन सब बातों में केवल एक चीज़ ने उस सेना को जिताया, और वह थी उन की तोप ।

संख्या को ही बड़ा मानना ठीक नहीं । राष्ट्रीय गतिविधियों और कार्यकलापों के लिए संख्या ठीक है—किन्तु हमें उन को अनुशासित करना होगा। टैक्नीकल दृष्टिकोण से हमारी सेना मार्के की होनी चाहिए, और उसी के बाद हमारी दूसरी यानी गौण रक्षा सेना का होना आवश्यक है, जिस में प्रादेशिक सेना होम गार्ड (गृह-रक्षक), आदि होंगे जो विषम उपवसरों पर और कठिनाइयों में और काम करेंगे ।

रक्षा के इस प्रश्न पर विशाल दृष्टिकोण से विचार करने के लिए माननीय सदस्यों के

समक्ष इन ही बातों को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : सैनिक निवृत्ति-वेतनों के सम्बन्ध में सरकार का जो दृष्टिकोण है उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं । सैनिक निवृत्ति-वेतनों को विनियमित करने के लिये उस ने कोई परिनियत व्यवस्था नहीं की है । निवृत्तिवेतनों के सम्बन्ध में ब्रिटिश शासन काल के नियमों को ही लागू किया जा रहा है । सरकार चाहती तो संविधान के अनुच्छेद ३७२ को अनुच्छेद १३ के साथ पढ़ कर निर्धारित समय में राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करवा सकती थी । 'सिंघ निवृत्ति-वेतन' के अन्तर्गत 'सैनिक निवृत्ति-वेतन' आते हैं तथा इन के सम्बन्ध में नियम बनाने का संसद को पूरा अधिकार प्राप्त है । प्रशासनीय नियमों द्वारा इन का विनियमन करना अवैधानिक बात है । यह तो संसद के अधिकारों को हड़पने का अवैधानिक प्रयत्न है ।

सेना अधिनियम की धारा २८ के अनुसार सैनिक निवृत्ति-वेतनों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है । किन्तु प्रशासनीय नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में कटौती की व्यवस्था कर दी गई है । यदि ऐसा करना ही था तो पहले सदन की मंजूरी ले ली जानी चाहिये थी ।

सरकार ने निवृत्ति-वेतन सम्बन्धी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित कर दिये हैं । अन्य देशों में ऐसे न्यायाधिकरण संसद द्वारा पारित किये गये अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये जाते हैं । किन्तु हमारे देश में तो कार्यपालिका सरकार ने अपने आप ही ऐसा कर दिया है । इन निवृत्ति-वेतनों के सम्बन्ध में ऐसे मामले उठ खड़े होते हैं जिन का सम्बन्ध न्यायिक बातों से होता है, इसलिये न्यायिक निकाय बनाये जाने चाहियें थे । अनेक उच्च-न्यायालयों ने ऐसे न्यायाधिकरणों का स्थापित किया जाना कार्यपालिका सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर बताया है ।

निवृत्ति वेतन के रोकने के सम्बन्ध में केवल संसद ही नियम बना सकती है । सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं । निवृत्ति-वेतन प्राप्त करने वाले की मृत्यु के पश्चात यह वेतन उस की विधवा, बूढ़े माता-पिता या बच्चों की नहीं दिया जा रहा है । पारिवारिक निवृत्ति-वेतनों को लगभग बन्द सा कर दिया गया है । ऐसा नहीं किया जाना चाहिये था ।

११ फरवरी, १९५४ को दिये गये अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि एक नया सैनिक निवृत्ति-वेतन कानून बनाया जाना चाहिये क्योंकि वर्तमान नियमों के कारण सैनिकों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है । इसी उद्देश्य को लेकर मैं ने सैनिक निवृत्ति-वेतन विधेयक को पुरः-स्थापित करने का प्रयत्न किया था किन्तु राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न होने के कारण मैं ऐसा न कर सका । परन्तु मुझे आशा है कि एक समय ऐसा आयेगा जब केन्द्रीय सरकार को ऐसा ही अधिनियम बनाना पड़ेगा ।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : क्यों कि मैं पंजाब से आता हूं इसलिये मुझे इस विषय से विशेष दिलचस्पी है । मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आ रहा हूं वहां से अधिकतर जवान सेना में भर्ती होते हैं और इसीलिये मैं इस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं ।

अक्सर यह मांग की गई है कि हमारी सेना को जनता की सेना के आधार पर संगठित किया जाये । मैं सैनिकों से मिला हूं और अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि हमारी सेना वास्तव में जनता की ही सेना है । उसे राजनीति से कोई दिलचस्पी नहीं है । भारतीय सेना की परम्पराएं, आचरण, वफादारी सभी भारतीय हैं । अतः मेरा निवेदन

[श्री डी० सी० शर्मा]

है कि हमारी सेना का संगठन जैसा है वैसा ही रहे तथा उसे किसी अन्य देश की सेना के नमूने के अनुसार न बनाया जाये।

हमारे सैनिकों ने कोरिया में जिस तत्परता और निषपक्षता से काम किया है उस की प्रशंसा न केवल माननीय सदस्यों ने की है बल्कि संसार के अधिकतर देशों ने भी। उन्हों ने अपने धैर्य्य का अनुपम उदाहरण संसार के सामने रखा है।

माननीय प्रधान मंत्री ने भी यह स्वीकार किया है कि हमारी वर्तमान सेना देश की सीमाओं को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। यदि हमें देश की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सेना का संगठन करना पड़े तो इस में बहुत अधिक धन की आवश्यकता होगी जो कि हमारे पास नहीं है। यद्यपि संख्या की दृष्टि से हमारे पास पर्याप्त सैनिक नहीं हैं पर उपकरणों की दृष्टि से हम प्रगति कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम विदेशों से नई नई बातें सीख कर उन से लाभ उठायें। अतः विशेषज्ञों को रखने में कोई हानि नहीं है।

जहां तक रक्षा पंक्तियों का सवाल है मैं चाहता हूं कि हमारे देश में न केवल दो रक्षा पंक्तियां हों बल्कि छः छः। पहली रक्षा पंक्ति प्रादेशिक सेना होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है उस को देखने से पता लगता है कि स्थिति उत्साहवर्धक नहीं है। लोगों में इस के प्रति कोई उत्साह नहीं दीखता। सहायक प्रादेशिक सेना का भी संगठन किया गया है किन्तु उस का भी परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा है। यदि हम अन्य देशों जैसी प्रादेशिक या सहायक प्रादेशिक सेना नहीं तैयार कर सकते हैं तो हमें कम से कम ऐसी सेनाएं तो तैयार कर ही लेनी चाहिये जो हमारे देश की सीमाओं के दृष्टिगोचर पर्याप्त हों। मैं चाहता हूं कि गांव में रहने वाले भी इन में दिलचस्पी लेना आरम्भ करें तथा उन्हें भी सैनिक शिक्षा दी जाये। जब तक गांव वालों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती तब तक हमारी तीसरी रक्षा पंक्ति मजबूत न हो सकेगी। हमारी चौथी रक्षा पंक्ति राष्ट्रीय छात्र सेना होनी चाहिये। लेकिन इस में भी छात्रों और अफसरों की कमी है। यही हाल सहायक छात्र सेना का है जो कि हमारी पांचवीं रक्षा पंक्ति होनी चाहिये। इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

आजकल की परिस्थितियों को देखते हुए हम महिलाओं को अलग नहीं रख सकते हैं। उन्हें भी देश की रक्षा में हाथ बंटाने का अवसर दिया जाना चाहिये। यद्यपि राष्ट्रीय छात्र सेना में छात्रा विभाग खोल दिया गया है। किन्तु केवल इतना ही करना पर्याप्त नहीं है। वास्तव में, यह हमारी छठी रक्षा पंक्ति है। मेरे विचार में हम जब तक इन छः की छः रक्षा पंक्तियों को मजबूत नहीं कर लेते तब तक हम अपने देश की पर्याप्त रूप से रक्षा न कर सकेंगे।

राइफिल क्लबों को भी सरकारी सहायता दी जानी चाहिये जिस से लोगों को बन्दूकें चलाना आदि सिखाया जा सके। क्योंकि हमें अधिकतर अपने नागरिकों पर निर्भर रहना पड़ता है इसलिये हमें उन को भी तैयार करना चाहिये। उन की मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी की जानी चाहिये। उन्हें यह बताया जाना चाहिये कि युद्ध छिड़ जाने पर उन से किस प्रकार की सहायता की आशा रखी जाती है।

मैं सेना के आन्तरिक संगठन के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं फिर भी साधारण व्यक्ति के नाते मैं ने सदन में अनेक बार इस प्रकार के प्रश्नों को सुना कि हमारी सेना की गुप्त बातें विदेशियों को पता लग जाती हैं।

इस से पता लगता है कि हमारी सेना का गुप्तचर विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। सेना की गुप्त बातों का इस प्रकार प्रकाशित हो जाना या खुल जाना देश के हित में नहीं है। अतः मेरा निवेदन है कि हमारी सेना के गुप्तचर विभाग में सुधार किया जाना चाहिये। उसे और अधिक कार्यकुशल तथा क्रियाकारी होना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : थोड़ी देर पहले जब प्रधान मंत्री ने भाषण देना प्रारम्भ किया था तो हम आशा करने लगे थे कि वह उन बातों का उत्तर देंगे जो चर्चा के दौरान में उठाई गई हैं। परन्तु उन्हों ने उन में से किसी का भी उत्तर नहीं दिया। उन्हों ने अपने भाषण में बतलाया था कि बाबर के पास बन्दूकें थीं इसलिये वह भारत पर विजय प्राप्तकर सका था। लेकिन मेरे विचार में बात कुछ और ही थी। हम उस समय संगठित नहीं थे, हमारे अन्दर फूट थी, इसीलिये बाबर हम पर विजय प्राप्त कर सका था। साथ ही उन्हों ने अपने भाषण में यह भी कहा था कि वह नवीनतम हथियारों को रखने के पक्ष में नहीं हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह दोनों बातें कैसे हो सकती हैं पहले तो आप आधुनिक हथियारों को महत्वपूर्ण बतलाते हैं और फिर उन्हें रखना नहीं चाहते। यह तो दोनों विपरीत बातें हैं।

संयुक्त राज्य अमरीका और पाकिस्तान के बीच सैनिक सहायता समझौते, बर्मा में अस्थिरता, चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा और भारत की विदेशी समावृत्त बस्तियों में होने वाली घटनाओं के कारण हमारे देश की सुरक्षा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

माननीय सदस्या श्रीमती रेणु चक्रवर्ती हमें कह रही थीं कि हम विभिन्न बातें सीखने में इंगलैण्ड तथा अमरीका पर ही क्यों निर्भर रहें, हमें चीन का अनुसरण करना चाहिये।

सरदार ए० एस० सहगल : रूस का !

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : रूस तो आप के लिये अति उन्नत देश है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अति उन्नत नहीं, अपितु ऐसा करना अवनत है। आप चीन का इतिहास तो जानते हैं। अमरीका ने च्यांग-काई-शेक को शस्त्रास्त्र की सहायता दी और परिणाम यह रहा कि यह फौजी हथियार उसी के खिलाफ प्रयोग किये गये। चीन का हाल का इतिहास हमें क्या बताता है? च्यांग-काई-शेक अमरीका की कठपुतली बना और अब साम्यवादी चीन रूस की कठपुतली बन गया है। क्या हम चीन से यही सीखें कि दूसरे की कठपुतली कैसे बनना चाहिये? क्या हम उस से यही सीखें कि हम अपने देश में अन्तर्युद्ध कैसे करें? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिये। अब देखिये चीन ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया। उस ने तिब्बत पर कब्जा किया जहां हमारे महत्वपूर्ण सार्थ थे।

१९५१ में तिब्बत के शांत देश पर आक्रमण हुआ और यद्यपि हमारे वहां बहुत से सार्थ थे हम से परामर्श नहीं किया गया।

श्री एस० एस० मोरे : क्या ये सब बातें सुरक्षा से सम्बन्धित हैं ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : हां, हैं। हमारे इतिहास में आज पहली बार हमारा उत्तरीसीमान्त खतरे में है। भूतकाल में हिमालय किसी भी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध एक अभेद्य रुकावट था परन्तु अब इन बर्फीले पहाड़ों में चीनी सैनिक आ गये हैं। इसलिये मैं रक्षा नीति की प्रति एक नई धारणा अपनाने का अनुरोध करता हूं।

अब मैं रक्षा संगठन तथा रक्षा स्थापनाओं के कार्यवाहन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में बहुत से महत्वपूर्ण मामले हैं जिन के बारे में कई बार प्रश्न उठाने पर भी हमें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। पहली बात यह है कि रक्षा मंत्रालय छंटनी की नीति

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

अपना रहा है। हजारों लोगों की छंटनी की जा रही है। मैं माननीय मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि रक्षा उद्योगों में इन कर्मचारियों को लगाने की काफी गुंजाइश है।

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक रक्षा उद्योगों का सम्बन्ध है, इन में गत एक वर्ष से एक भी व्यक्ति की छंटनी नहीं की गई है।

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : हमने और लोग भरती किये हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं युद्ध सामग्री डिपुओं तथा कारखानों की बात कर रहा हूं। लगभग चार हजार की छंटनी हुई है।

श्री सतीश चन्द्र : जहां तक कारखानों का सम्बन्ध है उन में तो एक की भी छंटनी नहीं हुई है। वह उत्पादन तथा उत्पादन बढ़ाने के लिये फालतू श्रमिकों को लगाने की बात कर रहे थे, इस लिये मैं ने कहा कि युद्ध सामग्री के कारखानों में कोई छंटनी नहीं हुई है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : कारखानों में कोई छंटनी न भी हुई हो, परन्तु डिपुओं में क्या हाल है ? यदि उन में छंटनी हुई है तो इस को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

दूसरी बात यह है कि रक्षा कर्मचारियों की कई और मांगें हैं। मुख्य मांग यह है कि सरदार बल्देव सिंह की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई है उस में इन कर्मचारियों का कोई प्रतिनिधि नहीं है। इस सम्बन्ध में अभी तक मंत्री ने कोई उचित उत्तर नहीं दिया है।

एक और बात है जो मिलिटरी इंजीनियरिंग सेवा स्थापना में ठेके की पद्धति के सम्बन्ध में है। श्रीमान, लाखों रुपये बचाये जा सकते हैं यदि यह ठेका पद्धति खतम कर दी जाये और विभाग स्वयं यह काम कर ले। आजकल तो मूल काम अर्थात रक्षण का काम भी ठेकेदारों को दिया जाता है और वह खूब पैसा बनाते हैं। जिन लोगों की छंटनी की जा रही है वह इस काम पर लगाये जा सकते हैं।

कर्मचारियों के लिये आवास का निर्माण नहीं हो रहा है। कर्मचारियों ने मंत्रालय को कई योजनायें प्रस्तुत की हैं परन्तु अब तक कुछ नहीं किया गया है और कर्मचारियों के लिये रहने का स्थान नहीं है।

अब मैं सब से महत्वपूर्ण विषय को लेता हूं। प्रधान मंत्री कह रहे थे कि विदेशी विशेषज्ञों की संख्या ८००० से घटा कर केवल लगभग २०० कर दी गई है। परन्तु यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। हम विदेशियों से डरते नहीं हैं परन्तु आज जो हमारे देश में स्थिति है उस के दृष्टिगोचर यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण पदों पर एक भी विदेशी न हो।

७ म० प०

रक्षा तथा रक्षा संघटन आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि रक्षा सम्बन्धी रहस्य देश से बाहर जायें तो उस में हमारे लिये बहुत खतरा पैदा होगा। हमें चाहिये कि किसी भी विदेशी को हम अपनी रक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ भी पता न लगने दें। महत्व इस बात का नहीं कि कितने विदेशी हैं ? सामान्यतः यदि २०० के स्थान पर ३००० विदेशी भी हों तो कोई बात नहीं। परन्तु आज की परिवर्तित स्थिति में जब कि हमारे देश की सुरक्षा के प्रति खतरा बढ़ता जा रहा है, जब कि मध्य दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थिति अस्थिर है तो एक भी विदेशी का रक्षा सेवाओं में होना खतरे से पूर्ण है। एक भी विदेशी हमारी रक्षा सम्बन्धी

गोपनीय बातों को जानने के लिये पर्याप्त है, अधिक संख्या का तो प्रश्न ही नहीं ।

अन्त में मैं रक्षा मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे दक्षिण एशिया के सारे देशों के लिये एक संयुक्त रक्षा नीति बनाने पर विचार करें। कुछ देश, जैसे लंका या बरमा; पहले ही हमारे साथ हैं। तो हमें चाहिये कि हम संयुक्त रक्षा व्यवस्था के बारे में एक सन्धि या और किसी प्रकार का समझौता करें। ऐसा करने से न केवल रुपया ही बचेगा अपितु सामूहिक रक्षा बल भी बढ़ जायेगा। इस से हमारे पड़ोस के देशों में भी स्थिरता आयेगी और इसी में हमारी भी स्थिरता है।

सदन का कार्यक्रम

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये सभा इन दिनों को २ म० प० से ७.३० म० प० तक बैठा करेगी :

शुक्रवार, २६ मार्च, १९५४;
शुक्रवार, २ अप्रैल, १९५४;
शुक्रवार, ९ अप्रैल, १९५४;
शनिवार १७ अप्रैल, १९५४;

आरम्भ के चार घंटे सरकारी कार्य के लिये रखे जायेंगे और बाद के २½ घंटे गैर-सरकारी कार्य के लिये ।

इस के पश्चात् सभा, शुक्रवार, २६ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1954